राजस्थान विधान सभा

३७वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक २७ अप्रेल, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक, सभा भवन, जयपुर में प्रातः ८-१२ बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोतमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ५७०

सिरोही जिले से सूखी लकड़ी की निकासी पर प्रतिबन्ध होने पर भी जोधपुर जाना

श्री रामलाल बन्सीवाल—क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सिरोही जिले से बाहर सूखी लकड़ी की निकासी पर वन विभाग की ओर से कोई प्रतिबन्ध है ?

(ख) यदि हां, तो अभी भी सिरोही जिले से लकड़ी जोधपुर क्यों जाती है ?

(ग) क्या इस समय सिरोही जिले के वन अधिकारी ने कोई प्रतिबन्ध लकड़ी की निकासी पर लगाया है ? यदि हां, तो किस कानून के तहत ?

(घ) सन् १९५४ व १९५५ में कितने हजार मन सूखी लकड़ी परमिट द्वारा सिरोही जिले से बाहर भेजी गई और ऐसे परमिट देने के क्या नियम हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(क) जी नहीं। केवल उन्हीं कूप्स की लकड़ी, सूखी व गीली, के निकालने पर प्रतिबन्ध है जो कि शहर सप्लाई के लिए बेचे जाते हैं। यदि ऐसे कूप्स से भी नगर की आवश्यकता से अधिक लकड़ी निकलती है तो अन्य स्थानों पर ले जाने का परमिट दिया जाता है।

(ख) सिरोही जिले से जोधपुर जो लकड़ी जा रही है वह शहर सप्लाई के कूप की नहीं है।

[श्री ब्रजसुन्दर शर्मा]

(ग) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सन् १९५४ में ५०० मन।

सन् १९५५ में १८४० मन।

परमिट देने के कोई खास नियम नहीं हैं किन्तु सिटी सप्लाई के कूपों से नगर की आवश्यकता से अधिक लकड़ी निकलने पर बची हुई लकड़ी अन्य स्थानों पर ले जाने का परमिट दिया जाता है।

प्रश्न संख्या ५७१

कुछ मस्जिदों पर बने शासकीय व अशासकीय भवन मुसलमानों को देने संबन्धी

श्री मोहम्मद इब्राहीम—क्या पुर्नस्थापन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

क्या नीचे लिखी हुई मस्जिदों पर सरकारी या पब्लिक इमारतें बनाई गई हैं और अगर बनाई गई हैं तो वे किस ऑर्डर के मातहत बनाई गई हैं और क्या हुकूमत इन इमारतों को हटाकर मस्जिदों को मुसलमानों के हवाले करेगी ?

१. आराइश खानावली मस्जिद, शहर अलवर, क्या इस पर गांधी नेशनल मिडिल स्कूल बनाया गया है ?

२. लालशाही मस्जिद, शहर अलवर, क्या इस पर तिलक मार्केट नाम से मार्केट बनायी गई है ?

३. मस्जिद तेली वाली उर्फ कटला वाली मुत्तसिल टाउन हाल शहर, अलवर, क्या इस मस्जिद के ऊपर म्युनिसिपैलिटी ने दुकान बनाकर ६९ साल के पट्टे पर दी है ?

४. कस्बा किशनगढ़, जिला अलवर में तहसीलवाली मस्जिद और कब्रिस्तान, क्या इनको मिस्मार करके सरकारी बगीचा लगाया गया है ?

५. कस्बा नौगांवां जिला अलवर में लम्बी सड़कें वाली मस्जिद, क्या इसको मिस्मार करके सरकारी स्कूल तामीर किया गया ?

६. कस्बा डीग जिला भरतपुर की जामा मस्जिद, क्या इसको शहीद करके इस पर आदितेन्द्र मार्केट की गई है ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्स्थापन मंत्री)—१. नहीं।

२. रिफ्यूजी मार्केट निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया है जिसके निर्माण के समय वहां कोई मस्जिद नहीं थी।

३. जिस भूमि पर गुड़ मन्डी की दुकानें बनाई गई हैं उस पर तामीर करने के समय कोई मस्जिद नहीं थी, यह कस्टोडियन विभाग अलवर से राजस्व विभाग द्वारा एक्वायर की गई है, इस पर शरणार्थियों के लिए दुकानें बनवाई गई हैं।

४. नहीं।

५. नहीं।

६. नहीं।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—इस जगह सन् ४७ में मस्जिद थी या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव—आपने यह सवाल किया था, "लालशाही मस्जिद शहर अलवर, क्या इस पर तिलक मार्केट नाम से मार्केट बनाई गई है ?" मैंने इसका जवाब दे दिया।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—मैंने जो ६ मस्जिदों का जिक्र किया वे सन् ४७ में थीं या नहीं।

श्री अमृतलाल यादव—मैं ऊपर उत्तर दे चुका हूं।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—अगर ४७ में वहां मस्जिदें थीं तो तो क्या आप वापिस कर देंगे ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने ऊपर जवाब दिया है।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—कटला वाली मस्जिद, किशनगढ़ी मस्जिद, कस्बा नौगावां जिला अलवर में लम्बी सड़कें वाली मस्जिद, क्या इन मस्जिदों की जगह इमारतें नहीं बनवाई गई ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने नम्बर चार, पांच और छ का उत्तर दिया है, "नहीं"।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—आपका जवाब साफ नहीं। मैं यह पूछ रहा हूँ कि ४७ में मस्जिदें थीं या नहीं ? अगर थीं तो क्या आप वापिस कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष—एक्सीजेन्सीज़ का सवाल नहीं उठता, पहले साबित करियेगा।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—किसी किस्म की इमारत बनाने का सरकार ने आर्डर दिया, क्या मस्जिद पर ?

श्री अमृतलाल यादव—कोई भी सरकार किसी भी मस्जिद पर इमारत बनाने का ऑर्डर दे ही नहीं सकती, इसलिये यह सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—क्या अलवर की जामा मस्जिद पर कोई इमारत नहीं बन रही है ?

अब इमारत का बनना सुना था, तामीर की बात हो रही थी। उसको उसी वक्त रोक दिया गया। माननीय सदस्य को जानकारी है, फिर भी क्यों पूछते हैं मेरी समझ में नहीं आता।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या अलवर में कोई नयी मस्जिद बनाने की योजना है ?

श्री अमृतलाल यादव—मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—क्या यह सही है कि अलवर की जामा मस्जिद पर तामीर का कार्य चल रहा है ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५७२

करौली मांडरेल सड़क पर के पत्थर भारी गाड़ियों के चलने से टूटना

(श्री बृजेन्द्रपालसिंह की ओर से श्री जवानसिंह ने पूछा)

Will the Minister for Public Work Department be pleased to state:—

Is it a fact that the stone slabbing on the Karauli-Mandrail road has not been done properly and most of the newly laid slab have broken due to vehicular traffic ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप सचिव, सा० नि० विभाग)—Yes, in some respect. It is not correct that most of the newly laid slabs have been broken.

Page No 5

श्री जवानसिंह—Then is it correct that some of the slab are broken ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—Yes please, it is correct.

श्री जवानसिंह—What steps are being taken by Government ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—Government has asked the contractor to repair again ?

श्री हिम्मतसिंह—What is meant by, some' ? One or two ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—The number has not been counted.

प्रश्न संख्या ५७३

सन् १९५६ तक हनुमानगढ़ नोहर, भादरा आदि कस्बों में विद्युत लगाने का शासकीय आश्वासन

श्री कुम्भाराम आर्य—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

सरकार ने सन् १९५६ तक हनुमानगढ़, नोहर, भादरा आदि कस्बों में बिजली लगा देने का जो वायदा किया था उसको पूरा करने में अभी तक कोई प्रगति क्यों नहीं दिखाई देती ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मंत्री)—(क) हनुमानगढ़, नोहर तथा भादरा को भाखरा नांगल प्रोजेक्ट से हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पॉवर दी जावेगी। यह कार्य भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड से स्वीकृत कन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम के अनुसार पूरा किया जावेगा। नया कन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड की स्वीकृति के लिये भेजा दिया गया है।

(ख) राजस्थान क्षेत्र से बाहर के कार्य पंजाब निर्माण विभाग (विद्युतशाखा) द्वारा सम्पन्न किये जावेंगे। वे आशा करते हैं कि यह कार्य १९५७ के अन्त तक पूरा हो जावेगा। इसलिये विद्युत शक्ति सन् १९५७ के अन्त तक उनका कार्य पूरा होने पर दी जावेगी।

श्री कुम्भाराम आर्य—क्या यह सही है कि इस काम को पूरा करने के लिये पहले सन् ५६ आखिरी रखा गया था ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—यह सही है, मगर कुछ मेटीरियल न मिलने की वजह से पंजाब गवर्नमेन्ट ने काम की मुद्दत बढ़ा दी है, इसलिये देर हो रही है।

श्री कुम्भाराम आर्य—क्या पंजाब सरकार ने कहा है कि सामान न मिलने की वजह से देर हो रही है ?

श्री शाह् अलीमुद्दीन—पंजाब सरकार ने अपने काम की मुद्दत बढ़ा दी है अब ५७ तक खत्म करने का वादा किया है। पंजाब में काम खत्म किये बगैर राजस्थान को बिजली नहीं मिल सकती है।

श्री कुंभाराम आर्य—जब उन्होंने पहले ५६ में देने का वादा किया तो अब बदले क्यों ?

श्री शाह्अली मुद्दीन—महाशय यह तो उनसे ही पूछना चाहिये।

श्री कुंभाराम आर्य—सरकार तो आप हैं, वे नहीं हैं ?

श्री शाह् अलीमुद्दीन—पंजाब गवर्नमेंट क्यों बदली यह राजस्थान गवर्नमेंट कैसे बता सकती है, यह राजस्थान गवर्नमेंट का सवाल नहीं है।

श्री कुंभाराम आर्य—जब राजस्थान गवर्ननमेंट से मुहायदा हुआ था कि सन् ५६ तक बिजली दे देंगे तो फिर बदले क्यों ?

श्री शाह् अलीमुद्दीन—हमें तो उन्होंने कुछ लिख कर तो नहीं दिया हम यह कह सकते हैं कि समान न मिलने की वजह से ऐसा हुआ होगा क्यों कि पहले इसका कारण तो कोई उन्होंने दिया नहीं।

श्री कुम्भाराम आर्य—दिल्ली जब इस स्कीम के अन्तर्गत नहीं थी उसको तो बिजली मिल गई, राजस्थान में नहीं मिलने के लिये क्या कहा जाता है ?

श्री शाह् अलीमुद्दीन—इसकी इत्तला मालूम करके में सूचना दूंगा।

श्री कुंभाराम आर्य—तो फिर सवाल तो पूछना नहीं पड़ेगा ?

श्री शाह् अलीमुद्दीन—वैसे तो यह सवाल जुदा है।

श्री कुंभाराम आर्य—यह सवाल जुदा कैसे है ? मैंने पूछा था जब यहां राजस्थान में ५७ में बिजली देने का तय किया था तो ५६ में बिजली न मिलने का क्या कारण है जब कि दिल्ली सूबे को मिल गई ?

श्री शाह् अलीमुद्दीन—इसकी जानकारी करके में आपको इत्तला करूंगा।

Page No 7

श्री कुम्भाराम आर्य—मुझे लिखना पड़ेगा या आप सीधी ही इत्तला कर देंगे ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—जरूर भेज दूंगा।

श्री जवान सिंह—एक्स. पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर और डिप्टीमिनिस्टर क्यों लड़ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—बिजली के लिये लड़ रहे हैं।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ५७४

वन भटाना (जिलासिरोही) को राजस्व सचिव द्वारा स्वीकृति

श्री रामलाल बन्सीवाल—क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भटाना जंगल, सिरोही जिले को काटने की स्वीकृति राजस्व सचिव की ओर से कलेक्टर सिरोही को प्रेषित की गई थी ?

(ख) यदि हां, तो वन अधिकारी सिरोही ने उपरोक्त आज्ञा का उल्लंघन किस प्रयोजन से किया, और इस देरी के लिए सरकार द्वारा मुआवज़ा भरने की सूरत में कौन जिम्मेदार होगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) स्वीकृति की सूचना कलेक्टर सिरोही को भेजी गई थी और नियमानुकूल वृक्ष हटाने का लाइसेन्स जब तक एस. डी. ओ. सिरोही द्वारा जारी नहीं किया जाता तब तक विषय वन अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते। अतः उनके द्वारा आज्ञा के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ५७५

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री कस्तूरचन्द।

(अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न संख्या ५७६

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी।

(अनुपस्थित)

महाराज श्री केसरीसिंह।

प्रश्न संख्या ५७७

बूंदी शहर की जल योजना का उद्‌घाटन एवं उस योजना से जल प्राप्त करने की आगामी तिथि

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बूंदी शहर की जल योजना का उद्‌घाटन किस के द्वारा और किस तारीख को किया गया था ?

(ख) इस योजना की प्रगति कैसी चल रही है ?

(ग) सरकार का जनता की इस योजना से जल कब तक दे देने का अन्दाज है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मंत्री)—(क) बूंदी शहर की जल-योजना का उद्‌घाटन श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) राजस्थान द्वारा तारीख १८।१०।५६ को किया गया।

(ख) अच्छी चल रही है।

(ग) जल वितरण योजना दो या ढ़ाई साल में पूरी हो जावेगी।

प्रश्न संख्या ५७८

धौलपुर सब डिविजन में ठिकाना सरमथरा व रिभौनी के वनों के ठेके

श्री हंसराज जटिया—क्या वन मन्त्री निम्नांकित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि धौलपुर सब डिविजन में ठिकाना सरमथरा व रिभौनी में वनों के ठेके दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त ठेके सरकार की तरफ से दिये गये हैं या ठिकाने वालों की तरफ से और उनमें से कौन कौन ठेकेदार कहां कहां के हैं ?

Page No 9

[श्री हंसराज जटिया]

(ख) क्या ठेका देते समय लकड़ी के काम करने वालों की सुविधा का खयाल रखा गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त ठिकानों में जो लकड़ी का काम करते हैं वही लोहे का काम करते है ?

(घ) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त काम करने वालों को परमिट द्वारा लकड़ी दी जाने की आज्ञा मिल जाने का दस्तूर था ? यदि हां, तो क्या इस साल भी परमिट जारी किये गये हैं । यदि हां, तो किस आधार पर और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रज सुन्दर शर्मा—(क) जी हां । ठेके ठिकानेदारों की ओर से दिये गये । ठेकेदारों के नाम निम्न हैं ।

सर्व श्री रामनाथ चौबे निवासी ग्वालियर, हरचरनलाल निवासी सरमथुरा, बहदुद्दीन निवासी सर मथुरा, इदुखां निवसी सरमथुरा, हरमुला निवासी सरेपुर, नानकचन्द निवासी सरमथुरा, मुस्ताक निवासी तहसील सोपुर, नूरमहम्मद निवासी सरमथुरा, नवलकिशोर निवासी ग्वालियर, गुलाबचन्द निवासी ग्वालियर । भगवान, बदरी प्रसाद, अलाउद्दीन, रमजानखां, देवीलाल, कन्हैयालाल, महावीर प्रसाद, गेंदालाल श्यामलाल, स्वरुपचन्द, इस्ताक निवासी छतरपुर, छगनलाल सरमथुरा, कस्तूरचन्द, हनुराम, रामलाल ।

(ख) ठेके ठिकानेदारों की ओर से दिये गये थे । अतः सरकार से सुविधा देने न देने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी हां, परमिट इस साल नहीं दिया गया क्योंकि ये लोग अनियमिततापूर्वक लकड़ी काटने के आदी हैं । अतः जंगल को हानि से बचाने के लिये गीली लकड़ी काटने के परमिट नहीं दिये गये । सूखी लकडी हस्ब मामूल निकास करने को रोक नहीं है ।

प्रश्न संख्या ५७६

श्री अध्यक्ष—श्री रामदयाल उपाध्याय

(अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

*प्रश्न संख्या ५८०

न्यू कालोनी, जयपुर की सड़कों का जीर्णोद्धार

श्री रावराजा सरदारसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) न्यू कोलोनी, जयपुर की सड़कें किस वर्ष निर्मित हुई?

(ख) इस समय इनकी कैसी हालत है?

(ग) इन सड़कों का जीर्णोद्धार कब कब हुआ?

(घ) यदि नहीं हुआ, तो इसका क्या कारण है?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मंत्री)—उन्हीं से पूछना चाहिये, एल० एस० जी० से पूछना चाहिये। उनकी टर्न में आवेगा यह।

रावराजा श्री सरदारसिंह—अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष—कहते हैं, यह होना चाहिये लोकल सेल्फ डिपार्टमेन्ट का और आपने दे दिया है पी. डब्लू. डी. को।

रावराजा श्री सरदारसिंह—यह जो सड़क का निर्माण हुआ था न्यू कोलोनी का, पहले पी. डब्लू. डी. से ही हुआ था। इसके बाद अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को या म्युनिसिपल कमेटी को दी गई, यह मालूम नहीं।

श्री शाह अलीमुद्दीन—इस वक्त म्यूनिसिपल बोर्ड ही डील कर रहा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—यह सड़क कब बनी थी।

श्री मोहनलाल सुखाडिया, (मुख्य मन्त्री)—इस प्रश्न पर ज्यादा बातें आगे के लिए रक्खें। इसका उत्तर आपको बाद में मिल जावेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह—बड़ी सड़क खराब हो रही है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अगली टर्न पर लोकल सेल्फ के मिनिस्टर होंगे तो जवाब दे देंगे। ऐसी बात नहीं है कि जवाब नहीं मिलेगा। जवाब जरूर मिलेगा। आप को बाद में मिल जावेगा।

Page No 11

प्रश्न संख्या ५८१

श्री अध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल ।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

नेक्स्ट, श्री महाराजा केसरीसिंह

प्रश्न संख्या ५८२

राजस्थान में सन् ५२–५५ के अन्तर्गत वन महोत्सव पर लगाये गये पेड़ एवं उन पर व्यय हुई धन राशि

श्री महाराज केसरीसिंह—क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में वन महोत्सव में सन् १९५२ से ५५ तक कितने पेड़ साल वार लगाये गये और उनमें से आज तक कितने पेड़ रहे हैं ?

(ख) वन महोत्सव में सालाना सन् १९५२ से ५५ तक कितनी रकम खर्च हुई ?

(ग) क्या यह सच है कि एक बार लगाने के बाद फिर उन पेड़ों की देखरेख नहीं की गई ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)—(क) सन् ५२ से ५४ तक निम्न संख्या में वृक्ष लगाये गये :

१९५२	१, ६८, २००
१९५३	२, १९, ४००
१९५४	६, ३८, २००

सन् १९५५ में लगाये वृक्षों के आकड़े अभी मालूम नहीं हो पाये हैं । लगाये वृक्षों में से निम्न संख्या में वृक्ष सूख गये हैं ।

१९५२–१, २०, ६०० । १९५३–१, ४२, ३०० । १९५४–३, ५५, २०० ।

(ख) निम्न रकम खर्च हुई :

[श्री ब्रजसुन्दर शर्मा]

१९५२–६, ३००) । १९५३-२२, ९००) । १९५४-२५, १००)

(ग) जी नहीं ।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या कारण है इतनी तादाद में पेड़ सूख गये ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—जो एवरेज है उसके हिसाब से तो ज्यादा नहीं सूखे हैं । और आइन्दा कोशिश यह की जा रही है कि कम से कम सूखें ।

श्री महाराज केसरीसिंह—सूखने का क्या पर सेन्टेज रक्खा गया है ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—कहीं तो ३० परसेन्ट, कहीं २५ और कहीं ५० परसेन्ट भी है ।

एक माननीय सदस्य—सूखने के परसेन्टेज को बाद निकाल कर ही पेड़ क्यों नहीं लगाये जाते ताकि खर्चा अधिक नहीं हो ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—यह तो जीवन मरण का प्रश्न है, कौन मर जावेगा और कौन जिन्दा रह जावेगा, इसका कौन कह सकता है ? कोई मरने के लिये सोचकर थोड़े ही लगाते हैं । इतने पर भी इतने जिन्दा रह जाते हैं यह भी मैं ठीक समझता हूँ ।

प्रश्न संख्या ५८३

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट । श्री भीदास गोयल ।

[अनुपस्थित]

प्रश्न संख्या ५८४

कृषकों को हल कूली समाद की लकड़ी मिलने के साधन

श्री भैरवलाल काला बादल—क्या वनमंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[क] किसानों को हल, कुली सामद की लकडी मिलने का क्या साधन है, जिससे किसान कम समय में कम से कम खर्च में अपने ओजारों की लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं ?

[ख] क्या सरकार को ज्ञात है कि किसानों के लिये लकड़ी प्राप्त करने हेतु ऐसे जंगल कायम किये जाते हैं जिनमें काम की लकड़ी नहीं मिलती ?

[श्री भैरवलाल कालाबादल]

(ग) क्या किसानों को अपनी फसल की रक्षा हेतु झाड़ व बागर की छूट है ? यदि हां, तो क्या इसके लिए भी परमिट की जरूरत होती है ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)—(क) किसान हल, कुली तथा अन्य कृषि सम्बन्धी औजारों की लकड़ी अपने नजदीक के निर्धारित जंगल से सम्बन्धित नाकेदार के पास प्राप्त करके ले सकते हैं।

(ख) जी नहीं, यदि सूखे जंगल में लकड़ी काम के योग्य नहीं मिलती है तो बन्द जंगल से दी जाती है।

(ग) भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नियम हैं। फार्मर राजस्थान क्षेत्रों में फसल की रक्षा हेतु झाड़ बागर राजस्थान फोरेस्ट कन्सेशन रूल्स के अनुसार फ्री दी जाती है।

श्री भैरवलाल कालाबादल—तो क्या किसानों को झाड़ बागर हल, कुली आदि के लिए लकड़ी के लिये परमिट लेना पड़ता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी हां। उनको अपनी पंचायतों से या पटवारी से एक सर्टीफिकेट हासिल करना पड़ता है कि जिसमें उनकी जमीन कितनी है यह दर्ज होता है उसके माफिक नाकेदार के पास फिर जाकर वह परमिट हासिल कर सकता है। अब जो नये रूल्स बने हैं उनमें वही परमिट जारी कर सकता है।

श्री कालाबादल—क्या सरकार को यह मालूम है कि किसान को पटवारी, नाकेदार या रेन्जर के पास जाने में कितना समय खर्च करना पड़ता है और कितनी परेशानी भी उठानी पड़ती है और रिश्वत भी देनी पड़ती है ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—रेन्जर के पास जाने की जरूरत नहीं है। नये रूल्स में ये सब बातें हैं। अगर ये नये रूल्स पढ़कर आप आते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री धूलजी भाई भावसार—जो किसानों को आपने राहत दी है वह तो ठीक है पर क्या यह वाकया नहीं है कि अब भी बिना पैसे दिये उनको परमिट नहीं मिलती ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—यह सूचना गलत है, क्योंकि परमिट के लिए पंचायतों से या पटवारी से ताल्लुक है उनसे सर्टीफिकेट लेकर वह नाकेदार के पास पहुँच सकता है। पहले अलबत्ता ऐसी शिकायतें आई थी। पर अब नहीं आती।

श्री धूलजी भाई भावसार—क्या सरकार को यह मालूम है कि बांसवाड़ा जिले में ऐसी कई दरख्वास्तें आई हैं कि जिनमें किसानों को इसके लिए कई प्रकार की परेशानियां और रिश्वत देने की कठिनाइयां भी सामने आई हैं ?

श्री व्रजसुन्दर शर्मा—ये परेशानियां पहले थीं इसीलिए नये नियमों में हमें इनका खयाल रखना पड़ा है ।

श्री धूलजी भाई भावसार—क्या आप इसकी जांच करावेंगे कि दो से पांच रुपया रिश्वत का देने पर ही बांसवाड़ा में किसानों को परमिट मिलते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अगर आप ऐसी कोई निश्चित सूचना देंगे तो मैं इसकी अवश्य जांच कराऊंगा ।

श्री धूलजी भाई भावसार—इसकी जानकारी दी जावेगी ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ४८५

राजस्थान के निर्माण के पश्चात् पी० एफ० एस० की ट्रेनिंग हेतु व्यक्तियों को भेजने के आधार

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[क) राजस्थान के निर्माण के बाद पी. एफ. एस. की ट्रेनिंग के लिए आज तक कुल कितने आदमी भेजे गये ?

(ख) उक्त व्यक्तियों में ऐसे कौन कौन हैं जो पहले राज्य सेवाओं में थे ?

(ग) किन किन नये व्यक्तियों को ट्रेनिंग में भेजा गया ?

(घ) ट्रेनिंग में भेजने के लिए आधार क्या था !

श्री व्रजसुन्दर शर्मा—(क) १० ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) सर्व श्री भारतसिंह, कैलाशसिंह [सांखला, ओम प्रकाश माथुर, कोशल कुमार कोटिया, देवदत्त आर्य, हरिश्चन्द्र, ओम प्रकाश पारीख, पुरुषोतम स्वरूप श्रीवास्तव, नरेन्द्रकुमार खुल्लड, के. बी. एल. माथुर ।

(घ) ट्रेनिंग में भेजने के लिये विद्यार्थियों का चुनाव लिखित परिक्षा व साक्षात्कार के पश्चात जन सेवा आयोग द्वारा होता है । तत्पश्चात् उत्तीर्ण विद्यार्थियों की चार घंटे में १६ मील

[श्री ब्रजसुन्दर शर्मा]

चलने की व स्वास्थ्य परीक्षा कराई जाती है। चुनाव में आने वाले व्यक्तियों के लिये देहरादून वन विद्यालय द्वारा निर्दिष्ट योग्यता होना आवश्यक है।

श्री चांदमल मेहता—जो व्यक्ति राज्यसेवा में पहले से ही मौजूद हैं उनको ट्रेनिंग में नहीं भेजने का क्या कारण है ?

श्री ब्रज सुन्दर शर्मा—वह एप्लाई करते हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन उनको सिलेक्ट कर लेता है तो भेजे जाते हैं, क्योंकि निर्दिष्ट योग्यता देहरादून में १६ मील चलने वगैरह की और बाकी रहती हैं वह साक्षात्कार तक बाद में सिलेक्शन करते हैं उनके पास होने पर ही वह लिये जाते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या आज तक पहले से राज्य सेवा में जो कर्मचारी हैं वे पी. एस. सी. के सामने नहीं गये हैं ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—पी. एस. सी. के सामने मेरे खयाल से राज्य सेवा में मौजूद व्यक्ति गये हैं। वे अगर सिलेक्शन में नहीं आये हैं तो हम क्या करें।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरकार ने जो व्यक्ति पहले से राज्यसेवा में हैं उनको पी. एस. सी. में जाने के संबंध में मुमानियत कर रखी है ?

श्री ब्रज सुन्दर शर्मा—नहीं, ऐसी कोई मुमानियत नहीं कर रखी है। इस साल भी गये हैं पी. एस. सी. में।

प्रश्न संख्या ५८६

शराब की दुकानों के ठेके तथा उनकी आय

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) शराब की दुकानों का ठेका सरकार किस प्रकार देती है ?

(ख) सन् १९५४, व सन् १९५५, ५६ में इस ठेके से सरकार को कुल कितनी आमद हुई ?

(ग) सरकारी आबकारी के ठेकेदार से फी गैलन किस हिसाब से खरीदती है वह दुकानदारों को फी गैलन किस हिसाब से बेचती है ?

[श्री केसरीसिं]

(घ) बूंदी की दुकानों का ठेका सन् १९५५ में अलग अलग कितनी रकम में खत्म हुआ ?

(ङ) उपरोक्त ठेका सन् १९५६ में कितनी रकम में खत्म हुआ ?

श्री अमृत लाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—(क) शराब की दुकानों का ठेका नीलाम किया जाता है, और जो व्यक्ति सबसे ऊंची बोली देता है उसी की बोली साधारणतः मन्जूर की जाकर दुकान दी जाती है ।

(ख) सन् १९५४, ५५ में सारे राजस्थान में शराब की दुकानों के नीलाम से सरकार को २७, ८७, ४१३ की आमदनी हुई और सन १९५५, ५६ में २३, ६४, ७६० की आमदनी हुई ।

(ग) राजस्थान में शराब सप्लाई का ठेका नीचे लिखे व्यक्तियों के नाम है और उनसे जिस रेट में शराब खरीद की जाती है उसकी दर उनके आगे उल्लेखित है ।

नं०	सप्लाई एरिया	नाम ठेकेदार	दर
१.	बांसवाड़ा	मेसर्स दुर्गा डिस्टिलरी	३॥) प्रति एम. पी. गैलन ।
२.	उदयपुर डिवीजन सिवाय बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़ ।	एफ. बी. इलाविया	,,
३.	प्रतापगढ़	फिरोजशा रुस्तमजी	६ रु. १ आ. प्रति एल. पी गैलन फरमिंग सिस्टम ।
४.	कुशलगढ़	कन्हैयालाल मगनीराम	३।) प्रति एल. पी. गैलन ।
५.	जोधपुर डिवीजन	बी. के एलाविया महू	२ रु० १५ आ० ,, १ रु० १५ आ० ,, पैसार किये हुए पर ।
६.	कोटा डिस्ट्रिक्ट	बालाबक्स नेमीचन्द अटरू	३) प्रति एल पी गैलन ।
७.	झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट	पिस्टनजी हरवनजी	४॥) ,,

[श्री अमृतलाल यादव]

८	बूंदी	मेसर्स फराहमजी बेरहमनी बोरुमिया	३ रु. प्रति एल. पी. गैलन
९	किशनगढ़ सब-डिविजन	बेरमशा एम. इलाविया एण्ड को.	३ रु. ६ आ. प्रति एल गेलन।
१०	अलवर डिस्ट्रिक्ट	बाशसजी एडलजी ता० ३१ ३ ५६ तक	१ रु. १४ आ. ,,
		बाद में	२ रु. २ आ. ,,
११	बीकानेर डिवीजन	इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन गंगानगर	१ रु. ७ आ. ६ पा. ,,
१२	जयपुर सिवाय अलवर व किशनगढ़	बालाबख्श अमरचन्द ता० ३१-३-५६ तक	३ रु. १ आ. ६ पा. ,,
		बाद में इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन गंगानगर से	२ रु. २ आ. ,,

(घ) बूंदी तहसील की दुकानों का ठेका सन् १९५५ में २१,५८ रू० में हुआ और प्रत्येक दुकान के ठेके की रकम के विषय में नक्शा (अ) नत्थी किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(ङ) बूंदी तहसील की दुकानों का ठेका सन् १९५६ में २९,२५८ में हुआ जिसकी दुकान वार विगत नक्शा (अ) में बताई गई है।

महाराज श्री केसरीसिंह— (ग) के प्रश्न का उत्तर अधूरा मिला है, मैंने पूछा था कि दुकानदार को किस रेट पर दिया जाता है ?

श्री अमृतलाल यादव—दुकानदारों को दुकानें ऑक्शन की जाती हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह—फिर वह गोडाउन से किस रेट पर लेते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—वह रेट्स मैंने अभी आपको पढ़कर बताई हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह—इस रेट पर सरकार खरीदती है ठेकेदारों से। उसको गोडाउन से ठेकेदारों को जो दुकान वाले हैं, उनको सरकार किस रेट पर देती है ?

श्री अमृतलाल यादव—रिटेल दुकानदारों को विभिन्न प्रकार की शराब इस प्रकार से सप्लाई की जाती है:-

१ जगमोहन १० ओ. पी.	५६	रु० प्रति गैलन।
२ केसर कस्तूरी ५ यू. पी.	३२॥	,,
३ गुलाब २० यू. पी.	२४॥	,,
४ नारंगी २५ यू. पी.	२१॥।	,,
५ सादा प्लेन ३५ यू. पी.	१६	,,
६ सादा प्लेन ६० यू. पी.	५।	,,

महाराज श्री केसरीसिंह—रेट में इतना फर्क होने का क्या कारण है ?

श्री अमृत लाल यादव—इनकी क्वालिटीज़ पर होगा।

महाराज श्री केसरीसिंह—ठेकेदारों से कम पर ली जाती है और दुकानदारों को ज्यादा पर बेची जाती है तो क्या यह सत्य नहीं है कि वह पानी मिलाकर जनता को बेचते हैं और जनता का इससे नुकसान होता है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह नहीं है।

श्री किशनलाल शाह—ऑक्शन जो किया जाता है वह किस बेसिस पर किया जाता है ?

श्री अमृतलाल यादव—आक्शन का बेसिस साफ होता है कि जो ज्यादा रुपया देता है उसको दिया जाता है।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही है कि दुकानदारों को जो कमीशन मिलता है और जो ठेके की रकम गवर्नमेंट को दी जाती है उसमें आपस में बहुत डिफरेन्स है ?

श्री अमृतलाल यादव—वाट डिफरेन्स का विचार तो जो ऑक्शन हाइऐस्ट बिड का देता है वह करे।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही नहीं है कि उनको कमीशन तो गवर्नमेंट से कम मिलता है और टेन्डर अधिक देना पड़ता है, तो यह घाटा होता है वह कहां से पूरा होता है ? क्या गवर्नमेंट ने कभी इसको कन्सीडर किया है ?

Page No 19

श्री अमृतलाल यादव—नहीं ऐसी बात नहीं है।

श्री किशन लाल शाह—क्या गवर्नमेंट ने ठेका देते हुए इस प्वाइन्ट को ध्यान में रखा है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह प्वाइन्ट तो ध्यान में रखते हैं। इस पर विचार किया जाता है। जब विचार करने की कोशिश की जाती है तो गवर्नमेंट पर ब्लेम लगाया जाता है कि रुपया ज्यादा आता है तो कम क्यों लेते हैं ? अभी जयपुर के ठेकों का प्रश्न था जिसको सदन जानता है।

श्री धूलजी भाई भावसार—खुली भट्टी बनाकर बेचने की कहीं इजाजत है ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं।

महाराज श्री केसरी सिंह—सरकार कमीशन बेसिस पर क्यों नहीं देती है दुकानों को।

श्री अमृत लाल यादव—इस बार तो ठेका हो चुका है। उनकी मियाद में कमी नहीं की जा सकती है।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या जिला बूंदी में कमीशन बेसिस पर दी गई दुकानें ?

श्री अमृतलाल यादव—यह मेरी जानकारी में नहीं है इसकी जानकारी करूंगा।

श्री धूलजी भाई भावसार—क्या बांसवाडा जिले में आप जांच करायेंगे कि वहां पर आदिवासी लोग हैं वे आम भट्टी डाल कर शराब पीते हैं और प्रतिक्रियावादी तत्व काफी शराब का प्रचार करते हैं और उनको पार्टियां दी जा रही हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—माननीय सदस्य की सूचना के लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं वहां अधिकारी भेजूंगा और उनको आप सहयोग देकर अगर केसेज़ पकड़वायेंगे तो मैं आपका बहुत आभारी हूँगा।

श्रीमती यशोदा देवी—क्या मंत्री जी को यह विदित है कि ऐसी सूचना कई मामलों में सरकार के सामने आई है ?

श्री अमृत लाल यादव—जी मुझे विदित नहीं है कि पहले भी कई बार इसकी सूचना आई है।

श्री धूलजी भाई भावसार—इसकी शीघ्र ही जांच करवायेंगे ?

श्री अमृत लाल यादव—जी हां, जरूर जांच करवाऊंगा।

प्रश्न संख्या ५८७

चीफ कन्जरवेटर ऑफ फोरेस्ट्स को एक्सटेन्शन

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) चीफ कन्जरवेटर ऑफ फोरेस्ट की उम्र कितनी है और उनकी कितने समय के लिये, किस वेतन पर नियुक्ति की गई है?

(२) क्या सरकार उन्हें एक्टेन्शन देने का विचार कर रही है?

(३) यदि हां, तो कितने समय के लिए और क्यों?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)—(१) ५६ वर्ष। १६ अप्रेल, १९५५, से दो वर्ष के लिए। २२५०रू. मासिक पर ८५००रू सालाना पेन्शन के बाद करने के बाद, यानी २२५०रू मासिक माइनस ७०८रू. ५आ.४पा. माहवार।

(२) जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रश्न नहीं है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ५८८

श्री अध्यक्ष—श्री भैंरूसिंह।

(अनुपस्थित)

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ५८९

अराई सरवाड़ सड़क पर बोराडा ग्राम के कृषकों के खेतों की मिट्टी डालना एवं उन कृषकों को मुआवज़ा

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) अराई सरवाड़ रोड पर बोराड़ा ग्राम के किसानों के कितने खेतों की मिट्टी सड़क पर डाली गई?

Page No 21

[श्री चांदमल मेहता]

(२) उक्त खेतों के मालिकों को सरकार द्वारा क्या क्या मुआवजा दिलाया गया ?

शाह श्री अलीमुद्दीन (उपमंत्री)—(१) करीब १७ बारानी खेतों की जमीन की मिट्टी जो सड़क से ५० फीटों के अन्दर थी एक एक फुट गहरी चेकड़िया लगाकर सड़क के काम में ली गई।

(२) अभी तक कुछ नहीं दिलाया गया है। लेन्ड एक्वीजिशन एक्ट के अनुसार मुआवजा देने की कार्यवाही चल रही है। पूरी होने पर जल्दी ही कम्पेन्सेशन दे दिया जायगा।

श्री मेहता—कम्पेन्सेशन की कार्यवाही किस स्टेज पर है ?

शाह श्री अलिमुद्दीन—कम्पेन्सेशन की कार्यवाही किस स्टेज पर है, यह नहीं बताया जा सकता है मगर चल रही है।

श्री मेहता—कहां चल रही है, किस अधिकारी के पास ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—जो कम्पेन्सेशन देने वाले अफसर हैं उनके पास ?

श्री मेहता—क्या यह सही है कि अभी तक कम्पेन्सेशन के संबंध मे कोई प्रगति नहीं हुई है ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—क्या ?

श्री मेहता— क्या यह सही है कि कम्पेन्सेशन के संबंध में कोई भी प्रगति नही हुई है ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—नहीं कार्यवाही चल रही है। यह सही नहीं है।

श्री मेहता—किस अधिकारी के पास चल रही है। क्या कोई रकम इसके संबंध में तजवीज की जा चुकी है ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—रेवेन्य डिपार्टमेंट में है।

श्री मेहता—क्या कोई रकम तजवीज करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भेजी जा चुकी है ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—तजवीज करने वाले भी वही होंगे।

Page No 22

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग ने रेवेन्यू विभाग को रकम तजवीज कर देने के बारे में कोई पत्र लिख दिया है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन— वह खुद ही तजवीज करेंगे। फैसला करने वाला रेवन्यूडिपार्टमेंट है ।

श्री मेहता—नहीं कम्पेन्सेशन की रकम तय करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने रेवन्यूविभाग को लिख दिया है या नहीं ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—लिखा है ।

श्रीमेहता-इस प्रश्न के आने से पहले या बाद में ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—इस से पहले ही ।

श्री मेहता—कितने समय पहले ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—टाइम स्केल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष— रावाराजा श्री सरदार सिंह-

प्रश्न संख्या ५६०

प्रथम पंचवर्षीय योजना में टोंक जिले में तहसील व ग्रामवाइज़ सड़कों का निमाण

श्री रावराजा सरदारसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) प्रथम पंचवर्षीय योजना में टोंक डिस्ट्रिक्ट तहसील वाइज ग्राम वाइज कौन कौन सी सड़कों का निर्माण होने वाला था ?

(२) उनमें से अब तक कौन कौन सी तैयार हो चुकी हैं और कितनी और तैयार होना बाकी हैं तथा उनके कब तक पूरी हो जाने की आशा है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—(उपमंत्री) (१) सड़कें तहसील वार और ग्राम वार नहीं बनाई जातीं । प्रथम पंचसाला योजना में टोंक जिले में नीचे दी हुई सड़के बनाने के लिए रखी हैं :

[श्री शाह अलीमुद्दीन]

	सड़क का नाम	लम्बाई	तहसील
१.	मालपुरा स्टेशन से मालपुरा तक	२ मील	मालपुरा
२.	टोडारायसिंह सड़क का ७५ मील का पक्का करना	१ ,,	टोडा रायसिंह
३.	सवाई माधोपुर से टोंक अलीगढ़ और उनियारा तक पक्की सड़क	१५॥ मील	टोंक
४.	टोंक से मालपुरा तक पक्की सड़क	२५ मील	टोंक व मालपुरा तहसील
५.	इन्दरगढ़, टोंक और लाखेरी सड़क का बनाना	२३ मील	टोंक
६.	जयपुर कोटा सड़क पर डामर किया जाना	१४ मील	यह टोंक तहसील में है।

(२) इन में से काम नं० १. २. ६ का पूरा हो चुका है और बाकी के काम चालू हैं। इसके पूरे होने की उम्मीद दूसरी पंचसाला योजना में की जाती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—टोंक से उनियारा होती हुई माधोपुर या अलीगढ़ सड़क कहां तक तामीर हो सकती है ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष—कहां तक तामीर हो चुकी है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मन्त्री)—यह तामीर करीब करीब अभी शुरू हुई है। थोड़ी सी मुकम्मिल हुई है, तफसील नहीं दे सकता, कितनी तामीर हुई है, क्योंकि अभी तफसील नहीं आयी है, अगर आप चाहेंगे तो मालूम करके बता दी जायगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह—प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसको टोप प्रायोरिटी दी गई थी अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी शुरू हो रही है तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की मंजूरी को कौन खा गये ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—काम तो अभी हो रहा है। काम मिटेगा तो नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह—कभी माननीय मंत्रीजी उधर पधारे या नहीं, काम हो रहा है या नहीं ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—काम तो अभी शुरू हुआ।

रावराजा श्री सरदारसिंह—मैं निवेदन करता हूँ कि अलीगढ़ से आगे काम शुरू ही नहीं हुआ है।

श्री शाह अलीमुद्दीन—काम तो इन्द्रगढ़ तक हो गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—इन्द्रगढ़ तक हो गया है। टोंक से उनियारा लेकर अभी तो उसमें नहीं हुआ है। कहां हो रहा है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—यह सड़क है जो वही सड़क है। आहिस्ता चलते चलते काम वहां पहुँच जायगा।

(हंसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह—लेकिन आपकी मिनिस्टरी के अन्दर बन जायगा क्या ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—आपकी मेम्बरी के दौरान में जरूर बन जायगा।

श्री अध्यक्ष—यस, रिपीटिशन।

श्री चांदमल मेहता—मेरा एक प्रश्न और बाकी है।

प्रश्न संख्या ५६१

कस्टम्स विभाग के नाकेदारों व मोहर्रिरों के ग्रेड्स एवं उनके फिक्सेशन

श्री चांदमल मेहता—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कस्टम्स विभाग के नाकेदार और मोहर्रिरों को क्या २ ग्रेड स्वीकृत की गई ?

(ख) उक्त ग्रेड के अन्तर्गत प्रॉवीजनल लिस्ट कब बनाई गई ?

(ग) प्रोवीजनल लिस्ट पर आपत्तियां आमंत्रित करने की अन्तिम तिथि कौन सी थी ?

(घ) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों का अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ ?

(ङ) यदि हां, तो क्यों ?

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—(क) कस्टम्स विभाग के नाकेदारान, मोहर्रिरान की निम्नलिखित ग्रेडें थी :

[श्री अमृतलाल यादव]

प्रथम श्रेणी

(१) नाकेदार	(२) मोहर्रिर
८०. ४. १००	५०. २. ६०

द्वितीय श्रेणी

(१) ५०. ३. ८०	४०. १. ५०

(ख) प्रथम श्रेणी नाकेदार व मोहर्रिर की प्रोवीजनल लिस्ट दिनांक ४. १२. ५४ व २१. १२. ५४ को प्रकाशित की गई।

(ग) प्रोवीजनल लिस्ट पर आपत्तियां आमंत्रित करने की अवधि एक माह थी।

(घ. ङ)प्रोविजनल लिस्ट के सम्बन्ध में आमंत्रित आपत्तियां की जांच अभी तक पूरी नहीं हो सकी है अत: उनकी जांच होने के पश्चात् जो व्यक्ति प्रथम श्रेणी में नियुक्त किये जावेंगे उनको नई वेतन श्रृखलना का लाभ दिया जावेगा।

श्री चांदमल मेहता—सन् ५४ से अब तक जांच न होने का क्या कारण है ?

श्री अमृतलाल यादव—जांच पूरी न होने का कारण यह है कि बहुत सी कार्यवाही करनी पड़ती है, ज्यादा रिकार्ड इधर उधर से मंगाना पड़ता है। बहुत से पेन्शन याफ्ता है, ए. जी. के पास रिकार्ड है उसको देखना आदि।

श्री चांदमल मेहता—कौन अधिकारी जांच कर रहे हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—कौन कर सकता है, कमीश्नर कर सकता है।

श्री चांदमल मेहता—कमीश्नर कर रहे हैं या नहीं यह बता दीजिये, कर सकते हैं का सवाल नहीं है ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हां कर रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—कौन कमीश्नर है ?

श्री अमृतलाल यादव—कमीश्नर एक्साइज़ एन्ड टेक्शन।

श्री चांदमल मेहता—इसमें कितनी प्रगति हुई है ?

Page No 26

श्री अमृतलाल यादव—नाप तोल तो बता नहीं सकता लेकिन प्रगति हो रही है।

श्री चांदमल मेहता—कोई प्रगति नहीं हो रही है और केवल कागजात उनके पास पेन्डिंग हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—यह सही नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—जांच का काम कब तक खत्म कर देंगे ?

श्री अमृतलाल यादव—जब खत्म होगा कर देंगे।

श्री चांदमल मेहता—कोई अवधि सरकार निश्चित नहीं कर सकती है क्या ?

श्री अमृतलाल यादव—ऐसी कोई बात नहीं है। जल्दी करने की तो कोशिश की जाती है, पेन्डिंग रखने का सवाल भी नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—पहले एक दफा आश्वासन दिया गया था कि एक महीने में जांच करके फिक्सेशन किया जा सकेगा तो उसको अब तक पूरा नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री अमृतलाल यादव—काम पूरा होने के पहले दस दफा अगर सवाल पूछ लिया जाय तब क्या किया जा सकता है ?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि आज से चार महीने पहले यह आश्वासन दिया गया था कि १ महीने के अन्दर जांच करके पूरा कर देंगे लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जांच हो रही है तो अब तक उस आश्वासन को पूरा न करने का क्या कारण है ?

श्री अमृतलाल यादव—पहले कुछ काम हो चुका है, कुछ बाकी रहता है, सब को एक साथ कर देंगे और थोड़ा अभी और थोड़ा बाद में इस तरह से तो ठीक भी नहीं होगा, प्रगति हो रही है।

श्री चांदमल मेहता—अब कोई सरकार निश्चित अवधि नियत करने को तैयार है ?

श्री अमृतलाल यादव—अवधि का सवाल नहीं है। वे सब राज्य कर्मचारी हैं, ऑफिसर नियुक्त हो चुका है, जांच जारी है, प्रगति हो रही है।

श्री चांदमल मेहता—सन् ५४ से तो इसको अब तक पेन्डिग रखा है तो और आगे कब तक इसको पेन्डिग रखने का सरकार विचार रखती है ?

श्री अमृतलाल यादव—पेन्डिग रखा ही नहीं है, काम चल रहा है।

Page No 27

श्री चांदमल मेहता—खत्म करने की अवधि मुकर्रर कर दीजिये ?

श्री अमृतलाल यादव—अवधि मुकर्रर करने में तो फिर एक दिन भी कोई बात हो गई तो फिर सवाल करेंगे।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—श्री कस्तूरचन्द।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

श्री विशम्भरनाथ जोशी।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

श्री रामदयाल उपाध्याय।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

श्री श्रीदास गोयल।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री जगतसिंह झाला वि० सं० ६४ ने दिनांक २७ अप्रेल, ५६ से ४ मई, सन् ५६ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उनको अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १६५४
(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—Municipalities Bill. Clause 72.

श्री भैरोंसिंह (१६)—Clause 71.

श्री अध्यक्ष—71 was passed.

(विराम)

Yes, Clause 72, Shri Sohan Lal Bhatnagar.

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ७२ के अन्दर टेक्सेज़ को सस्पेन्ड, मोडीफाई, रिड्यूस या एबोलिश करने के पॉवर्स दिये गये हैं। कल जैसा कि क्लॉज़ ७१ सदन के सामने था तो उसमें पार्ट (h) में ये शब्द, "leviable under section 87 or imposed under section 87A" बढ़ाये गये और यह निवेदन किया था कि आगे आ रहा है कि कुछ तो ये टेक्सेज़ ओब्लीगेटरी होंगे और कुछ डिस्क्रेसनरी होंगे इसलिए यह संशोधन भी कान्सिक्वेन्शियल है।

In sub-clause (1) insert' that has been or is deemed to have been or may be imposed under section 87A ' towards the close after ' existing tax' ".

आगे है, "In sub-clause (2).

(i) after 'taxes' in line 2, insert 'under section 87 A' and

(ii) for 'any tax' in line 3 and 'a tax' in line 4, substitute ' any such tax'.

ये भी वरडिंग्स को ठीक करने के लिए " any such taxes " को जोड़ने के लिए खाली "Tax" शब्द के बजाय निवेदन किया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७२ में जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

[redacted]

[श्री अध्यक्ष]

खण्ड ७२, संशोधित रूप से, विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ७३

श्री सोहनलाल भटनागर—खण्ड ७३ का उप खण्ड (१) में जो 'previous' शब्द है उसको डिलीट करने के लिए मैंने अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है। प्रेज़ेन्ट क्लॉज़ इस प्रकार है :

"Every Board may from time to time with the previous sanction of the State Government, make bye-laws not inconsistent with this Act."

तो जो 'previous' शब्द है उसका इन्टरप्रिटेशन कई हाई कोर्ट्स ने ऐसा किया है कि यदि कोई म्युनिसिपेलिटी बाई लॉज बनाना चाहे तो बनाने से पहले स्टेट गवर्नमेन्ट की स्वीकृति लेना जरूरी है। बिना स्वीकृति के कई जगह बाई लॉज बनाए और टैक्स लगाये वे इनवेलिड हो गये यह कह कर कि म्युनिसिपेलिटी ने स्वीकृति बाद में ली। इसलिये ऐसे सरकम्संटान्सेज को अवोइड करने के लिए 'प्रीवियस' शब्द को हटाने के लिए मैंने संशोधन पेश किया है ताकि म्युनिसिपल बोर्ड्स पहले बाई लॉज बनालें और बाद में सैंक्शन ले लें। इससे परपज़ हल हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—दूसरा संशोधन भी पेश कर दीजिये।

श्री सोहनलाल भटनागर—दूसरा यह है :

"In part (k) insert 'and' between 'stations' and 'providing' in line 1 and omit 'requiring a licence......made' in lines 2 to 13."

दूसरा बाई लॉज़ बनाने के बारे में फिक्सिंग ओक्ट्रोय लिमिट्स एण्ड स्टेशन और उसके बाद "Fixing octroi limits and stations and provising for the exhibition of tables of octroi."

उसके बाद में लाइसेन्स लेने के और बाई लॉज़ बनाने के पॉवर्स म्युनिसिपल बोर्ड को दिये हैं। लेकिन जैसे पहले वाले क्लॉज़ के बारे में निवेदन किया था, यह ओब्लीगेटरी रखा जा रहा है जिसके रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बनायेगी वैसी सूरत मे यह रिडेन्डेन्ट रहता है कि बाई लॉज़ बोर्ड बनाये है इसलिए इसे डिलीट कर दिया जाय।

[redacted]

[श्री सोहनलाल भटनागर]

इसी तरह सब क्लॉज़ (एए) को डिलीट करने का कहा है। उसका कारण यह है कि जो लाइसेन्स ड्राइवर्स आदि को देने के लिए प्रोविजन रखा है उसके लिए सरकार ने ओब्लीगेटरी रखा है कि नियम बनायेगी इसलिए इसकी जरूरत नहीं है।

इसी तरह पार्ट (ए एफ) में "In part (af) omit 'handcarts employed for transport or 'and' and for the persons nsing such handcarts."

इसका भी यही कारण है जैसा कि पहले निवेदन किया है, ओब्लीगेटरी में आते हैं। सरकार इनके लिए रूल्स बनायेगी वैसी सूरत में म्युनिसिपल बोर्ड को अलग बाई लॉज़ बनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (१६)—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ७३ के अनुसार म्युनिसिपल बोर्ड को यह अधिकार दिये जा रहे हैं कि वह म्युनिसिपल बोर्ड का कार्य संचालन के लिए म्युनिसिपल बाई लॉज़ का निर्माण करे। अभी एक संशोधन द्वारा सराडा सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने "previoes" शब्द को हटाने की मांग की है जिसके बारे में मैं यह मानकर चलता हूं कि यह संशोधन स्वीकार होगा। वैसी सूरत में म्युनिसिपल बोर्ड को यह हक होगा कि वह बाई लॉज़ बनाने से पहले या बाद में सरकार से उसकी स्वीकृत करावे। अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ७१ में म्युनिसिपल बोर्ड को रूल्स बनाने के लिए अधिकार दिये हैं और अब इस धारा के द्वारा रूल्स को इम्पलीमेंट करने के लिए, म्युनिसिपल बोर्ड के फंक्शन्स को इम्पलीमेंट करने के लिए हम बाई लॉज़ बनायेंगे। इस पर एक धारा में आगे चलकर हमने लिखा है कि : "And every board may with the like sanction prescribe a fine not exceeding five hundred rupees for the infringement of any such bye law."

अब यह देखना है कि यदि कोई म्यूनिसिपल बोर्ड इन बाई लॉज़ में ५०० रुपये तक के जुर्माने की व्यवस्था करता है तो वैसी व्यवस्था से कहीं म्युनिसिपल बोर्ड जिसको की सत्ता दे रहे हैं उसका दुरुपयोग तो नहीं करेगा? अध्यक्ष महोदय, जहां तक म्युनिसिपल बाई लॉज़ को इम्पलीमेंट करके उनकी तामील करने का प्रश्न है, मेरा इसमें बिल्कुल मतभेद नहीं है। जहां तक सम्भव हो सके हमें इन बाई लॉज़ की तामील करनी चाहिये लेकिन बाई लॉज़ को इम्पलीमेंट करने में यदि हम सख्ती का बर्ताव करेंगे और वह सख्ती भी शारीरिक नहीं बल्कि आर्थिक सख्ती होगी तो मैं समझूंगा कि निश्चय ही जिस जनता का हम भला करना चाहते हैं इन बाई लॉज़ को लागू करके उसका हम किसी हद तक नुकसान भी करेंगे। हमने अपने रूल्स में और बाई लॉज़ में छोटे छोटे जुर्माने रखे हैं सफाई न रखने वालों के लिए, जानवरों के पालने में, सामान की खरीद फरोख्त, सामान को इधर उधर ले जाने के लिए, स्वास्थ्य सम्बन्धी और अन्य कई प्रकार की बातों को लेकर हम बाई लॉज़ बनायेंगे। बहुत मुमकिन है छोटी छोटी बातों के लिए भी हमें जो हथियार जुर्माने का मिला है उसको इम्पलीमेंट कर दें। इसमें ऐसा लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट की सेंक्शन से बाई लॉज़ में ५०० रु० तक का

Page No 31

[श्री भैरोंसिंह]

जुर्माने करने की बात प्रेसक्राइब की जा सकती है। मैं यह चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि इसके बारे में संशोधन तो कोई प्रस्तुत नहीं हुआ लेकिन यदि माननीय मन्त्रीजी नगरपालिकाओं को अधिकार देते है तो ५०० रु० की जगह २०० रु० का जुर्माना करने का अधिकार दें। हमने अभी पंचायतों को जुर्माना करने का और मुकदमों का फैसला करने का अधिकार दिया है और यह अधिकार लागू किया जा रहा है। लेकिन थोड़े से समय का यह अनुभव है कि जिन पंचायतों को हमने ऐसे विशेष अधिकार दिये वे पंचायतें चुनाव की गड़बड़ियों के कारण से या अन्य किसी कारण से उन अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है और राजस्थान की जनता सरकार से अपेक्षा करती है कि जो अधिकार पंचायतों को दिये हैं उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाय। तो मुझे भय है कि कहीं नगरपालिकाओं को ५०० रु. तक का जुर्माना करने का अधिकार देते हैं तो इस अधिकार भी कहीं मिसयूज तो नहीं होगा। तो मैं मन्त्रीजी से पूरे क्लॉज़ का विरोध करते हुए नहीं लेकिन इस क्लॉज़ में मेरी तरफ का संशोधन टेक्निकल नहीं है लेकिन यदि मन्त्रीजी स्वयं चाहें तो ५०० रुपयों के बजाय २०० रुपयों का जुर्माना करने का संशोधन उनकी तरफ से पेश हो जाय और फिर इसे स्वीकार करें तो अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय, यदि जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर जैसी सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ है और उसमें हम इस प्रकार के जुर्माने की व्यवस्था करेंगे तो मुझे लगता है कि वहां साईकल चलाने वाले, मोटर चलाने वाले, रिक्सा चलाने वालों से मामूली जुर्म हो सकता है और वह मामूली जुर्म हो सकता है और वह मामूली जुर्म एक दिन की देरी लाइसेन्स रिन्यू कराने के कारण भी हो सकता है, नंबर प्लेट लगाना भूल गये तो भी हो सकता है तो ऐसे लोगों पर जुर्माना हो सकता है। ऐसा जरूर कहा जा सकता है कि इस तरह के आदमियों पर थोड़ा जुर्माना होगा लेकिन ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा की मिकदार ५०० रु० तक की हो सकती है। इसलिए अधिक से अधिक मिकदार २०० रु० रखनी चाहिये। इसके बाद यदि जरूरत पड़ती है कि ज्यादा जुर्माना हो तो उस समय सोचेंगे जब कि म्युनिसिपल मेजिस्ट्रेट्स कायम करेंगे। यदि म्युनिसिपल मेजिस्ट्रेट्स होते हैं और वे म्युनिसिपेलिटी के अण्डर में काम करते हैं तो उनको ऐसी पॉवर दे सकते हैं क्योंकि उनका फंक्शन ज्युडिशियल फंक्शन होगा। यदि उनके द्वारा किसी पर जुर्माना किया जाता है तो वह ५०० रु० तक का भी हो सकता है तो बेजा नहीं है। लेकिन म्युनिसिपल मेजिस्ट्रेट्स के अभाव में यदि म्युनिसिपेलिटीज़ के मेम्बर्स को ५०० रु० तक का जुर्माना करने का अख्त्यार दें तो इसमें जनता का नुकसान होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ५०० रुपयों के स्थान पर २०० रु० की तजबीज करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस अमेंडमेंट का सम्बन्ध है वह बिल्कुल स्पष्ट है और वहां प्रीवियस लफ्ज़ हटाया है उसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट के रिट में ऐसा हुआ हाई कोर्ट ने कहा कि बोर्ड की प्रीवियस सेंक्शन नहीं, यह ऐतराज किया इसलिए यह प्रीवियस शब्द हटाया गया है।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

जुर्माने के लिए जो आपत्ति की गई उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड बाई लॉज़ बनायेगा और ५०० तक के जुर्माने की सजा प्रोवाइड कर सकेगा, इसके माने यह हैं कि २०० भी हो सकते हैं, १०० रुपये भी हो सकते हैं, १० रुपये भी हो सकते हैं। डिफरेंट बाई लॉज़ बनेंगे और डिफरेंट जुर्मों के डिफरेंट जुर्माने होंगे। इसके अलावा यह जुर्माना करने का अधिकार बोर्ड को तो रहेगा नहीं। The case will be proseeuted in the court of a Magistrate and it will be for the Magistrate, जो इस बात को देखेगा कि इस जुर्म में ५०० रुपया जुर्माना किया जाय या २०० किया जाय या १०० किया जाय या १० रुपया ही जुर्माना किया जाय। वैसे मुझे जुर्माना कम करने में कोई आपत्ति नहीं लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बोर्ड को बहुत बड़ी पॉवर दी गई हैं, यह सब मामले मजिस्ट्रेट के पास जायगें और यदि कोई सीरियस मामला होगा और कोर्ट समझेगा कि इसमें ज्यादा जुर्माने की जरूरत है तो ज्यादा जुर्माना करेगा, उसमें कोर्ट के पास जायगा। बाई लॉज़ में यह प्रेसक्राइब किया जायगा कि विद दी सेक्शन ऑफ दी गवर्नमेंट। साइ-किल के लिए जुर्म है तो उसमें १० रुपये का जुर्माना हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो संशोधन इसमें रखा है वह ठीक है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७३ में जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखे हैं वे स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ७३, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खंड ७३, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ?

(विराम)

खंड ७४

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ७४ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

खण्ड ७४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

खण्ड ७५, श्री सोहनलाल भटनागर ।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ७५ में बोर्ड को यह पॉवर दिये गये हैं कि वह कौन कौन सी प्रोपर्टी एक्वायर कर सकता है। साथ ही ए. बी. सी. डी. ई. और एफ. के अन्दर उनको प्रेस्काइब किया है कि किन-किन को, टैक्स रिजर्वयर्स और वेल्स वगैरह हैं, वे उसमें वेस्ट हो सकते हैं।

इसके बाद सिलेक्ट कमेटी में जो बिल पेश हुआ उसमें इस क्लॉज़ के सब क्लॉज़ (ई) में दिया हुआ है :

"All lands and buildings transferred to it by the State Governmeut, or by gift or otherwise,"

इसके अन्तर्गत लैंड्स और बिल्डिंग्स जो स्टेट गवर्नमेंट ट्रान्स्फर करेगी वह म्युनिसिपैलिटी में वेस्ट होगी।

मैंने अमेंडमेंट किया है वह दो बातों में विभक्त किया है :

"for part (e) the following shall be substituted:—

'(e) all Government lands lying within the Municipality."'

पहले वाला बहुत रेस्ट्रिक्टेड था, गवर्नमेंट ट्रान्सफर करती तो वेस्ट होते और अब इसे स्वीकार करने से बिना ट्रान्स्फर के ही वेस्ट हो जायगी।

इसमें और एड किया है : "After part (f) the word 'add' and the following new part shell be inserted, namely;—

'(g) all Government buildings and all private lands and buildings transferred to it by gift or otherwise,'"

तो बिल्डिंग्स वगैरह ट्रान्सफर होने पर ही उसमें वेस्ट होंगी और लैंड वगैरह हैं वे बिना ट्रान्सफर के ही इनमें वेस्ट हो जायंगी।

पहले यह था कि : "(3) It shall be competent for the State Government from time to time, by notification in the Rajasthan Gazette, to resume property

Page No 34

[श्री सोहनलाल भटनागर]

vested or vesting in the Board under this section, on such terms as the State Government may determine."

तो वापिस जब प्रोपर्टी रिज्यूम करने का प्रोविजन गवर्नमेंट को इस सब क्लॉज़ द्वारा किया गया तो इसमें कारण नहीं दिये। मैंने अपने अमेन्डमेन्ट द्वारा यह बताया है कि रीजन्स का भी स्पष्टीकरण हो जाय कि किन-किन कारणों से गवर्नमेन्ट प्रोपर्टी को वापिस रिज्यूम कर सकेगी।

वह रीज़न्स यह हैं : "(a) any Government land vested in a Municipal Board under clause (e) of sub-section (2)—

(i) if such board is found, upon inquiry, to have mismanaged such land, or

(ii) if such land is otherwise required by the Goverment in the public interest, and

(b) any other property vested or vesting in a municipal board under this section;

on such terms as the State Government may determine.'"

तो इस तरह से ये रीज़न्स बताये हैं कि यदि म्युनिसिपैलिटी मिसमेनेज करे, या पब्लिक के इन्ट्रेस्ट की बात हो जिससे कि उसका वापिस रिज्यूम करना गवर्नमेंट आवश्यक समझे तो इन कारणों से गवर्नमेंट वापिस रिज्यूम कर सकती है। पहले की बात से यह बात बिल्कुल साफ और रीजनेबल बात इस अमेंडमेंट से हो जाती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेंट रखे गये हैं, इनसे ऑटोमेटिकली यह रख दिया गया है कि वह लैंड ऑटोमेटिकली इन म्युनिसिपैलिटीज़ में वेस्ट करेगी और बिल्डिंग्स के बारे में ट्रान्सफर की आवश्यकता रहेगी। मैं समझता हूँ इस प्रकार के अमेंडमेंट जो रखे हैं वे ठीक हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने खण्ड ७५ में रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ७५, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड ७५ संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड ७६

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ७६ स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड ७६ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड ७६ ए, रावत श्री शम्भूसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह—८० पर मैं बोलना चाहूँगा, माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष—खण्ड ८० पर आप बोलेंगे ?

श्री भैरोंसिंह—हां साहब।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ७६ ए, ७७, ७८ और ७९ स्वीकार किये जावें ?

(स्वीकृत)

खण्ड ७६ ए, ७७, ७८ और ७९ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

खण्ड ८०, Power of Boards to borrow money.

श्री भैरोंसिंह (दांतारामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड ८० के द्वारा हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी सार्वजनिक कार्य के लिये यदि बोर्ड को धन की आवश्यकता हो तो बोर्ड एक प्रस्ताव पास कर के किसी दूसरे से रकम उधार ले सकता है। प्रस्ताव पास करने में बहुमत की आवश्यकता होगी, बहुमत से यदि प्रस्ताव पास हो कर रकम लेना निश्चित कर लिया जाय तो बोर्ड रकम ले सकेगा। माननीय अध्यक्ष, जहां तक बोर्ड की आर्थिक स्थिति का प्रश्न है यदि किसी सार्वजनिक हित के कार्य के लिये, यदि उस बोर्ड की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो, इस बात के लिये, कोई भी मना नहीं कर सकता कि वह अपनी आगे की आमदनी के रिसोर्सेज को देख कर रकम उधार ले ले और उस रकम को सार्वजनिक हित के कार्य में लगा दे। लेकिन जिस तरह की सुविधा दे रहे हैं इस क्लॉज़ के द्वारा, इस सुविधा से बोर्ड जो रुपया उधार लेगा उस उधार लेने में एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जो प्रस्ताव बहुमत से पास होने वाला है वह प्रस्ताव बहुमत से पास न हो कर यदि ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में सारे सदस्य या दो तिहाई सदस्य अपने मत दें और उनके कारण से कोई प्रस्ताव पास हो तब ही यह रकम मंगाई जाय। क्योंकि इस चीजका इतना अभाव है। इसी कारण से मुझे संपूर्ण धारा का विरोध करना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष, जब इलेक्शन के दिन आते हैं उस समय जो म्युनिसिपल बोर्ड फंक्शन कर रहा होता है वह इस बात की इच्छा प्रकट करेगा कि वोटर को खुश करने की नियत से, चाहे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो या न हो, इस प्रकार का एक प्रस्ताव पास करके रकम उधार ले लेंगे और वह रकम उस नगरपालिका के सार्वजनिक कार्यों में लगा दी जावेगी। यह चुनावों के दिनों में लोगों को खुश करने के लिये कहीं पाइप लगवा देंगे तो कहीं बिजली के खम्मे और वह इस दृष्टिकोण से कि अगर हम दुबारा वापिस जीत कर आये तो देखा जाएगा। और अगर विरोधीदल जीत कर आता है तो उसको लाजमी तौर से टैक्स लगा कर उन रुपयों को वापिस देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और रकम देनी पड़ेगी और ऐसी हालत में वह बोर्ड जो नया बन कर आवेगा बहुत मुमकिन है आते ही अनपोपुलर हो जाए। इसके अतिरिक्त हमने पहले की एक धारा में म्यूनिसिपल बोर्ड के जितने फन्ड हैं उसमें हमने यह रखा कि कौन कौन सी रकमें हैं जो प्राइमरीली खर्च की जावेंगी। उसमें इस बात को भी रखा है कि उधार ली हुई रकम को प्राथमिकता दी जावेगी और उसका व्याज पहले देना होगा।

जब हम एक म्युनिसिपल बोर्ड पर इस प्रकार की पाबन्दी लगाते हैं कि उधार ली हुई रकम और व्याज पहले दी जावेगी तो जो म्युनिसिपल बोर्ड रकम उधार ले रहा है वह किसी प्रकार की बद्यान्ती या गलत नीति से काम नहीं करे इसके रोकने के लिये वह जरूरी होना चाहिये की बोर्ड बहुमत से प्रस्ताव पास करें। मैं समझता हूँ कि यह वोटरों को खुश करने के लिये ही ऐसा इलेक्शन के समय करते हैं। आप महसूस करेंगे कि इसका विरोध किया जा रहा है और विरोध

[श्री भैरोंसिंह]

करने के लिये यह कहा जाता है। मगर मैं यह कहूंगा कि एक दो महीनों में इलेक्शन होने वाला है उस समय ही इस प्रकार का प्रस्ताव पास क्यों किया जाता है ? दो वर्षों में उस म्युनिसिपल बोर्ड ने कुछ काम नहीं किया और अब दो महीने रहे तब सेठों से रुपया उधार ले कर या गवर्नमेंट से रुपया उधार ले कर जितना के हित के लिये काम में लगादेंगे और फिर लोगों से कहें कि हमने कितना अच्छा काम किया। अगर जीत गये तो किसी न किसी तरह से फिर तीन साल निकाल ही लेंगे और हार गये तोकर्ज का भार आने वाली पार्टी पर पड़ेगा और उनको किसी न किसी तरह से चुकाना होगा।

इसलिये मैंमाननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप केवल बहुमत शब्द का ही उपयोग न करें लेकिन यह होना चाहिये कि २/३ सदस्य इस प्रकार के प्रस्ताव में अपना मत दें तो इसको स्वीकार किया जावे। इसी कारण से मैंने यह संशोधन रखा है अगर ऐसा होगा तो मैं यह कहूँगा कि इसमें बदयान्ती की पोसीबिलीटी कम रहेगी। हमने चेअरमेन के अविश्वास के प्रस्ताव लाने के संबन्ध में रखे हैं तो आपको यह कहना चाहिये था कि इसको तो सर्व सम्मति से पास होना चाहिये, अगर ऐसा नहीं रखते हैं तो २/३ तो होना ही चाहिये।

अगर ऐसा मान लिया जावे कि बदयान्ती से वह रकम उधार नहीं ली जाती है, लेकिन हम जनता पर उधार ले कर रकम का बोझा डाल रहे हैं वह बोझा भी किसी तरह से नये टैक्सों से कम नहीं है। वह लाइबिलीटी से कम नहीं है। कोई नया टैक्स जनता पर लगावें उससे पहले उसके लिये सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास कराया जाता है। अगर हम इसको छोड़ दें तो दो तिहाई मेम्बरों द्वारा तो इसका सपोर्ट होना जरूरी है। अच्छा तो यह होता कि २/३ का संशोधन माननीय मंत्री महोदय अपनी तरफ से मूव करते। अगर आपको इसमें कोई आपत्ति हो तो इस कारण से इसका विरोध करूंगा। और निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ को इस इस सूरत में पास नहीं करना चाहिये।

श्री **मुक्तिलाल मोदी**—अध्यक्ष महोदय, बहुमत से लोन लिया जावे तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा मेरा तो यह कहना है और सुझाव है कि किसी भी म्युनिसिपेल्टी को या सरकार को चुनाव से पहले लोन लेना ही नहीं चाहिये, और अगर वह किसी कारण से लेना भी चाहे तो दो तिहाई सदस्यों के मत होने चाहिये। बहुमत से लोन लिया जाना चाहिये। माननीय अध्यक्ष, हम सुनते हैं और हर मिनिस्टर और हर ऑफिसर यह कहता है कि जयपुर की म्युनिसिपेलिटी लोन लेकर अपना काम चलाती है और लोन लेने के बावजूद भी अपनी इन्कम है उसको वसूल नहीं करती! जब इन्कम वसूल नहीं करती और लोन लेती है तो उसको वापिस देने के लिये टैक्स की डिफिकल्टी हो सकती है। यह टैक्स पब्लिक को ही देना पड़ेगा। अगर कोई म्युनिसिपेलिटी लोन लेगी और उसको अदा नहीं करेगी तो दूसरा चेयरमेन या वाइस चेयरमेन जो भी चुनावों के बाद आएगा वह पब्लिक के सामने इस बात का उदाहरण रखेगा कि जब पब्लिक टैक्स देने के लिये तैयार नहीं है तो लोन क्यों मांगा गया ? इसलिये अगर लोन लेना ही है तो दो तिहाई सदस्यों का बहुमत होना चाहिये। क्यों कि अगर बहुमत से लोन लेने का प्रस्तावपास होताहै तो सभी सदस्यों पर इसका एक तरह से भार

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

रहता है। और वे लोग यह चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से पब्लिक पर टैक्स लगाकर उस लोन को वापिस दें। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इसको मंजूर करेंगे और बहुमत से नहीं रख कर दो तिहाई रख देते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मंत्री)— माननीय अध्यक्ष, मेरी आपत्ति इसके बिल्कुल विरुद्ध है। इसमें अभी भी इस प्रकार का कानून है। उस कानून का अभी तक दुरुपयोग किया गया हो मेरी जानकारी में नहीं है। बल्कि मेरी जानकारी में तो यह है कि लोन लेने के लिये म्युनिसिपेलिटीज़ ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया लेकिन उनको लोन मिलता नहीं। करीब करीब सभी म्युनिसिपेलिटीज़ से इस प्रकार की मांग आई है। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और प्राइवेट इन्स्टीट्यूट ने तो कभी पैसा किसी म्युनिसिपेलिटी को दिया ही नहीं। अगर उनको उनसे पैसा मिल जावे तो ठीक है। कोई देनेवाला तो हो। अगर माननीय सदस्य किसी सेठ साहब से दिलवा दें तो मुझे खुशी होगी और इसमें किसी तरह की आपत्ति नहीं होगी। सेठ लोग तो देने वाले नहीं और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, म्युनिसिपेलिटी बेचारी चिल्लाती है कि रुपया हो तो पब्लिक के हित के कार्य करें। अगर आप इस में सर्व सम्मति से भी रखदें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लोगों ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किये हैं। आपने जो आपत्ति की है इसके लिये मैं यह कहूँगा कि पंचवर्षीय योजना में जो वाटरवर्क्स या बिजलीघर को रुपया मिलेगा उसमें किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष— प्रश्न यह है कि खंड ८० को स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खंड ८० विधेयक का अंग बना।

खंड ८१।

श्री मुक्तिलाल मोदी— अध्यक्ष महोदय, मैं इस क्लॉज़ पर बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष— मालूम है आपको कि इसमें क्या है, ड्यूटीज़ आफ बोर्ड है?

श्री मुक्तिलाल मोदी—अध्यक्ष महोदय, इस ड्यूटीज़ में एक दो चीजों की कमी रह गई है। तो इसमें भिखारियों के लिये प्रोवीज़न नहीं है कि भिखारियों के लिये इन्तजाम क्या होगा? आज हम देखते हैं कि ये भिखारी सड़कों पर पड़े रहते हैं इनमें कई प्रकार कि बीमारियां हैं, वे बीमारियां जनता के अन्दर फैलती हैं। इसलिये उनके ठहरने के लिये, उनको काम धंधा दिलाने के लिये इन्तजाम होना चाहिये।

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

दूसरा इसमें दूध के बारे में कोई इन्तजाम नहीं रखा, जिस प्रकार बंबई में अच्छा दूध सप्लाई करने के लिये बंबई सरकार ने बहुत बड़ी डेयरी खोल रखी है ताकि जनता को शुद्ध दूध मिल सके उसी प्रकार का इन्तजाम म्युनिसिपेलिटी द्वारा होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—(S) सप्लाई ऑफ मिल्क के लिये तो प्रोवीजन है इस में।

श्री मुक्तिलाल मोदी--भिखारियों के लिये तो नहीं है साहब।

श्री भैरोंसिंह (१६)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव के रूप में माननीय मन्त्रीजी के समक्ष कुछ रखना चाहता हूँ। जैसा कि श्री मोदीजी ने बताया कि भिखारियों के बारे में और दूध के बारे में कोई प्रोवीज़न नहीं है, उनका मतलब था इसकी सब क्लॉज़ (टी) में....

"(t) housing and maintaining destitute orphans and criples and establishing and maintaining maternity centres and child welfare clinics;"

माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ८१ में Primary and secondry Functions of the Boar दिये हुए हैं वह उल्लेख इस कारण से किया है।

"It shall be the duty of every Board to make reasonable provision for the following matters within the municipality under its authority, namely:-"

इसके आगे क्लॉज़ ८२ आता है, जिसमें हमने कुछ कामों के लिए म्युनिसिपेलिटी की स्पेशल ड्यूटीज रखी हैं। मैं यह चाहूँगा कि जहां तक इन अपाहिजों और भिखारियों का, लूले लंगड़े आदमियों का ताल्लुक है, ये लोग हम सब जगह बैठे हुए देखते हैं जो छूत की बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, इन सबके लिए हमें स्पष्ट प्रोविज़िन रखना चाहिए। इसके लिए हम म्युनिसिपलिटी की यह ड्यूटी रखदें कि वे इस काम के लिए रिज़नेबल फंड अलॉट करदे। मैं समझता हूं माननीय मन्त्री महोदय उचित समझें तो आज हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि किसी भी नगरपालिका की यह आवश्यक ड्यूटी होगी, प्राइमरी फंकशन होगा, एक स्पेशल फंकशन होगा कि हर नगरपालिका के क्षेत्र में जितने भी इस प्रकार के रोगी हैं, जितने भी इस प्रकार के भिखारी हैं, जो किसी प्रकार का काम नहीं कर सकते उनकी रेसपोन्सिबिलिटी उस म्युनिसिपेलिटी पर होगी, उसकी रेसपोन्सिबिलिटी सरकार पर होगी। सरकार उन सबका प्रबन्ध करेगी अगर ऐसा सम्भव नहीं तो उनका प्रबन्ध करना पड़ेगा नगरपालिकाओं और पंचायतों को। माननीय अध्यक्ष, सभ्य सरकार के लिए, सोशलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी का नारा बुलन्द करने वाली सरकार के लिए, यह आवश्यक हो जाता है कि वह इन लोगों का प्रबन्ध करे जिनका कोई जरिया मास नहीं, कोई धंधा नहीं। किसी प्रकार के धन्धे के योग्य नहीं, ऐसा व्यक्ति आप जयपुर शहर में देख सकते हैं। चांदपोल दरवाजे के बाहर ऐसे व्यक्तियों की करीब ५०० की संख्या है, इसी प्रकार सांगानेरी दरवाजे और अजमेरी के बाहर सौ की संख्या में आदमी पड़े

Page No 40

[श्री भैरोंसिंह]

हुए मिलेंगे जिनको देखकर मानव का हृदय पिघले बिना नहीं रह सकता। हम इन सारी बातों को देखकर हम अगर ऐसा निर्णय कर लेते हैं कि इनके लिए स्पेशल प्रोविज़न नगरपालिकायें रखें तो इस स्पेशल प्रोविज़न से सभी लोगों को जो कि उस नगरपालिका में रहने वाले हैं उनका इन्तजाम वह नगरपालिका करे। जयपुर के शहर में तमाम राजस्थान के लोग आकर इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसी हालत में उन इकट्ठे हुए लोगों को जबरदस्ती भेज दिया जाय तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। यह जरूरी नहीं होगा कि किसी भी नगरपालिका का रहने वाला वह अपाहिज आदमी हो और किसी दूसरी नगरपालिका पर उसका बोझ पड़े, यह नहीं होगा। इसके लिए नगरपालिकाओं के फण्ड में से या सरकार की सहायता से एक दो जगह यदि इन लोगों के लिए कोई स्थान बनता है तो यह मानवता के नाते आवश्यक है। ऐसे लोगों का प्रबन्ध नगरपालिकाओं के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस क्लॉज़ को इस जगह से हटा कर क्लॉज़ ८२ में एडजस्ट कर दें, म्युनिसपल बोर्ड के लिए यह लाजिमी होगा कि वे ऐसे लोगों के लिए स्पेशल प्रोविज़न रखे, इनके लिए रकम अलाटमेंट हो जो कि इन लोगों पर खर्च हो। आशा है मेरा जो इस प्रकार का सुझाव है उसको स्वीकार करके माननीय मन्त्री महोदय उन हजारों अपाहिजों और भिखारियों के लिए जो कि जीविकोपार्जन नहीं कर सकते, विधान सभा इस तरह का क्लॉज़ पास करके उनका बड़ा उपकार करेगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ८१, ८२,८३ और ८४ जो हैं उन तीनों क्लॉज़ेज़ में ८१ में तो फंक्शन्स हैं, ८२ में स्पेशल ड्यूटीज़ हैं और ८४ में सेकन्डरी ड्यूटीज़ हैं। क्लॉज़ ८२ में जो सेकन्डरी ड्यूटीज़ रखी हैं उसमें अनाथ लोगों के लिये प्राइमरी ड्यूटीज़ में कवर होती है। स्पेशल ड्यूटीज़ जो प्रोवाइड की गई क्लॉज़ ८२ (बी) में वह यह हैं कि :

..."giving relief and establishing and maintaining relief works in times of famine or scarcity, to or for destitute persons within the limits of the municipality."

इमर्जेन्सी में ये कार्य किये जावेंगे, जिसे फेमीन के समय और स्केअरसिटी के समय। भिखारियों के लिए हमने ८४ (डब्लू) रखा है "taking measures for control of beggary". इससे मैं यह समझता हूँ कि जो बात माननीय सदस्य ने कही वह कवर हो जाती है। इस क्लॉज़ के अन्दर सारे प्रोब्लम कवर हो जाते हैं। "81 (t) housing and maintaining destitute orphans and criples and..."

क्लॉज़ ८२ में इमर्जेन्सी के लिए प्रोविज़न रखा है, जब कभी फेमीन का वक्त हो, वरना प्राइमरी ड्यूटी है वह तो म्युनिसिपेलिटी को फंकशन करनी पड़ेगी। If thay got fund they should do.

Page No 41

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि जो बातें माननीय सदस्य चाहते हैं वे इसके अन्दर कवर ह जाती हैं।

"[a] providing special medical aid and accommodation for the sick in times of a dangerous disease and taking such measures as may be required to prevent the outbreak..."

इस प्रकार जहां ऑर्डिनरी ट्रीटमेन्ट की बात आती है, सारा स्टाफ मौजूद है, मेडिकल डिपार्टमेन्ट इसके लिए इन्तजाम करता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८१ को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड ८१ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ८२

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८२ को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८२ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड ८३ व ८४

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ८३ व ८४ को स्वीकार किया जाय।

श्री मुक्तिलाल मोदी—अध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज़ ८४ पर बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप क्या बोलेंगे, इसमें तो कोई बोलने की बात नहीं। अगर आप बोलना ही चाहते हैं तो या तो ऐसा हो कि इस क्लॉज़ का विरोध किया जाय या ऐसा हो कि इसमें कोई सुझाव दिये जांय। अगर सुझाव देते है तो संशोधन आना चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या आप म्युनिसिपल बोर्ड को दूध सप्लाई करने का अधिकार होना चाहिये, इस बात का विरोध करते हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—अध्यक्ष महोदय, इसमें जो बड़े आदमी के आने की बाबत बात है उसका विरोध करना चाहता हूं। उसमें जो सरकारी अधिकारी को अधिकार देते हैं उसका विरोध करता हूं।

श्री भैरोंसिंह—ये सब क्लॉज़ (ओ) पर बोलना चाहते है। अध्यक्ष महोदय, मैंने अमेंडमेंट्स दिए थे लेकिन वे सदन में लिये नहीं गए हैं।

श्री अध्यक्ष—आपने सुबह दिए हैं। आपको अमेंडमेंट्स इन टाइम देना चाहिए। इतना वक्त रहने तक देना चाहिये ताकि सर्कुलेट हो सकें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें दिक्कत होती है कि मैं ओन दी स्पोट में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर ये कोई रिज़नेबल बात बतायेंगे तो मैं हर समय मन्जूर करने के लिए तैयार हूं।

श्री भैरोंसिंह— क्लॉज़ ८४ में सब क्लॉज़ (ओ) है, जिसमें है: "by a resolution passed at a general meeting and supported by one-half of the whole number of members and with the previous sanction of such officer as may be appointed or authorised by the State Government in this behalf, any public reception, ceremony, entertainment or exhibition within the municipality."

मैं इसमें यह चाहूँगा कि यह "and with the previous sanction of such officer as may be appointed or authorised by the State Government in this behalf" may be deleted. और वह इस कारण से है कि...

श्री अध्यक्ष—सारा का सारा क्लॉज़ ही क्यों न डिलीट कर दें। आये दिन यह रहता है कि वह मिनिस्टर आया क्यों, उसका रिसेप्शन क्यों किया गया, इतना खर्चा इसमें क्यों हुआ ? They are targets of criticism.

श्री भैरूंसिंह (१६)—ऐसी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यदि किसी को सार्वजनिक अभिनन्दन देना है या किसी का स्वागत करना है, कोई सेरीमनी करनी है या कोई एग्जीबिशन करनी है तो म्यू० एक प्रस्ताव पास करके, जिनमें पूरी संख्या में से आधे से ज्यादा लोगों का बहुमत हो और फिर भी एक सरकारी अधिकारी से जिसको सरकार नियुक्त करेगी, उससे अनुमति लेकर इस प्रकार का कार्य कराया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—क्या आप इसका विरोध कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह—मैं विरोध कहां कर रहा हूँ। मैं तो इन शब्दों के लिए कह रहा हूँ कि ये शब्द इसमें से हटा दिये जावें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं तो अफसरों को बीच में डालने की बात का विरोध करूंगा।

श्री भैरोंसिंह—मैं तो कहूंगा कि मिनिस्टर जावें, आवें, उनका खूब स्वागत किया जावे।

श्री अध्यक्ष—एम. एल. एज. का नाम भी इन्क्लूड कर दें इसमें ?

श्री भैरोंसिंह (१६)—वे भी आ सकते हैं। म्यु० किसी एम. एल. ए. का स्वागत करना चाहे तो कर सकेगी, पर यह सरकारी अधिकारी इजाजत देगा या नहीं। नहीं देगा तो इसमें दिक्कत पैदा हो सकती है। इस पर किसी प्रकार का आप चेक ही लगाना चाहते हैं तो यों कर सकते हैं ;— "Instead of one-half of the whole number of memebers, we may put a check by keeping 'two thirds' of the whole number of members." यह चेक हो तो हमें ऐतराज नहीं, पर कोई सरकारी अधिकारी चेक करे यह हम टॉलरेट नहीं कर सकते। म्यू० आये दिन नेताओं का और अन्य अन्य लोगों का आये दिन सार्वजनिक अभिनन्दन करती रहती हैं, पर इस प्रकार का प्रीजम्पशन करके कि कहीं पर फिजूल पैसा नहीं बरबाद कर दिया जावेगा सरकारी अधिकारी का अंकुश उस पर लगा दिया जाय तो इसमें यह बात नहीं चल सकती। ऐसे छोटे छोटे कामों में भी जहां जनता चाहे कि हम किसी का स्वागत करना चाहते हैं, हम किसी का प्रदर्शन करना चाहते हैं, हम कोई एग्जीबिशन करना चाहते हैं, तो वह भी जनता अपनी इच्छा से न कर सके और उस पर भी सरकारी अधिकारी का अंकुश रहे तो यह जबर्दस्त गलत चीज होगी। इसलिए निवेदन करूंगा कि इन शब्दों को वे हटा दें : "and with the previous sanction of such officer as may be apointed or authorised by the State Government in this behalf "
और मैं निवेदन करूंगा इनको हटाने से म्यू० को और वहां की जनता को सार्वजनिक स्वागत आदि करने की एक प्रकार की छूट सी होगी और वह अपने बहुमत से ऐसा कर सकेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष, अब तो बोल सकता हूँ। बात साफ हो गई तब तो मैं बोलूंगा। मैं तो अंग्रेजी में समझा नहीं था साहब, अब तो समझ गया पर।

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

क्लॉज़ ८४ में भैरूंसिंहजी ने एक सुझाव दिया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। क्लॉज़ का तो विरोध नहीं करना चाहता परन्तु एक बात कहना चाहता हूँ, हर बात में हर बिल में हर कानून में सरकार क्यों अपने सरकारी अधिकारी को लगाती है ? पहले जयपुर स्टेट के वक्त में और दूसरी स्टेटों के वक्त भी इस तरह की पाबन्दी नहीं लगाई जाती थी। तो हर जगह रोक लगा देना यह तो ठीक नहीं है। जब सारे अधिकार आप प्रजा को दे रहे हैं तो फिर यह अधिकारी बीच में कहां से डाल रहे हैं। किसी का भी, अगर बाहर से आने वालों का या और दूसरे का हम स्वागत करना चाहते हैं और उसमें सौ रुपया भी खर्च करना चाहते हैं तो यह अधिकारी हमें इजाजत देगा तभी होगा, नहीं तो नहीं। फिर इस अधिकारी की और मेहतरों का आपस में सदा से मतभेद रहता चला आया है। तो वैसे भी वह इजाजत देने में आना कानी करेगा, और रोड़े अटकावेगा, म्यू० को अपने मन माफिक कोई काम नहीं करने देगा। तो यह रोक लगाना वाजिब नहीं है। अगर रोक ही लगाना चाहते हो तो २।३ सदस्य कर दो जैसा भैरूंसिंह जी ने कहा है। नहीं तो इस तरह से छोटी छोटी जगह भी सरकार हस्तक्षेप करती रहेगी तो फिर म्यू० चलेगी कैसे ? फिर तो सारी जगह सरकार को ही म्यूनिसिपेलिटी अपनी ही बना लेनी चाहिये। जनता को फिर क्यों अधिकार देने की बात करते हैं, स्वायत्त संस्थाओं को शासन देने की बात ढकोसला है। चुनाव करने में फिर जो हजारों लाखों रुपया सरकार का और लड़ने वाले मेम्बरों का खर्च होता है वह भी बच जावेगा। और जो बहुत सी गड़बड़ियां हैं वे भी बच जावेंगी। सरकार जो टैक्स लगावेगी वह जनता मान भी लेगी, नहीं तो मेम्बरों को तो लगाने पर जनता बुरा भला भी कहती है।

श्री अध्यक्ष—यह टैक्स की बात आगे आवेगी।

श्री मुक्तिलाल मोदी—इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि अधिकारी की जो रोक लगाई गई है वे शब्द इसमें से निकाल दिये जावें।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, इस बारे में एक निवेदन है कि फर्स्ट रीडिंग के वक्त इसमें से एक महत्वपूर्ण बात आने से रह गई। वह यह कि पांच हजार की आबादी पर जिला म्यू० बोर्ड है, उस संस्था में ग्राम पंचायतें हैं, उस परिस्थित में कभी कभी तो वहां के सिविल और क्रिमिनल जुरिडिक्शन के लिये ४०-५० मील आदमियों को जाना पडता है। इस बारे में फर्स्ट रीडिंग के वक्त काफी बहस हुई थी। पर वह इसमें आने से रह गया। इसलिये निवेदन करूंगा कि उनको चालीस पचास मील लोगों को न जाना पड़े, और व्यापार में भी उनको सहूलियत रहे, परेशानियों से बच जावें इस दृष्टि से यदि इस में यह प्रोविज़न कर दिया जावे कि विशेष परिस्थिति है तो टाउन म्यूनिसिपल बोर्ड में सिविल ज्यूरिरिडक्शन वेस्ट कर दिया जावे तो छोटे छोटे मामलों में लोगों को दिक्कत नहीं होगी। वरना कई जगह तो ऐसी नजीरें हैं कि म्यू० बोर्ड रखना

[श्री सोहनलाल भटनागर]

नहीं चाहते । तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस बारे में जरूर कुछ सोचा जावे और यह कहा जावे कि ऐसा कहीं और किसी प्रान्त में नहीं है, बिल्कुल यह एक नई चीज है तो इसे एक नई चीज समझ करके और भी कई नई चीजें की गई हैं उनके साथ यह भी किया जावे ।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ८४ पर जो बहस हो रही है उसमें :

"The Boards may, at their discretion......"

अब सवाल यह आता है कि आजकल की जो गवर्नमेन्ट है जो समाजवादी ढांचे की स्थापना करने जा रही है तो इस सूची में सबसे पहले जो आर्थिक नीति के बारे में 'distribution of scarce resources between means and ends आते हैं तो हमको इन फन्क्शन्स को भी एक दूसरे दृष्टिकोण से देखना पडेगा ।

जब हमने म्युनिसिपेलिटी के प्राइमरी फंक्शन्स देखे तो वे कोई ऐसे महत्वपूर्ण नहीं हैं, जो हमने रक्खा है, क्योंकि बोर्ड की सबसे ज्यादा ड्यूटी है सोशल सर्विस प्रोवाइड करने की । यह आपने जो बात 'Social service taking measures for control of beggary' यह सेकन्डरी फन्क्शन में रक्खा है । यह बोर्ड में टेक में रक्खा है । बोर्ड का यह फंक्शन जरूरी है । मनी भरा करे, ऑक्ट्राय टैक्स लगा सके । जब फाइनेन्सेज़ को सुधारना चाहती है यह सरकार और इसकी आड़ देती है तो बोर्ड की ड्यूटी हो जाती है कि सोशल सर्विस को एक्सटेन्ड स्केल पर ले, जिससे शहरों में बेगर्स न रहें । आर्थिक समस्या और सोशल सर्विस अच्छी स्केल पर रहे ।

बाहर की कन्ट्रीज़ में बोर्डों के फन्क्शन्स मैंने जांचे हैं । यहां ये जो बातें प्राइमरी फंकशन्स में रक्खी हैं वहां ये बहुत सी चीजें नहीं रखी जातीं । हमने जो चीजें सेकन्डरी फंक्शन में रक्खी हैं उनमें से बहुत सी बातें उन्होंने प्राइमरी फंक्शन्स में रखी हैं ।

"That the Boards may provide at their discretion" यहां म्युनिसिपल बोर्ड में प्राइमरी फंक्शन्स ये रक्खे गये हैं पर बाहर क्या हैं, विलायतों में हरेक कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन के अन्दर जो गरीब बच्चे हैं उनको म्युनिसिपल बोर्ड या काउन्टी कौंसिल को दूध सप्लाई करना लाजिमी हो जाता है । और भी काउन्टी कौंसिल की रेस्पोन्सिबिलिटी है कि एक मील पर्ड प्रोवाइड करे । अब उसमें यह रखा है कि मे टेग' तो म्युनिसिपल बोर्ड यह कह देगा कि फन्ड्स परमिट नहीं करते हैं, तो जो प्राइमरी फन्क्शन्स हैं सफाई के, सेनीटरी फन्क्शन हैं उसको म्युनिसिपल बोर्ड ले लेगा । तो यह सेकन्डरी फन्क्शन्स हैं उनको ओब्लीगेटरी कर देने चाहिए । इसके लिए 'मे' की जगह 'शैल' लिख देते है तो यह हो जायगा । उसमें मिल्क सप्लाई, कन्ट्रोल ऑफ बेगरी यह सब चीजें आजायेगीं । कहीं सवाल आता है कि इनको सेकन्डरी फन्क्शन्स में रखते हैं और रिसीप्शन और

[श्री मानसिंह महार]

सेरेमनीज़ तो प्राइमरी फन्कशन हैं म्युनिसिपल बोर्डस का। अभी अभी एक्सपीरियन्स हुआ था कि शाहे इरान भरतपुर में आये थे। तो यह फन्क्शन डिस्चार्ज करना चाहिए था म्युनिसिपल बोर्ड को। पब्लिक रिसीप्शन म्युनिसिपल बोर्ड को करना चाहिए था, मगर वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने स्पेशली एक कमेटी बनाकर गैर आदमी को मानपत्र पेश करने के लिए कह दिया। नतीजा यह हुआ कि पब्लिक रिसीप्शन के थैंक्स उन्होंने पब्लिक को नहीं दिये, थैंक्स मिले हिज़ हाइनेस को और रिसीपशन होता है पब्लिक की तरफ से। खर्चा होता है पब्लिक की तरफ से। म्युनिसिपल बोर्ड जो कि सिविक रिसीपशन के इन्टाइटल्ड हैं उसको उसके सेकन्डरी फन्कशन्स के अन्दर रखा है। उन्हें इसके लिए सम्पचुरी एलाउन्स वगैरह निकलता है, तो यहां देना चाहिए। इस फन्कशन को यहा से ट्रान्सफर करके प्राइमरी फन्क्शन में रखना चाहिए। आजकल हमारे यहां विज़ीटर्स काफी आते है। उनके रिसीप्शन के लिए न तो हिज़ हाइनेस के गैस्ट रहें न एम. एल. एज. के रहे और न मिनिस्टर साहब के रहें। जब एक टाउन में म्युनिसिपेलिटी है तो उसके गेस्ट हैं। यह उसकी रेस्पोन्सिबिलिटी है। इसलिए माननीय मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इन सोशल सर्विसेज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए जिसको मैं समझता हूँ म्युनिसिपेलिटीज़ का प्राइमरी फन्क्शन है। इसलिए सिवाय सोशल सरविसेज़ के और किसी के ऊपर एक्सेसाइज़ न किया जाय। यह बड़ी महत्वपूर्ण सोशल सरविस है। यह उनका प्राइमरी फन्क्शन है। यह म्युनिसिपेलिटी पर ओब्लीगेटरी होना चाहिए कि वह इस फन्क्शन को डिस्चार्ज करे। जब कि वह डिस्क्रिशनरी टेक्सेज़, ऑक्ट्राय लगाती है, उसकी बारोइंग की पॉवर्स हैं, उसको ग्रान्ट्-इन एड मिलती है तो यह फन्क्शन क्यों नहीं हो जिससे कि राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर शहर के रहने वालों का ऊंचा हो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक सब क्लॉज़ (ओ) के बारे में कहा गया है कि अगर म्युनिसिपल बोर्ड पब्लिक रिसीप्शन, सेरेमनी, एन्टरटेनमेंट या एक्जीबिशन करे तो ऑफिसर की सेन्क्शन नहीं होनी चाहिए। मैं समझता था और मुझे डर था कि दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य उल्टी बात कहेंगे, यानी इस बात के खिलाफ होंगे क्योंकि मिनिस्टर्स बहुत ज्यादा जाते हैं और उनका रिसीप्शन होता है वह नहीं होना चाहिए। मेरा डर गलत निकला। वह इसको और लिबरल बना देना चाहते हैं और कहते हैं कि ऑफिसर्स की सेन्क्शन नहीं होनी चाहिए। मुझे और आपत्ति नहीं है। अगर म्युनिसिपेलिटी के पास फन्ड्स नहीं हों तो कुछ चेक होना चाहिए। इसलिए यह रखा गया है। यह बात ठीक है। गवर्नमेंट का कोई डिग्निटेरी आता है और म्युनिसिपल बोर्ड को किसी ऑफिसर की सेन्क्शन लेने की आवश्यकता है, लेकिन कलेक्टर बहुत दूर रहता है तो दिक्कत आ सकती है। मेरी मुश्किल दोनों तरफ से है कि एक तरफ तो म्युनिसिपल बोर्ड के रुपये का दुरुपयोग नहीं हो और दूसरी तरफ म्युनिसिपल बोर्ड के काम में रुकावट नहीं हो। मैंने ५ साल तक किसी को म्युनिसिपेलिटी की तरफ से एन्टरटेनमेंट नहीं दिया, और मैं कहीं पर जाता हूँ तो मैंने मना कर रखा है, इसलिए एन्टरटेनमेंट और रिसिप्शन का सवाल नहीं होता है। लेकिन फिर भी डिग्निटरीज़ गवर्नमेंट्स के आते हैं तो सेन्क्शन में टाइम

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

लग जाय। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि 'with the previous sanction of such officer as may be appointed' यह जो हैं इसको मेरी तरफ से एमेंडमेंट मानकर हटा दिया जाय। और जहां तक भरतपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैं पहले उनका मुबारकबाद देता हूं कि वे हिन्दी में बोले हैं। पहली दफा हिन्दी में मैंने उन्हें सुना है, और उन्होंने जो बात कही है बेगर्स के बारे में, तो मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में प्राइमरी फन्क्शन्स में (टी) में प्रोवाइड कर रखा है, आरफन्स के हाउसेज मेनटेन करने के लिए उसमें रेफर हो जाता है। जहां तक बेगर्स को कन्ट्रोल में लाने की बात है वह (टी) में प्रोवाइड कर रखा है। मैं समझता हूँ कि म्युनिसिपेलिटी के फन्क्शन्स जो कि प्राइमरी बताये हैं वे ऐसे फन्क्शन्स हैं कि उनके बिना म्युनिसिपेलिटी चल नहीं सकती, और जो काम सेकन्डरी बताये हैं उनके लिए अगर म्युनिसिपेलिटी के पास फन्ड्स हो और वे लेना चाहे तो कोई रुकावट नहीं है। इस समय म्युनिसिपेलिटीज़ की हालत ऐसी है कि मेजोरिटीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन बिना गवर्नमेंट से लोन लिये नहीं चल सकता है। इतनी खराब हालत है उस सूरत में इनको ओब्लीगेटरी बना देंगे तो वह फार्म होगा। If they want to do and they have got funds, they can do it. जो प्राइमरी फन्क्शन्स दिये हैं ऑलरेडी उनमें ही पोजीशन यह है कि प्राइमरी स्कूल को मेनटेन करना, हॉस्पिटल को मेनटेन करना और इस तरह के जो कम्पलसरी फन्क्शन्स दिये गये हैं वही पूरे नहीं हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें कोई रुकावट की बात नहीं है। वह क्लॉज़ जिस तरह से हैं उस तरह से ही स्वीकार की जानी चाहिये और जो मैंने एमेन्डमेंट सब क्लॉज (ओ) के बारे में किया है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८४ के सब क्लॉज़ (ओ) में जो संशोधन श्री बद्री प्रसाद गुप्ता ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ८४ को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

खंड ८४, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ।

(विराम)

खंड ८५ व ८६

(विराम)

टेक्सेशन पर आ रहे हैं क्या ?

(विराम)

खण्ड ८५ व ८६

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ८५ और ८६ स्वीकार किये जांय ?

(स्वीकृत)

खंड ८५ और ८६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

खंड ८७, श्री सोहनलाल भटनागर । The whole is redrafted ?

श्री सोहनलाल भटनागर—जी हां ।

माननीय अध्यक्ष, म्युनिसिपेलिटी के जो कार्य और फन्क्शन्स उनको दिये हुए हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । और जैसे जैसे समाज का विकास होता रहता है वैसे २ उनके फन्क्शन्स का भी विकास होता रहता है । लेकिन इसके साथ ही जो फन्क्शन उनको करने हैं उनको थोड़ा सा देखेंगे तो उनकी आमदनी के क्या जरिये हैं उसको भी देखना बड़ा ही आवश्यक होता है । बिना आमदनी के कोई कार्य म्युनिसिपल बोर्ड ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं और इसी वजह से टेक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी ने इस चीज़ के बारे में काफी सोच-विचार किया और उसके बाद उन्होंने यह निर्णय कर लिया कि "That brings us to the point that, apart from growth and development, the crux of the problem of local bodies is finance. The sources of local finance may be thus clalsified:

(1) revenue from taxation by the local bodies-

(a) taxes levied and collected by the local bodies themselves or by other bodies as their agents;

(b) taxes levied by the local bodies and collected by the State Government;

[श्री सोहनलाल भटनागर]

(2) assignment of shares of taxes levied and collected by the State Government;

(3) grants-in-aid from the State Government; and

(4) revenues from non-tax sources under the control of the local bodies."

"While local finance thus extends far beyond local taxation it is clear that a sound system of local finance should as a rule rest on a sound foundation of local taxation. In other words, the receipts body in the same way takes the responsibility in the fixation of rates, collection, etc, should provide the basic revenue, and the additional finances needed should be supplied by other methods."

तो इस तरह से टेक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने लोकल टेक्सेशन केवल म्युनिसिपेलिटी के लिए रखे हैं। इस चीज़ को देखते हुए उनसे कौन कौन से टेक्सेज़ लिये जा सकते हैं उनके बारे में पेज ३६२ में उन्होंने रिकमन्ड किया है।

"The taxes to be reserved for exclusive utilisation should be as may, in fact, be devolved on local bodies. In the result we recommend that the following taxes should be reserved for local bodies in the sense we have already explained.—

(1) Taxes on lands and buildings;

(2) Taxes on the entry of goods into the area of local authority for consumption, use or sale therein, popularly known octroi;

(3) Taxes on vehicles other than those mechanically propelled;

(4) Taxes on animals and boats;

(5) Taxes on professions, trades, callings and employments; and

(6) Taxes on advertisements other than advertisements published in the newspapers"

(श्री हिम्मतसिंह (अटरू), सभापति पदासीन)

Page No 50

[श्री सोहनलाल भटनागर]

"In addition to these, we consider two other taxes viz., the theatre or show tax, and the duty on transfer of property (levied along with the stamp duty collected by the Goverument) as suitable taxes for utilisation by local bodies and recommended that the State Government should permit local bodies to levy these two taxes. The duty on transfer of property would be collected through Government agency and should appreciably, augment the revenues of local bodies."

इस तरह किस तरह से टेक्स लगाये जा सकते हैं, इसमें विवरण दिया है। माननीय चेयरमेन, मैं निवेदन करूंगा कि टेक्सेज लगाने के सम्बन्ध में कई उदाहरण म्यूनिसिपेलिटीज में होते हैं कि टेक्सेज लगाने से झिझकते है सदस्य नये इलेक्ट होकर आते है, वे नहीं चाहते कि टेक्सेज लगाये। उनका कार्यक्षेत्र तो बड़ा होता है लेकिन उनकी फाइनेन्शियल स्थिति खराब होती है। इसलिए टेक्सेशन कमीशन ने भी कहा कि कोई कम्पलसरी तरीका निकाला जाय, पेटर्न कायम कर दिया जाय और सब म्युनिसिपेलिटीज के टेक्सेज ओब्लीगेटरी रखना है। उन्होंने कहा है.......

"Besides the six taxes recommended for reservation for local bodies, the theatre or show tax and the duty on transfer of property are suitable for levy by municipalitles and municipal corporations. The Acts governing these bodies should contain provisions which ensure, and not merely enable, the lavy of all these taxes."

उन्होंने कहा है कि कम्पलसरी लेवी हो न कि अनेबिल लेवी हो। मर्जी चाहे तो लगा सके और नहीं मर्जी हो तो नहीं लगा सकें।

श्री भैंरूसिंह—माननीय चेयरमेन, कोरम नहीं है।

(गण पूरक घण्टी के पश्चात् पुन:)

श्री सोहनलाल भटनागर—तो माननीय चेयरमेन, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ही मैंने यह तरमीम पेश की है। ७ तरह के टेक्सेज के लिए लिखा है...

"Obligatory taxes. Every board shall levy, at such rate and from such date as the State Government may in each case direct by notification in the Rajasthan Gazette and in such manner as it laid down in this Act and as may be provided in rules made by the State Government in this behalf, the following taxes, namely:-

(1) a tax on the annual latting value of buildings or lands or both, situated within the municipality.

[श्री सोहनलाल भटनागर]

(2) a tax on vehicles and other conveyances playing for hire or kept within the municipality:

(3) a tax on dogs kept within the municipality,

(4) a tax on animals used for riding, driving, draught or burden, when kept within the municipality,

(5) a toll on vehicles and other conveyances and on animals entering the municipality.

(6) an octroi on goods and animals brought within the muncipality for consumption or use therein, and.

(7) a tax on boats moored within the muncipality :

तो ये सात तरह के टेक्सेज हैं। हाउस टेक्स, विहिकल टेक्स वगैरा। ये म्युनिसिपेलिटी के लिए मेन सोर्सेज आफ इन्कम है और मैंने निवेदन किया कि इनको आब्लीगेटरी रख दिया जाय। इसमें एक्जम्पशन दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को और सेन्ट्रल गवर्नमेंट को।

(i) "any property to the Central Government, or

(ii) any property of the State Government."

उसी तरह से यदि पब्लिक वरशिप की प्रोपर्टी होगी तो वहां पर वह लागू नहीं होगा और कोवेनेन्टिंग स्टेट्स के रूलर्स के साथ जो मुआहदे है उनके अनुसार ऐसे टेक्सेज़ नहीं लग सकेंगे उनका भी इसमें समावेश किया गया है। उनकी वेहिकल्स, प्रोपर्टी व एनीमल के लि भी किया है।

मोटर वेहिकल्स के सम्बन्ध में यह किया है कि :

"No tax under clause (2) or clause (5) shall be leviable in respect of any motor vehicle as defind in the Motor Vehicles Act (Central Act 4 of 1939) or any other mechanically propelled vehicles.

तो मोटर विहिकल्स एक्ट के अन्तर्गत जो टेक्सेज हैं वे उन पर लागू नहीं होंगे। पुलिस फोर्स की बाईसिकल या घोड़ा होगा, ड्यूटी के सम्बन्ध में उन पर कोई टेक्स नहीं लगेगा।

[श्री सोहनलाल भटनागर]

(E) में है कि "The State Government may, if in its opinion reasonable grounds exist for so doing, grant and define, by notification in the Rajasthan Gazette, other exemptions in exceptional cases from payment of taxes leviable under this section." इसके साथ ही राजस्थान गवर्नमेन्ट को ये अधिकार दिये हुए हैं कि वह चाहे तो एक्जेम्प्ट कर सकती है। मैं निवेदन करूंगा कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। लिस्ट बडी है, इसमें सदन चाहे तो एक आध कम कर सकता है, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर वाद विवाद करके इसको पास किया जाय।

श्री भैरोंसिंह (१६)—माननीय चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ ८७ जिस पर हम अभी विचार कर रहे हैं, यह धारा इस सारे बिल का कलेजा है, ऐसा यदि मैं कहूं तो बहुत ठीक होगा। अब तक हम इन बातों पर विचार करते आ रहे थे कि म्युनिसिपेलिटीज़ की प्राइमरी ड्यूटीज़ क्या होंगी? ओब्लीगेटरी ड्यूटीज़ क्या होंगी, सेकन्डरी ड्यूटीज़ क्या होंगी? म्युनिसिपेलिटी स्पेशल प्रोविज़न किन किन बातों के लिए रख सकेगी और उनके अलावा म्युनिसिपेलिटीज़ का निर्माण किस प्रकार से होगा? इन सब बातों पर हमने विचार किया। लेकिन अब जिस क्लॉज़ पर विचार विनिमय हो रहा है वह क्लॉज़ है कि उस म्युनिसिपल बोर्ड के पास जो कुछ हमने उसको कार्य करने के लिए दिये हैं उन कार्यों के संचालन के लिए धनराशि कहां से आवेगी? उसके रिसोर्सेज़ क्या क्या होंगे? और उन रिसोर्सेज़ के लिए किन किन चीजों पर टेक्स लगाया जा सकेगा?

माननीय सभापतिजी, क्लॉज ८७ के सब क्लॉज़ (१) में इस बात का उल्लेख है कि:

Subject to the other provisions of this Act and to general rules or special orders of the State Government in this behalf, the taxes which a Board may impose in the whole or any part of a Municipality are."

म्युनिसिपेलिटी नीचे लिखे टैक्स किस पर लगा सकती है? एक तो "subject to the other provisions of this Act." दूसरा तरीका होगा "and the general rules" और कोई जनरल रूल्स बने हुए होंगे उनके कारण और तीसरा है" speceal orders of the government on this behalf" स्पेशल ऑर्डर्स के द्वारा। अब तक हम ये बातें करते आ रहे थे कि म्युनिसिपल बोर्ड को जहां तक हम ज्यादा से ज्यादा अधिकार दे वहां तक वह अच्छा होगा। म्युनिसिपल बोर्ड के फन्कशन्स में यदि रोजमर्रा के तरीकों पर हम उसमें दस्तान्दाजी करेंगे तो उस दस्तान्दाजी का एक तरीका यह होगा ही कि म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य उनमें दस्तान्दाजी से भाग नहीं ले सकेंगे और दूसरा तरीका यह होगा माननीय चेयरमेन, कि हम म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों को नाम मात्र के सदस्य बना कर छोड़ेंगे। टेक्स लगाने के सम्बन्ध में आज कोई सामुहिक रूप से विरोध करे।

[श्री भैरूं सिंह]

मैं समझता हूं कि कोई व्यक्ति नहीं होगा। सब की ऐसी इच्छा है कि जहां तक संभव हो म्युनिसिपल बोर्ड के फन्क्शन्स को लागू करने के लिये, फन्क्शन के संचालन के लिए जितना जिस प्रकार से गरीब जनता से कम टेक्स लिया जाय उतना ही अच्छा है। गरीब लोगों से टेक्स लिया जाकर गरीब लोगों के लिए ही उसका उपयोग किया जाय तो वह अच्छा है। यदि नगरपालिका स्वंयम् ऐसा सोचती हैं कि उसको अपने फंक्शन्स के लिए किसी धन राशि की आवश्यकता है तो वह धनराशि स्वंयम् अपनी मर्जी, वह धनराशि स्वयम् अपनी आवश्यकता के अनुसार, धनराशि के लिए जनता की आर्थिक स्थिति के अनुसार, उसी प्रकार के टेक्सेज़ इम्पोज़ करे और उन टेक्सेज़ द्वारा धनराशि इकट्ठी करके उन कार्यों में लगाये तो अच्छा है। लेकिन इस धारा के शुरूआत में ही हमने एक अनडेमोक्रेटिक एटोट्यूट अपनाया है। म्युनिसिपल बोर्ड की इच्छा हो या नहीं, म्युनिसिपल बोर्ड के निवासियों की इच्छा हो या नहीं, जनता की आर्थिक स्थिति ठीक हो या नहीं, लेकिन फिर भी हमारी सरकार को अधिकार होगा कि उस नगरपालिका को हुक्म दे कि तुमको इतना और इस तरीके से टेक्स लगाना पडेगा और म्युनिसिपल बोर्ड को उस हुक्म को तामील में जिस प्रकार सरकार आदेश देगी उसी प्रकार टेक्स लगाना पडेगा।

माननीय चेयरमेन, हमारे सामने बड़ी बड़ी नगरपालिकाओं के कार्य देखने को आये हैं। जयपुर नगरपालिका, जोधपुर नगर पालिका, बीकानेर नगरपालिका, उनमें जितने भी आज कल टेक्स लगे हैं उन टेक्सेज़ का जनता ने विरोध किया है।

हाल ही में जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल के एडमिनिस्ट्रेटर ने ऑक्ट्राय ड्यूटी इम्पोज़ की। न्याय यह कहता है कि जहां कोई इलेक्टेड नगरपालिका नहीं है और जहां पर सरकार द्वारा नोमिनेटेड ओफिसर काम करते हैं उनको किसी भी डेमोक्रेटिक इन्सटिट्यूशन की आड़ में डेमोक्रेटिक इन्सटिट्यूशन के अधिकार हों यह बिल्कुल गलत है। उसको कोई अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह जनता की बिना राय के जनता पर कोई टेक्स इम्पोज करदे। एक दफा जयपुर की नगरपालिका ने जो जनता द्वारा चुनी हुई थी, इस ऑक्ट्रोय ड्यूटी का विरोध किया और जयपुर की समस्त जनता ने भी उसका विरोध किया। उसके फलस्वरूप जो ऑक्ट्रोय ड्यूटी इम्पोज़ की जाने वाली थी उसको सस्पेन्ड कर दिया गया। उसके बाद एक कमेटी नियुक्त की गई उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस बात की इच्छा जाहिर की कि ऑक्ट्रोय इम्पोज़ की जानी चाहिये, लेकिन जो कमेटी के सदस्य थे और जो रिपोर्ट तैयार करने वाले थे उन्होंने जनता की आर्थिक स्थिति का अवलोकन नहीं किया था बाद में जनता ने ऐतराज किया जब यह हुआ कि जनता ऑक्ट्रोय देने की स्थिति में नहीं है इसलिये यह इम्पोज नहीं की जाय। लेकिन दुबारा फिर इस आड़ में कि जयपुर नगरपालिका की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, कई सुधार के काम पडे हुए हैं और वे काम जब तक ऑक्ट्रोय लगाकर पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकेंगे, इसलिये दुबारा ऑक्ट्रोय टेक्स लगाने का नोटीफिकेशन गजट में आया हुआ। सरकार ने एक चालाकी की कि दिवाली के उपलक्ष में जनता काम में लग रही है इस समय ऑक्ट्रोय

[श्री भैरूंसिंह]

लगाया जावे ताकि जनता हिल डुल नहीं सकती और दूसरे ही दिन राम राम के साथ जनता टेक्स देना शुरू कर देगी लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि जनता ने निश्चय कर लिया कि टेक्स नहीं देना है, फिर ऐसा मौका बना कि इसे सस्पेन्ड करना पडा। तीसरी बार सरकार ने बिल्कुल निश्चय कर लिया कि यदि टेक्स नहीं इम्पोज़ किया जायगा और बाद में चुनी हुई नगरपालिका आती है तो वह इम्पोज़ नहीं कर सकेगी, इसलिये अच्छा यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर द्वारा ऑक्ट्राय इम्पोज़ करादी जाय ताकि जनता देती रहे। इसके लिये सरकार ने एक अजीब तरीका निकाला केवल इसलिये कि ऑक्ट्रोय के सिद्धान्त को स्वीकार कराया जाय। उसके लिये जितना मामूली से मामूली टेक्स हो सके वह मामूली से मामूली टेक्स जयपुर की जनता पर लगाया जाय। इसमें सरकार ने थोडी सी समझदारी की, लेकिन थोड़ा सा यह समझती कि जयपुर की जनता ऑक्ट्रोय के प्रिंसिपल के खिलाफ नही है बल्कि जयपुर की जनता इस बात के लिये खिलाफ है कि पहले जयपुर नगरपालिका के अकाउन्ट्स बतायें जांय और आमद के मद हमें बताये जांय और यह बात स्पष्ट की जाय कि जयपुर नगरपालिका के जिन मुद्दों पर सरकार ने कब्जा किया है उनमें से किन किन को नगरपालिका अपने अधिकार में कर सकती है या किन किन पर उसका अधिकार क्षेत्र है। पहले यह निश्चय किया जाय। इन मुद्दों के अधिकार में आने के बाद यह बताया जाय कि आया नगरपालिका फिर भी घाटे में है या नहीं। लेकिन फिर भी उनकी मांग को ठुकरा दिया गया। इसलिये ठुकराया गया कि जयपुर में ऑक्ट्रोय सिद्धान्त पर लागू करना चाहते हैं इसलिये कम से कम कर लगाने का नोटिफिकेशन निकाल कर टेक्स इम्पोज़ किया गया।

यही सूरत जोधपुर में भी आई। जोधपुर की जनता भी इन्हीं कारणों से ऑक्ट्रोय का विरोध कर रही थी। सरकार ने वहां भी एडमिनिस्ट्रेटर के जरिये टेक्स इम्पोज़ करने का ऑर्डर दिया। लेकिन जयपुर और जोधपुर की ऑक्ट्रोय ड्यूटी की दरों में विशेष प्रकार का अंतर है। जहां जयपुर में १ रु० पर १ पैसा है, वहां जोधपुर में १ रु० पर ऑक्ट्रोय कर डेढ़ आना है। जहां जयपुर में कई चीजों पर तौल पर टेक्स है वहां जोधपुर में उन्ही चीजों पर गिनती पर टेक्स है, जहां एक मण पर जयपुर में टेक्स का एक पैसा है, वहां जोधपुर में उसी चीज पर मण पर चार आना टेक्स लगाया गया है। इसलिये जयपुर में और जोधपुर इन दोनों नगरपालिकाओं की हालत में एक दूसरे से अंतर है, इसलिये एक जगह ज्यादा लगाया गया और दूसरी जगह कम लगाया गया। वे चाहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्यूशन्स प्रोटेस्ट न करें और जनता की आवाज को किस प्रकार कुचलें इस बात की कोशिश करें। उनको इस बात की चिन्ता नहीं है कि पैसों की कमी है ही नहीं। जोधपुर में ज्यादा क्यों लगाया, क्या इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जस्टिफाइड है इस बात की उनको चिन्ता नहीं है, लेकिन उन्हें चिन्ता इस बात की है कि चुनाव के समय विरोधी दल सभी एक मत होकर नारे नहीं लगावें कि नगरपालिकाओं के जिन मदों पर सरकार ने कब्जा कर लिया है उन मदों को यदि नगरपालिका को नहीं देते हैं तो हम कोई टेक्स नहीं लगावेंगे, न तो ऑक्ट्रॉय लगावेंगे और न हाउस टेक्स लगावेंगे, बल्कि जितने टेक्स लगाये गये हैं उनको भी रिलेक्स

[श्री भैरूं सिंह]

करना होगा तो हम उनको भी रिलेक्स करेंगे । लेकिन बदकिस्मती यह है कि चुनाव जीतने हैं। इस तरह के अगर स्लोगन्स लगायेंगे तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं जीत सकेगी। कांग्रेसवाले कहते हैं कि टेक्स लगाओ और मजदूर वर्ग के लोग कहते हैं कि हम टेक्स नहीं लगावेंगे क्यों कि जनता देने लायक नहीं है। विरोधी दल वाले यह कहेंगे कि हम पहले उन मदों पर कब्जा करेंगे जिन पर सरकार ने कर रखा है और बाद में यदि जरूरत होगी तो जनता पर कर लगायेंगे एसी हालत में चुनाव के समय जनता कहेगी कि कांग्रेस के केन्डिडेट्स को हराया जाय और विरोधी दल के केन्डिडेट्स को जिताया जाय, लेकिन यह सरकार बर्दास्त नहीं कर सकती। इसलिये सरकार चाहती है कि जनता की भवना को कुचला जाय जनता चाहे या न चाहे लेकिन एक दफा ऑक्ट्रोय को मंजूर करवालें। यदि नहीं माने तो लाठी के जोर से मंजूर करवाया जाय और वही उपाय किया गया। लोगों को मजबूर किया गया ऑक्ट्रोय के सिद्धान्त को मानने के लिये। यदि म्युनिसिपेलिटीज़ की हालत खराब है तो लोन्स लें या और किसी तरह का प्रबन्ध करें, लेकिन जनता पर किसी प्रकार का टेक्स नहीं इम्पोज़ करें। लेकिन आज से १५ दिन पहले एड-मिनिस्ट्रेटिव ओफिसर ने एक गजट नोटिफिकेशन लागू किया कि कम आमदनी वालों पर भी हाउस टैक्स लागू किया! मैंने जयपुर की जनता पर लगने वाले हाउस टैक्स के नोटिफिकेशन को स्टडी किया। उसको सब क्लॉज़ (१) में लिखा है ;

"a tax on the annual letting value of buildings or lands or both..."

यहां हमें यह देखना पड़ेगा कि हम किसी भी मकान पर टैक्स लगावें लेकिन जिस मकान पर टैक्स लगाते हैं उस मकान के मालिक टैक्स देने की स्थिति में है या नहीं, उस मकान मालिक की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी आमदनी का जरिया मास क्या है, उसके पास जीवन निर्वाह का साधन क्या है? इस पर यदि हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इस मकान मालिक के आमदनी का जरिया केवल मकान किराया है तो उसके बाद १० रु०, ५ रु० या २ रु० माहवार किराया लेने वाले पर भी हम हाउस टैक्स लगायेंगे तो यह किस प्रकार का न्याय होगा। जयपुर की गलियों में जाकर देखें, जोधपुर के मकानों में जाकर देखें, तो पता चलेगा कि कई विधवा औरतें या गरीब आदमी अपने मकान के एक कोने में पड़े रहकर बाकी का हिस्सा किराये पर देते हैं और उसकी आमदनी से अपना माहवारी खर्चा चलाते हैं। हम अब उनको कहेंगे कि तुम को हाउस टैक्स देना पड़ेगा तो मैं यह कहूँगा कि आप गरीबों का कलेजा निकालना चाहते हैं। और यदि आप यह चाहते हैं कि गरीबों के पास एक पैसा भी नहीं रहे तो फिर मैं भी आपका सपोर्ट करूंगा कि सरकार गरीबों को कुचले। इसे हम भी समझने की चेष्टा करेंगे। लेकिन जिस प्रकार की धारा है :

"a tax on the annual letting value of buidings or land or both...."

उसके द्वारा यह होगा कि म्युनिसिपेलिटी के बारे में सरकार को हम खुली छूट दे रहे हैं जिसके द्वारा १ रु०, २ रु० या ३ रु० माहवार किराया कमाने वालों पर भी सरकार चाहे जब

[श्री भैरूंसिंह]

हाउस टैक्स इम्पोज करेगी और वह वसूल किया जायगा। इसके बारे में बार-बार दलील दी जाती है कि हमें सड़कों का प्रबन्ध करना पड़ेगा, लाइटिंग चार्जेज़ देने पड़ेंगे, सफाई के चार्जेज़ देने पड़ेंगे, स्वीपर्स के चार्जेज़ देने पड़ेंगे। और इसी प्रकार के और भी कई चार्जेज़ देने पड़ेंगे, इन जन सेवा के कार्यों केलिए हम जनता से हाउस टैक्स के रूपमें कुछ वसूल करना चाहते हैं।

बाहर गांवों में भी माननीय अध्यक्ष, जिस समय जागीरदारों का राज्य था उस वक्त धूआं बाछ के नाम से टैक्स लिया जाता था। परन्तु उस समय में भी धूंआ बाछ का टैक्स गरीबों से नहीं लिया जाता था, केवल बड़े-बड़े महाजन लोगों से मालदार लोगों से उन लोगों से धूंआ बाछ वसूल की जाती थी, पर आज की हमारी प्रजातन्त्र सरकार, सामन्ती सरकार को बुरा बताने वाली सरकार आज कोई भी टैक्स इम्पोज़ करना चाहती है तो उसमें किसी प्रकार का भेद भाव नहीं करना चाहती, कोई भी आदमी चूंकि वह उस नगरपालिका में रहता है इसलिये उसे उस मकान का टैक्स देना पड़ेगा। जब तक कि मन्त्री महोदय ऐसा एक्सेप्शन नहीं लाना चाहते कि जो लोग कम किराया लेते हैं, या जो वे किराया लेते हैं वही एक मात्र उनके जीवन निर्वाह का साधन है, जो किराया लेते हैं वह उनके जीवन निर्वाह लायक है, उनसे टैक्स नहीं लिया जायगा, उन पर इस तरह का टैक्स इम्पोज़ नहीं किया जायगा, तब तक यह धारा निश्चित रूप से, लाजिमी तौर से यह धारा उन लोगों को बेघरबार करने वाली, परेशान करने वाली और जीवन निर्वाह के साधनों से हीन बनाने वाली सिद्ध होगी। इसलिए मैंने इस धारा में एक संशोधन प्रस्तुत किया, वह संशोधन है :

Part (1) of sub-clause (1) : Add the the following proviso, namely

"Provided that no such tax shall be imposed when the annual letting value of buildings or lands is less than twenty rupees in a city and ten rupees in a town."

संशोधन आपके पास पहुँच गया होगा?

तो मैं निवेदन कर रहा था कि हम कम से कम यह दृष्टिकोण अपना कर चलें कि कम से कम शहरों में जिनको २० रुपये किराये के मिलते हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिये, और बाहर कस्बों में जिसको १० रुपया किराए के मिलते हैं उन पर इस प्रकार का टैक्स बिल्कुल नहीं लगना चाहिये।

मेरी यह इच्छा थी कि शहरों में २० रुपये के स्थान पर ५० रूपये और बाहर कस्बों में १० रूपयों के स्थान पर २० रुपये करता, पर ऐसा करने से पहले मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि सरकार को हाउस टैक्स के अन्दर जिस प्रकार का संशोधन मैंने पेश किया है उस संशोधन से ही शान्ति

[श्री भैरोंसिंह]

नहीं लेनी पड़ेगी। सरकार को टैक्स लगाने में यह भी वतीरा अख्त्यार करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति से हम टैक्स वसूल कर रहे हैं उसकी आमदनी कितनी है, उसके पास जीवन निर्वाह करने लायक साधन हैं कि नहीं, ताकि वह १२ महीने जिन्दा रह सके। अगर इतना नहीं है तो वह आमदनी चाहे कितनी ही क्यों न हो, चाहे ५० ही क्यों न हों, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इस प्रकार की व्यवस्था मैंने अपने एक आगे के संशोधन में रखी है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि सीमा मेरे संशोधन में कम है पर मैं मन्त्री महोदय से यह सीमा भी निर्धारित करवा रहा हूं कि किसी व्यक्ति पर कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर उस आदमी की आमदनी १२०० रुपये सालाना से कम है।

हमारी सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश होने वाली है, प्लानिंग कमिशन की रिपोर्ट हमारे सामने है, एक आदमी की आमदनी कितनी होनी चाहिये, १२०० रुपये से कम आमदनी की जमीन जिसके पास है उसे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जिनके पास इससे ज्यादा आमदनी की जमीन है उससे ली जायगी।

चाहे भारत सरकार के वित्त मन्त्री नाराज हों, अभी चाहे वे १२०० रुपये सालाना से ज्यादा आमदनी वालों पर आज वे चाहे सीलिंग इम्पोज़ न करें, लेकिन एक दिन ऐसा आयेगा जब जनता सरकार को मजबूर करेगी कि जिस प्रकार लैंड के ऊपर सीलिंग इम्पोज़ करते हैं उसी प्रकार दूसरी आमदनी पर भी सीलिंग इम्पोज़ करना पड़ेगा। जिनकी सालाना आमदनी १२०० रुपयों से ज्यादा है उन पर सीलिंग इम्पोज़ किया जायगा।

१२०० से जिनकी सालाना आमदनी कम है उन पर इस प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिये चाहे उस मकान से उसे ५० रुपये माहवार या ६० रुपये माहवार किराया मिलता हो। अगर किसी आदमी को उसके मकान से ६० रुपया माहवार किराया मिलता है, उसके पास और कोई जीवन निर्वाह का साधन नहीं है या है तो नाकाफी है और उन ६० रुपयों से वह अपने बच्चों का पालन-पोषण पढ़ाई-लिखाई कराता है, उनके स्वास्थ्य को बनाये रखते हुए उनके स्वास्थ्य का खयाल रखता है, उनके कपड़े वगैरह बनवाता है और अपनी गृहस्थी का खर्च निकालता हैं, इन सब कामों के करने के लिए उसके पास और कोई आमदनी नहीं है, ६० रुपये माहवार के हिसाब से उस मकान के किराये से उसकी ७२० रुपया सालाना आमदनी है तो किसी भी सरकार को हक नहीं है कि उसकी इस ७२० रुपया सालाना की आमदनी पर इस प्रकार का टैक्स इम्पोज़ करे। अगर कोई सरकार इस ७२० रुपया सालाना की आमदनी पर किसी प्रकार का टैक्स इम्पोज़ करती है तो यह आॅटोक्रेसी है और गरीब जनता को लूटने की भावना है। हम दूसरे लोगों की बातें करते हैं, वहां यह कहने में संकोच नहीं करते आमदनी कम नहीं की जाय। वहां सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि जिसकी आमदनी १२०० रुपये साल से कम है, उसकी आमदनी बढ़ाने का उत्तरदायित्व सरकार का है और जब तक उसकी आमदनी १२००)

[श्री भैरोंसिंह]

रुपया सालाना नहीं हो जाय तब तक हमारा कोई अधिकार नहीं कि उसकी आमदनी पर टैक्स लगा कर उसे कम करे ।

मैंने जो संशोधन पेश किया है उसे इस लाइट में स्वीकार किया जाय ।.......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, यह जो अमेंडमेंट दिया गया है वह इन ऑर्डर नहीं है इसलिए इसे........

श्री भैरोंसिंह—सर्कुलेट कर दिया है...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आज किया गया है, २० तारीख को दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह—मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह आमदनी का मामला है, इसलिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से काम लें...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आप अपने रीज़न्स रखिये, फिर मुझ से बात करिये । पर यह मैं जरूर कहूंगा कि यह संशोधन ripe नहीं है ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—आप डेफर कर दीजिये इस क्लॉज़ को ।

श्री भैरोंसिंह—तो दूसरी आती है माननीय चेयरमेन, पार्ट ४ के विषय में, पार्ट (४) में यह है :

"a tax on vehicles and other conveyances plied for hire or kept within the municipality."

हमें इसके ऊपर सोचना पडेगा कि मैंने जो संशोधन पेश किया है वह संशोधन ।

"Insert the words, Except such vehicles which have been registered under the Rajasthan Motor Vehicles Act, 1951 between the words 'vehicles' and 'and' occerring in the first line."

यह संशोधन मैंने इसलिये पेश किया है कि जिन मोटर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन राजस्थान मोटर विहिकल्स एक्ट १९५१ के मातहत राजस्थान मोटर विहिकल्स टेक्सेशन एक्ट १९५१, के तहत लेते हैं उन्हें क्या दुबारा टैक्स देना पडेगा ? जयपुर नगरपालिका की सड़क पर मोटर गाड़ियां घूमती हैं उन्हें इन सडकों पर घूमने के कारण, राजस्थान में चलाने के कारण राजस्थान मोटर विहि-

[श्री भैरूसिंह]

कलस टेक्सेशन एक्ट, १९५१ के मातहत, टेक्स देना पड़ता है अब यदि उन पर म्युनिसिपेलिटी द्वारा टेक्स इम्पोज़ करेंगे तो एक ही चीज पर दो तरह के टैक्स हो जावेंगे। पेरेन्ट एक्ट ने इस प्रकार का टैक्स लगा दिया तो मायनर एक्ट के मातहत म्युनिसिपेलिटी यह टैक्स लगा सकेगी या नहीं यह लीगल डिफिकल्टी है और वह टैक्स नहीं लगा सकता और मैं यह निवेदन करूंगा कि यह संशोधन इस आशय को एक्सक्ल्यूड करने के लिये पेश किया गया है। अगर इसको मंजूर कर लिया जावे तो यह चीज बिल्कुल ठीक बन सकेगी।

तीसरे संशोधन है पार्ट (१६) में। पार्ट (१६) में है माननीय चेयरमेन, ।

"And other tax which ths State Legislature has power to impose in the State under the Constitution, provided that"...........

यह एक बिल्कुल अजीब सी क्लॉज है। हमने इस क्लॉज़ ८७ के शुरू में सब क्लॉज़ लिखा है:—

"subject to the other provisions of this Act and to the general rules or special orders of the State Government in this behalf, the taxes, which a Board may impose in the whole or part of a municipality are:—"

सरकार की आज्ञा से समझिये, जनरल आर्डर से समझिये चाहे एक्ट में प्रोविज़न से समझिये। "which the Municipal Board may impose in the State" इसके नीचे कुछ डेफिनेशन्स हमने दे दी हैं। लेकिन उनसे हमें सब्र नहीं होगा। हमने उसमें खुले अधिकार दिये हैं कि कोई म्युनिसिपल बोर्ड टैक्स इम्पोज़ कर सकेगा।

"and other tax which the State Legislature has power to impose in the State under the constitution provided that आगे तो जो प्रोविज़ो लगाया है वह और भी अजीब है। कोई भी टैक्स लगाये जाते हैं तो एसेम्बली में पास होने पर लगाये जाते हैं। मगर इसमें सरकार ने इस प्रकार के टैक्स लगाने का जो अधिकार एसेम्बली को था उसको बोर्ड को दे दिया है। इसके अनुसार किसी भी प्रकार का टैक्स लगाने के लिये एसेम्बली को पूछने की आवश्यकता नहीं। वह चाहे तो एसेम्बली को बिना पूछे ही टैक्स इम्पोज़ कर सकते हैं। यदि आपको केवल इस धारा को रखना ही है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इतने शब्द रखने की क्या आवश्यकता है? "any other tax which the State Legislature has power to impose..." एक ही धारा का इन दो शब्दों से सारा का सारा काम पूरा हो जाएगा : "any other tax which the State Legislature has power to impose."

[श्री भैरूंसिंह]

इन शब्दों से आप म्युनिसिपल बोर्ड को सब अधिकार दे दीजिये और साफ कह दीजिये कि जो कुछ अधिकार लेजिस्लेटिव एसेम्बली को संविधान में दिये गये हैं, कह दीजिये की हम तुमको देते हैं। हमें पूछने की कोई जरूरत नहीं। मगर मैं समझता हूँ कि राजस्थान की विधान सभा इतनी उदार दिल, लिबरल नहीं है कि ५० हजार या ६० हजार आदमियों ने जिनको चुन कर भेजा है और उनको जो अधिकार दिये गये हैं वे सब अधिकार हम म्युनिसिपेल्टी के चुने हुए सदस्यों को दे दें। मैं समझता हूँ कि यह वाजिब नहीं होगा कि विधान सभा के अधिकार आप म्युनिसिपेल्टी को दे दें। अगर आपको किसी विशेष प्रकार का टैक्स लगाना है या आप लगाना चाहते हैं उसको एमेन्डमेंट के रूप में विधान सभा में पेश करिये और विधान सभा से पास हो जाने पर उसको म्युनिसिपेल्टी में इम्पोज़ करिये तो यह ज्यादा अच्छा होगा। कोई भी व्यक्ति यह पसन्द नहीं करेगा कि विधान सभा के जो अधिकार हैं वह आप म्युनिसिपेल्टी को दे दें।

इसमें आगे जो प्रोविज़ो है उसमें लिखा है: "no tax other than a tax under clause (xi) and (xii) shall be leviable in respect of the property of the State Government or in respect of any property used solely for public purposes and for which they do not derive any profit or as a place of public worship or for a charitable purpose" मैं इसमें यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि इसमें ११, १२, १३ और १४ में से १३ और १४ में एड किया जावे।

१३ में आता है "a general sanitary tax for the construction or maintenance or both of public latrines and for the removal and disposal of refuse" और १४ में आता है लाइटनिंग टैक्स। यह दोनों चीजें माननीय चेयरमेन, इस कारण से रखी गई हैं कि म्युनिसिपेल्टी में गवर्नमेंट के जितने भी बिल्डिंग्ज़ हैं उस पर म्युनिसिपेल्टी दो प्रकार के टैक्स लगा सकती है। एक तो (११) में दिया गया है जो वाटर टैक्स है और दूसरा (१२) में दिया गया है "a tax for cleaning of latrines and privies" इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर दो टैक्स और लगा दिये जावें। लाइटनिंग और जनरल सेनीटरी टैक्स। वह इसलिये कि यह टैक्स हम सब लोगों से लिया जाता है। फिर क्या कारण है कि सरकारी बिल्डिंग पर कोई टैक्स नहीं लगाया जावे? हाउस टैक्स नहीं लगाते, दूसरे कोई टैक्स नहीं लगाये जावें यह तो ठीक है, लेकिन यह सोचना होगा कि सेनिटरी और लाइटनिंग तो इनको देना होगा। अगर सरकारी बिल्डिंग में कोई व्यक्ति रहता है जैसे पुलिस लाइन और होस्पिटल हैं जिसमें ओफिसर्स होते हैं और लोग वहां पर रहते हैं और उसमें सडक पर से होकर जाते हैं और आते हैं। इसलिए सडक की रिपेयर का जो खर्च होता है वह तो लिया जावे। अगर उधर सरकारी बिल्डिंग के पास बिजली के खंभे लगते हैं और उनके लगाने में जो खर्च होता है या व्यवस्था करनी पडती है और उसके लिये पैसा देना पड़ता है तो वह सिर्फ जनता पर ही क्यों बोझ डाला जाता है उनसे भी वसूल किया जाना चाहिये।

Page No 61

[श्री भैरोंसिंह]

अब अगर कोई बात इस प्रकार की होती है तो सरकार की तरफ से यह कह दिया जावेगा कि जनता का पैसा और सरकार का पैसा एक ही है। सरकार कहां से पैसा लाएगी। सरकार पैसा खर्च करेगी तो वही पैसा टैक्सों से आवेगा। मगर मैं यह कहूंगा कि गरीब पब्लिक पर टैक्स लगाया जाता है और इस पर नहीं तो यह वाजिब नहीं। जब यह बात करते हैं कि सरकार के पास जो पैसा आवेगा वह टैक्सों से ही आवेगा तो मैं यह कहूंगा कि जितना पैसा सरकार खर्च करेगी या नगरपालिका खर्च करेगी वह नगरपालिका के फन्ड से ही तो खर्च होगा। जयपुर में यदि हम यहां से चलें और रामप्रकाश की तरफ चलें तो बहुत सी सरकारी बिल्डिंग आवेंगी। हवा महल आवेगा, हमारा सदन आवेगा इसके सामने पटरी की मरम्मत होती है उसका सारा पैसा जनता के नागरिकों से वसूल किया जाता है और सरकारी बिल्डिंग में दफ्तर हैं और जो लोग इनको यूज करते हैं उनसे नहीं लिया जाता। इसलिये मैं तो यह कहूंगा कि म्युनिसिपेल्टीज़ की हालत को ठीक करने के लिये जो टैक्स सरकार आम लोगों से लेती है उसी प्रपोरशन के आधार पर सरकार म्युनिसिपेल्टीज को जमा कराए। चाहे सरकार उसको किसी दूसरे तरीकों से वसूल करे लेकिन जमा करानी चाहिये। यह सरकार की देखने की चीज़ है। म्युनिसिपेल्टी कभी इस चीज को टोलरेट नहीं करेगी कि दूसरों से टैक्स लिया जाए और गवर्नमेंट से नहीं लिया जाए। इसलिये मैंने दो टैक्स लेने के लिये अर्ज किया है।

(1) lighting tax.

(2) a general sanitary tax for the construction and maintenance or both of public latrines and for the removal and disposal of refuse.

यहां पर एक रिफ्यूज का प्रश्न आता है। यदि इन मकानों का रिफ्यूज म्युनिसिपेल्टीज़ के लोग ले जाते हैं और साफ करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है मगर इन मकानों में जितना काम होता है उन पर टैक्स लाजमी तौर से मुकर्रर करना होगा। इन चीजों को हम एक्सक्ल्यूड नहीं कर सकते। इसलिये हमें ये टैक्स इम्पोज़ करने चाहिये।

(श्री गोपीलाल यादव, सभापति, पदासीन)

आगे आता है इस सब क्लॉज का बी जिसके लिये मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है कि इसको बिल्कुल डिलीट कर दिया जाय। उस बी में क्या है ?

"no tax of any kind imposed as aforesaid shall be leviable in respect of any building or part of a building used or intended for the occupation of the Rulers of the Covenanting States or the members of their family or for the location of the establishment of such Rulers or members or in respect of any vehicle, animal or other property belonging to such Rulers or members."

Page No 62

[श्री भैरोंसिंह]

माननीय चेयरमेन, समाजवादी अर्थव्यवस्था का नमूना इस धारा को पढ़ने से मिलता है । एक तरफ तो हम यह कह रहे हैं कि गरीब और अमीर में कोई विशेष प्रकार का अन्तर हो न रहे गरीबों का स्तर इतना ऊंचा हो कि गरीब और अमीर में ज्यादा अंतर न रहे और भारतवर्ष का प्रत्येक आदमी अपने आपको अमीर महसूस करे । अमीर की आमदनी में और गरीब की आमदनी में विशेष प्रकार का फर्क न रहे । लेकिन हमारी राजस्थान सरकार फर्क जो कुछ है उससे भी ज्यादा फर्क किसी प्रकार भी बना रहे इस प्रकार की चेष्टा कर रही है । सरकार यह व्यवस्था कर रही है कैसा भी गरीब आदमी क्यों न हो उस पर हाउस टैक्स लगेगा, सेनीटरी टैक्स, लाइटिंग टैक्स, और रोड टैक्स लगेगा । गरीब लोगों पर तो सरकार टैक्स लगायगी किन्तु यह टैक्स राजा, महाराजाओं पर नहीं लगेगा । बिजली का टैक्स नहीं लगेगा, पानी का टैक्स नहीं लगेगा, सफाई का कोई टैक्स नहीं लगेगा यही हमारी सरकार का सोशिलिस्टि पेटर्न ओफ सोसाइटी का ज्वलंत नमूना है । राजा महाराजाओं को मुफ्त में पानी पिलाओगे और गरीबों पर पानी का टेक्स लगेगा उनके लिये सफाई प्रबन्ध करेंगे लेकिन उन पर किसी प्रकार का टेक्स नहीं लगेगा । एक आदमी जो दस रूपया किराये का देता है और उस नगर पालिका का निवासी है तो उस पर ये उपरोक्त सब प्रकार के टैक्स लगेंगे अब इसके लिये यह कहा जायगा हमने जो कुछ व्हाइट पेपर विद ओनइन्डियन स्टेट्स किया है उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि राजाओं के साथ एग्रीमेन्ट किया है कि राजाओं के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स पानी, बिजली आदि का किसी प्रकार भी टैक्स नहीं लगेगा । राजाओं के मकानों पर हाउस टैक्स नहीं लगेगा और भी म्युनिसिपैलिटी का किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा । हमने कवोनेन्टिंग स्टेट्स के साथ इस प्रकार का समझौता कर रखा है कि उनके उपर किसी प्रकार का म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स नहीं लगेगा तो दूसरा इसका मतलब यह हुआ कि सरकार को इस प्रकार का टेक्स म्यूनिसिपैलिटी को देना पड़ेगा । इस चीज को मैं मानने के लिये तैयार नहीं कि जो कोई समझौता किया जो कुछ एग्रीमेन्ट किया तो जब हमने सोशिलिस्टिक पेटर्न ओफ सोसाइटी का नारा बुलन्द कर रहें हैं तो हमें चाहिये कि इस प्रकार के जो कुछ अधिकार मिल रखे हैं उन अधिकारों को खत्म कर दें तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो ।

पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट को आप देखें पहली रिपोर्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि पब्लिक अकान्टस कमेटी ने इस बात की शिकायत की है कि जिन राजाओं को टैक्स से छूट दे रखी है, किस आधार पर छुट दे रखी है कितनी छुट दे रखी है इसका किसी भी प्रकार से उल्लेख नही है, कितने मकानों पर छुट दे रखी है कितने पानी पर छुट दे रखो है किसी प्रकार का उल्लेख नहीं । पहले हमें यह तय करना पड़ेगा कि राजाओं को कितने माहवार की बिजली की छूट रहेगी, कितनी पानी की छुट रहेगी । पहली पब्लिक अकान्ट्स कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसमें यह कहा गया है कि सरकार किसी प्रकार का सिलींग इम्पोज नहीं कर सकी । दूसरी पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने यह शिकायत पेश की कि जल्दी से जल्दी सिलींग मुकर्रर किया जाना चाहिये राजाओं के

Page No 63

[श्री भैरोंसिंह]

पानी और बिजली के खर्चे के बारे में। तीसरी पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने इसके लिये एक विशेष चेप्टर बनाकर सरकार से निवेदन किया है कि राजाओं के बारे में जल्दी से जल्दी सीलींग इम्पोज करे, माननीय चेयरमेन, अगर मैं यह निवेदन करूं जयपुर जोधपुर बीकानेर इन तीनों राजाओं का अभी तक झगड़ा तय नहीं हुआ है कि कितनी बिजली और पानी फ्री दिया जायगा। जहांतक मेरी जानकारी है दो राजाओं के बारे में तो निर्णय ले लिया गया है कि न तो उनको किसी प्रकार की फ्री लाइट का प्रबन्ध होगा और न उनको बिना चार्ज के पानी ही मिलेगा। उन पर पूरे म्यूनिसिपल टैक्स लग सकते हैं। ऐसा दो राजाओं के बारे में तय हो गया हैं। टोंक के बारे में मिसल चल रही है। करौली की मिसल चल रही है, भरतपुर की मिसल चल रही है, इन सब को कह दिया गया है कि सरकार की तरफ से निर्णय ले लिया गया है कि उनको बिजली फ्री नहीं दी जायगी, पानी फ्री नहीं दिया जायगा। हमारी सरकार का इस प्रकार से लाखों रूपया इनमें बकाया हो रहा है। सन् ५२, ५३ में १६ हजार रुपये की बृद्धि होती है और सन् ५३, ५४ में १६ के स्थान पर २७ हजार रुपये की वृद्धि हुई है इस प्रकार जहां तक मुझे याद है करीब ९६ लाख रूपया बकाया है पानी और बिजली का और म्युनिसिपल टैक्सेज़ का बड़े बड़े सेठ साहूकारों में राजा महाराजाओं में बकाया पड़ा है। आज हम यह कह रहे हैं कि नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं इसलिये ओक्ट्रोय ड्यूटी लगाने के लिए उनको कहते हैं, उनको हाउस टैक्स इम्पोज करने के लिये कहते हैं। आज इस युग में राजाओं पर किसी प्रकार का टैक्स न लगे राजा महाराजाओंको पानी फ्री मिले, बिजली फ्री मिले और दूसरी तरफ उन गरीब लोगों पर जिनको दस रुपये किराये पर मकान दे रखा है उन पर हाउस टैक्स इम्पोज करें। आज की दुनियां में आप इस प्रकार का भेदभाव नहीं रख सकते इसलिए आवश्यक है कि किसी भी प्रकार के टैक्स से राजा महाराजाओं को एक्जेम्प्ट न करें।

इसकी दूसरी सूरत यह भी हो सकती है कि जो भी टैक्स इन के ऊपर इम्पोज किये जांय उनका समझौता तो भारत सरकार से है तो सरकार को यह मान कर चलना चाहिये कि जयपुर की नगरपालिका जो कुछ भी टैक्स इम्पोज करती है एक साधारण नागरिक की हैसियत से उन टैक्सों का बोझ जयपुर के महाराजा पर भी पड़ना चाहिये। अगर उन टैक्सेज को म्युनिसिपैलिटी वसूल नहीं कर सकती तो सरकार का कर्तव्य है कि आपने जो कुछ भी एग्रीमेंट किया हो आप कर सकते हैं तो आपको खजाने से नगरपालिका का इस प्रकार से जो घाटा होता है वह पूरा करदें। आप एक तरफ तो जयपुर और जोधपुर की नगरपालिका को बाध्य कर रहे हैं कि आप टैक्स जनता पर इम्पोज करिये, बीकानेर की नगरपालिका को आप इसलिये नोटिस देने जा रहे हैं वह जनता पर टैक्स लगाना नहीं चाहती। लेकिन आपने कभी उन को पूछा है कि तुम्हारी बकाया कितनी है राजा महाराजाओं में। आप जब टैक्स लगाने के लिये बाध्य कर रहे हैं तो आपने इन राजा महाराजाओं में जो बकाया है उसकी तरफ भी देखा है एक तरफ तो आप राजा महाराजाओं को पानी का पैसा छोड़ दें, बिजली का पैसा छोड दें सफाई का पैसा छोड दें और

[श्री भैरोंसिंह]

दूसरी तरफ जनता पर टैक्स लगाने के लिये म्युनिसिपेलिटी को बाध्य करते हैं अगर आपका राजा महाराजाओं के साथ किसी प्रकार का मुहाहिदा है तो उसका बोझ नगरपालिका के गरीब निवासियों पर क्यों पड़े यह आपका कर्तव्य है कि यह सरकार की ड्यूटी है कि सरकार वह रूपया अपने कन्सोलिडेट फंड में से दे और म्युनिसिपेलिटी के घाटे की पूर्ति करे यही न्यायोचित तरीका है। आपने जितने भी प्रीविलेजेज़ दे रखे हैं तो उनको समाप्त करने के लिये यह अवसर है। आप मेरा संशोधन स्वीकार करलें अगर आप उनके एग्रीमेन्ट्स को समाप्त नहीं करते हैं तो सरकार उसकी लाइबेलिटी अपने ऊपर ले। जो लाइबिलिटी ली हुई है उसको इस प्रकार लाइबेलिटी छोड़ने की आवश्यकता नहीं। इसलिये जो मैंने संशोधन किया है उससे यह डिलीट हो जाता है, इसलिये मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय।

जहां क्लॉज (सी) का प्रश्न आता है वह और भी जटिल है इसमें है "No toll shall be leviable in respect to any vehicle used for the passage of troops or the conveyance of the property of the Rulers of the Covenanting State or members of their family or of Government stores or of any other Government property or for the passage of the military or police officers on duty or the passage or conveyance of any person or property in their custody."

गरीब जनता तो अगर अपने शौक के लिये कुत्ता रखे तो टैक्स, गरीब जनता सवारी के लिये गाडी रखे तो टैक्स, गरीब जनता अपने कन्विएन्स के लिये साइकल रखे तो टैक्स, अगर कोई छोटा सा जानवर रखे तो उसके ऊपर भी टैक्स और अमीरों के ऊपर घोडा रखें तो टैक्स नहीं साइकिल अगर हो तो टैक्स नहीं उनके नाम से गाडियां चलती हों तो टैक्स नहीं अगर कोई मिलेटरी गाडी चलती है तो क्या उससे रोड को कोई नुकसान नहीं होता क्या सड़कों पर उसके चलने से सड़क का नुकसान होता नही है क्या बाकी लोगों की मोटर निकलने से तो सड़क घिसती है किन्तु मिलिटरी की गाड़ी निकलने से शायद रोड मोटी होती होगी शायद यही सोचकर उन पर टैक्स नहीं लगाया गया होगा। अगर किसी कानून के अन्तर्गत कोई टैक्स लगाते हैं तो सभी पर समान रूप से टेक्स लगाना पड़ेगा।

अब प्रश्न यह आता है कि मिलिटरी की गाड़ियां हमारी गाड़ियां हैं, सरकारी हैं, पुलिस अफसरों की सरकारी गाड़ियां हैं इसलिये उन पर टैक्स नहीं लगाया जावे। वे गाड़ियां हैं बिलकुल सरकारी और नगरपालिका है अर्द्ध सरकारी फिर इन गाड़ियों का टैक्स इस अर्द्ध सरकारी संस्था को क्यों भुगतना चाहिये। मिलिटरी पर टैक्स नहीं लगा सकते इसलिये कि वे डिफेन्स फोर्सेज की हैं, उनसे कौन लड़ाई करेगा, सरकारी अधिकारियों की गाड़ियों पर टैक्स नहीं लगा सकते कारण कि वे सरकारी, काम से घूमती फिरती हैं, राजे महाराजों की गाड़ियों, घोडों, कुत्तों पर टैक्स नहीं लगा सकते, उनकी साइकिलों पर टैक्स नहीं लगा सकते इसलिये कि कोवानेन्ट द्वारा सरकार ने उनसे कोई समझौता कर लिया है। मैं कहता हूं आप अपने कोवानेन्ट को रक्खो ताक में। म्यु० से इसका क्या लेना देना। अगर समझौता कोई है तो सरकार उसे भुगते। म्यु० का जो वाजिब टैक्स है वह तो उन पर भी इम्पोज होगा, अगर कोवानेन्ट बीच में आता है तो वह

Page No 65

[श्री भैरू सिंह]

भुगते सरकार खुद और वह म्यु० को दे। फिर देखें कि म्यु० की हालत किस प्रकार से ठीक नहीं होती है। फिर आक्ट्राय, हाउस टैक्स आदि छोटी छोटी बातों पर उसे जनता से भी कहने की आवश्यकता नहीं पडेगी। मैं चाहूंगा इस सदन में अभी यह हमारा मौका है कि सरकार राजा महाराजाओं से यह टैक्स दिलाने का आश्वासन दे और वे नहीं देते हैं तो स्वयं दे अगर यह बदला करने का आश्वासन नहीं देते हैं तो इसका सारा दायित्व अपने ऊपर ले। और इसके अभाव में जनता से यह रूपया वसल किया जाकर उस घाटे की पर्ति की जाती है, इसको बन्द किया जावे।

ऐसा ही फोजियों का सवाल है। यह हो सकता है कि मिलेटरी से वसूल न करें पर सरकार उसे दे। जो कुछ खर्चा होगा लाइटनिंग का, या वाटर का या टैक्सों का वह सरकार दे, जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी। यह खर्चा जो एक पैसा टैक्स आता है अपने सार्वजनिक खर्चे के लिये वह एक एक पैसा गरीब जनता से बटोर बटोर कर इकट्ठा करते हैं। पर इसके लिये उनको ही तंग किया जावेगा जो गरीब हैं, इन बड़ों बड़ों को इन राजा महाराजों को और सरकार को कोई पाबन्दी नहीं करेंगे। सरकार चाहे अपने खजाने से दे दे यह हो सकता है। पर टैक्स से बिलकुल माफ कर देना आवश्यक नहीं। यह एग्जम्प्शन इन्डाइरेक्ट वे में जाकर म्यु० पर बोझा बनता है जिससे दबकर म्यु० गरीब जनता पर टैक्स इम्पोज करती है।

आगे मेरा संशोधन आता है (ई) में जिसके लिये मेरा निवेदन है कि इसको भी डिलीट किया जावे। क्यों ? इसमें है :

"No tax shall be leviable in respect of horses, being registered chargers of the officers of the Indian Army or in respect of one bicycle and one horse kept by the members of the Rajasthan Police Force for the performance of their official duties."

इसमें मैंने अपना संशोधन इस प्रकार पेश किया है:

"Add the following proviso"

डीलीट करने के लिये नहीं :

'Add the following proviso to the sub-parts:-

"Provided that no such exemption will be effective if the State Government is not prepared to meet out the losses incurred by the municipality due to such exemptions."

[श्री भैरू सिंह]

अब प्रश्न आता है कि किसी पुलिस अफसर की साइकिल या मोटर को हम टैक्स से एग्जम्प्ट करें या नहीं। यह प्रश्न आता है कि मिलीटरी फोर्सेज़ के घोड़ों पर टैक्स लगावें या नहीं तो इसका उत्तर एक ही मिलेगा। उन पर टैक्स लगाया जावे। अब चाहे इसका एडजस्टमेन्ट सरकार अपनी जेब से करे। सरकार अगर कोई एग्जम्प्शन कराना चाहती है तो उसी सूरत में करावे जिस सूरत में सरकार तैयार हो जावे कि जिनके जिम्मे म्यु० का टैक्स बकाया हो वह टैक्स सरकार अपने कन्सोलिडेटेड फण्ड में से देंगे और इस कारण से जो घाटा म्यु० को हो वह इस प्रकार से पूरा किया जावेगा। हम सरकार को छूट भी देते हैं, मिलिटरी वालों के लिये कि सरकार उन पर टैक्स इम्पोज न करे पर यह छूट नहीं देंगे कि उस छूट का असर म्यु. पर घाटे के रूप में पड़े। सरकार छोड़ती है तो उसका असर सरकार पर पड़े, म्यु: पर न पड़े, जनता को हमें इस घाटे से बचाना होगा।

इसमें आगे (d) क्लॉज़ आता है। जिसमें है :

"The State Government may by order grant and define other exemptions in exceptional cases from payment of tolls or other taxes imposed under this Act."

यह एक सरकार ने छूट ली है। अपने मर्जी पात्रों को खुश करने के लिये। राजाओं को छूट आप दे दें, मिलेटरी वालों को छूट दे दें और जो सरकार अधिकारी हैं उनकी गाड़ियां घोड़े, कुत्ते, बिल्ली उन पर छूट दे दें। लेकिन इससे भी सरकार को तसल्ली नहीं हुई। सरकार अपने हाथ में एक सत्ता, एक हथियार रखना चाहती है कि वह अपने किसी भी मर्जी पात्र को चाहे तो म्युनिसिपेलिटी के किसी भी टैक्स से एग्जम्प्ट कर दे। किस तरह करेगी इसका पता नहीं, क्या करेगी, इसका पता नहीं। पर सरकार को अधिकार हो कि वह चाहे तो अपने किसी मर्जीपात्र को भी एग्जम्प्ट कर दे।

माननीय चैयरमेन, इस सदन में कई बार चर्चा हुई। कई फैक्टरियों के बारे में सदन के सामने उल्लेख हुआ। गंगानगर शुगर फैक्टरी का उल्लेख इस सदन में एक बार नहीं अनेकों बार आया है। बाल बीयरिंग फैक्टरी का उल्लेख भी सदन में आया है। बाल बीयरिंग की फैक्टरी के साथ साथ बिस्कुट फैक्टरी का भी उल्लेख सदन में आया है। कतिपय माननीय सदस्यों ने इस बात की मांग की कि किस प्रकार गरीब जनता से तीन आना और छ आना लाइटिंग चार्जेज के रूप में वसूल किया जाता है, जब कि दूसरी तरफ बाल बीयरिंग फैक्टरी से डेढ़ आना दो आना और बिस्कुट फैक्टरी से एक आना और रामप्रकाश सिनेमा से दो पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से लेते हैं। क्या यही आपका गरीब जनता के साथ उचित व्यवहार है? आपने इतनी छूट क्यों रख रखी है। इसका उत्तर मिलता है हम इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिये इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं, उनको इस प्रान्त में पनपाने की व्यवस्था कर रहे हैं। छोटे छोटे उद्योग धन्धे पनपें इसलिये यह छूट देते हैं। पर बात यह नहीं है, कहने के लिये. जरूर कहा जा सकता है पर यह आप यह देते हैं किसके लिये? उन लोगों के लिये जो इन्डस्ट्री को डवलप करना चाहते हैं अपने

Page No 67

[श्री मैं सिंह]

फायदे के लिये, जो इन्डस्ट्री के द्वारा अपनी कमाई करना चाहते हैं। उनकी कमाई का ... होगा। पर आपने तो एक तरफ यह छूट दे दी इन्डस्ट्री डवलप करने की और ... छूट दे दी गरीबों की आर्थिक स्थिति को ज्यादा खराब करने की। अब यह दोनों चीजें साथ ... चलेंगी। छूट देने के लिये म्यूनिसिपैलिटी उचित समझेगी तो उसे अधिकार है, दे न दे ... म्यूनिसिपैलिटी की भी राय लें, इस तरह से जो घाटा लगना है उसकी पूर्ति करने के लिये म्यू० का गरीब जनता से छ आना और ३ आना वसूल करना पड़ता है। उनको पनपाने के लिये गरीब जनता को पिसना पड़ता है, उनकी आर्थिक स्थिति बदतर बनती है। म्यू० तो इस घाटे को किसी न किसी तरह से पूरी करेगी ही क्योंकि आखिर काम तो चलाना है और इस तरह से बड़ों बड़ों पर जोर न ... न देखकर गरीब जनता पर करों का बोझा लादती जा रही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको कुछ करना है इस तरह से तो आप म्यु० की राय लीजिये। पर आपने तो म्यु० की राय लेना आवश्यक नहीं समझा। सरकार अपनी मरजी से छूट दे सकेगी और इसके शब्द ठीक ढंग से अगर पढ़ें तो मालूम होगा कि इसके लिये सरकार पर कोई रुकावट नहीं, कोई अंकुश नहीं। जो वह चाहे कर सकेगी।

"The State Government may by order grant and define other exemptions in exceptional cases from payment of tolls or other taxes imposed under this Act."

सरकार चाहे तो किसी को भी बिजली और पानी आदि से और किसी भी टैक्स से एग्जम्प्ट कर सकती है। हाउस टैक्स से भी एगजम्प्ट कर सकता है, टोल टैक्स से भी ... और जानवरों के टैक्स से भी। किसी कारण से, यह मैं जानता हूँ, हर व्यक्ति जानता है इसके लिये उनके सामने कोई दलील नहीं कोई उत्तर नहीं। ऐसी ही इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट की छूट ... है उनके मर्जी पात्रों को। इसके अलावा और किसी को छूट होती हो तो वे बता दें। अगर वे ... कार करते हों तो मंत्री महोदय अपने उत्तर में बतावें कि जिन जिन लोगों को उन्होंने एग... दे रक्खी है उनके वर्किंग कारनामे किस प्रकार से हैं? गंगानगर शुगर फैक्टी का वर्किंग किस प्रकार का है। शार्दूल टैक्सटाइल का वर्किंग कैसा है, बाल बीयरिंग फैक्ट्री का वर्किंग कैसा है। मजदूर रोज हड़ताल करते हैं, नई नई परेशानियाँ उनके रास्ते में पैदा की जाती हैं, हर तरह से तंग किया जाता है, बड़ा बड़ा मुनाफा ऊपर का ऊपर डकार जाते हैं और घाटे की रिपोर्ट पेश की जाती हैं, सरकार को धोखा देने की चेष्टा की जाती है, सरकारी पैसा हड़पने की साजिशें की जाती हैं और सरकारी सामान पर अधिकार करने की चेष्टा की जाती डाइरेक्टरों के सामने सरकारी डाइरेक्टरों के सामने विशेष बात का उल्लेख नहीं किया जाता। फिर भी छूट दे रहे हैं इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट के नाम पर ऐसी हालत में इस तरह की छूट जनता पर बोझा डाल कर जो इनको दी जाती है यह अनुचित है, अन्यायपूर्ण है और अनडेमोक्रेटिक है। इसलिये मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकार ऐसी सरकार को देना जो किसी न किसी तरह से अपने मर्जी पात्रों को ही खुश रखने में अपने

[श्री भैरोंसिंह]

कर्त्तव्य की इतिश्री समझती है, कतई उचित नहीं है, सदन ये अधिकार सरकार को देने के लिये कभी तैयार नहीं है। माननीय मन्त्री जी तो इन बातों से कुछ सीखेंगे ही और इन बातों को समझते हुए वे भी इस राय के हो गये होंगे कि सरकार कभी ऐसे अधिकार अपने हाथ में न ले जिनका दुरुपयोग होता रहा है। और दुरुपयोग का नकशा उनके सामने है। सदन के सामने है। इस ओर मैंने संकेत किया है। इस पर भी अगर उन्होंने कुछ ऐसा वैसा उत्तर दिया तो मैं पी. ए. सी. की रिपोर्ट भी सबमिट करूंगा। इन इन्डस्ट्रीज़ का काम कैसा चल रहा है इस बारे में पी. ए. सी. की क्या राय है यह भी मैं प्रस्तुत करूंगा तब माननीय मन्त्रीजी को रहा सहा पूरा पता लग जावेगा। मैं समझता हूँ कि वे स्वयं इस बात से परिचित हैं। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता।

आगे है डिलीट सब पार्ट (एफ) और (जी)। (एफ) में है माननीय चेयरमैन,

"no tax under clause (xii) shall be leviable in respect of any privat latrines and privies, unless

यह कौन सा पढ़ दिया।...

तो मैं निवेदन कर रहा था कि सब पार्ट (एफ) में लिखा है कि—

"No tax under clause (xii) shall be leviable in respect of any privat latrines and privies, unless and until the board has-"

और (xii) में लिखा है-

"A tax for the cleaning of latrines privies"

(एफ) के सब पार्ट (i) में लिखा है-

"Made provisions for the cleaning there of manual labour or for conducting or receving the sewage there of into municipal sewers or into such place or places as may have been fixed;"

सब पार्ट (ii) लिखा है—

"issued either severally to the persons to be charged or generally to the inhabitants of the municipality or part of the municipality to be charged with such tax, one month's notice of the intention of the board to perform such cleaning and to levy such tax, and"

[श्री भैरों सिंह]

सब पार्ट (जी) में लिखा है—

"The board, in lieu of imposing separately any two or more of the taxes described in clauses (i), (x), (xi) and (xii) may impose a consolidate tax, assessed as a rate on buildings of lands or both situated within the municipality."

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जी. के पार्ट (१) और (२) को डिलीट करने के बारे में हैं। सब पार्ट (एफ) और (जी) को डिलीट करने के बारे में मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूँ। वह संशोधन होगा कि इस बोर्ड को जो अधिकार दे रहे हैं। वे क्या अधिकार दे रहे हैं। the board, in lieu of imposing separately any two or more of the taxes describbed in clauses (i), (x), (xi) and (xii) may impose a consolidated tax, assessed as arate on buildings or lands or both situaged within the municipality."

सब पार्ट (i) में आता है हाउस टैक्स 'A tax on the annual letting value of buildings or lands or of both;'

और (x) में आता है 'a scavenging tax':

और (xi) में आता है Water tax.

और (xii) में A tax for the cleaning of latrines and privies

इस के साथ साथ 8' the Board may impose a consolidayed tax, assessed a a rate on buildings or lands or both situated within the municipality."

अब कन्सोलिडेटेड टेक्स किस प्रकार से बोर्ड लगायेगा, इसकी व्यवस्था इस कानून में कहीं भी नहीं है। जब हम हाउस के उपर टेक्स लगा देगें। बिजली पर टेक्स लगा देगें, लेट्रिन्स को साफ करने पर टेक्स लगा देगें। पानी पर टेक्स लगादेगें। इन टेक्सेज के लगाने के बाद में मकान पर का या कोई जमीन का हम कन्सोलिडेटेड टेक्स लगा सकते हैं तो वह किस प्रकार से लगायेगें इसमें उसकी व्यवस्था नहीं है, और जब तक वह व्यवस्था इसमें नहीं देगें तो वह टेक्स किस प्रकार से लगायेगें उस वक्त तो ऐसा मानकर चलता हूं कि म्युनिसिपल बोर्ड अपने पावर को एक्सरसाइज करता है तो उसमें भूल कर सकता है। भूल की है तो उसका नुकसान होगा। उससे विशेष तौर से नुकसान होगा गरीबों का। उनकी हालत जो पहले से खराब थी उनकी हालत ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कन्सोलिडेटेड टेक्स लाने की हमें एक विशेष प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए और वह व्यवस्था नहीं होती है तब तक बोर्ड को ऐसे टेक्स लगाने का बिल्कुल ही

[श्री भैरूसिंह]

अधिकार नही देना चाहिए। जो मैंने संशोधन पेश किये हैं उन सारे संशोधनों की मूल भावन, माननीय चेयरमेन, यह है कि म्यूनिसिपेलेटी कोई टेक्स इम्पोज करने में आजकल जो तरीका हमने अख्त्यार कर रखा है कि राजा महाराजा पर बिल्कुल टेक्स कहीं लगायें। उनसे नीचे के सेठ साहूकार हों तो कोई टेक्स नहीं हो। यदि उससे कोई गरीब हो तो उसके ऊपर कुछ रियायती टेक्स हो। उसके नीचे कुछ गरीब हो तो उसके ऊपर कम रियायत देकर टेक्स हो और जो बिल्कुल ही गरीब हो उसके ऊपर पूरा का पूरा टेक्स हो। मैं चाहूँगा कि इस सारे वतीरे को आप शीर्षआसन कर दें। गरीब के ऊपर बिल्कुल टेक्स नही लगे। उससे ज्यादा मालदार हो तो थोड़ा सा टेक्स लगे। उससे ज्यादा मालदार हो तो थोड़ा ज्यादा टेक्स लगे और बिल्कुल ही मालदार हो अच्छा साधनसंपन हो तो पूरा टेक्स लगे और राजा महाराजाओं पर तथा जो ज्यादा केपिटेलिस्ट्स हैं उन पर पूरे से ज्यादा टेक्स लगे। इस तरह से सारे टेक्सेज इम्पोज किये जायं तो ज्यादा अच्छा होगा। उसमे हमारी म्युनिसिपेलिटीज की हालत ठीक होगी। पूरा टेक्स आप गरीबों से वसूल करना चाहेंगें तो मैं समझता हूं कि वह बिल्कुल अन्याय होगा।

उदाहरण के तोर पर बिजली का चार्ज गरीबों से ६ आना यूनिट है। उनसे ज्यादा ऊंची किस्म के लोग है, सब सरकारी अधिकारी है जिनको कि ५००,६०० मिलता है रियायत के तौर पर सरकार के नाम पर रियायती तौर से ३ आने का टेक्स कर दिया गया। उससे ज्यादा कोई केपिटेलिस्ट है और कोई इन्डस्ट्री या फेक्टरी चालू किए हुए है तो इन्डस्ट्री के डेवलपमेंट के नाम पर टेक्स लगायेगें ३ आने की जगह डेढ आना कर देंगे और जहां राजा महाराजाओं का प्रश्न आता है वहां १॥ आने को भी छोड़कर बिल्कुल माफ कर देंगे। यह जो आपका तरीका है वह बिल्कुल गलत है। माफ होना चाहिए गरीबों से और ६ आने होना चाहिए राजा महाराजाओं से, अमीरों से। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सारे ढांचे के अन्दर जो टेक्स लगाने का आपने व्यवस्था की है वह ढांचा बिल्कुल उल्टा है। उस उल्टे ढांचे को सही करके टेक्स इम्पोज करना चाहिए तो वह बिल्कुल न्यायसंगत होगा गरीब जन उसी प्रकार से टेक्स दे सकेगी। इसलिए निवेदन करूंगा कि इस सारी व्यवस्था को लेकर जो मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है उस मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाए।

आगे एक और भी संशोधन प्रस्तुत करने वाला हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो संक्षेप में यहां अर्जकर दूं। जिनकी आमदनी १२०० रू० से कम है उन लोगों पर म्यूनिसिपेलिटी किसी प्रकार का टेक्स नही लगायेगी। टेक्स यदि लगाते है तो उस प्रोपोर्शन से लगाया जाय जिस प्रोपोर्शन के आधार पर १२०० से ज्यादा वाली आमदनी के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा टेक्स इम्पोज कर सकें। न्याय तो यही कहेगा। प्लानिंग कमीशन यह कह रहा है कि एक परिवार के लिए १२०० रू कम से कम उसके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। तो नगरपालिका इस तरह की चेष्टा नहीं करे कि १२०० से कम की आमदनी पर टेक्स लगा कर किसी प्रकार की आमदनी करने की चेष्टा करे। बल्कि आवश्यकता इस बात की है १२०० से ज्यादा जिनकी आमदनी है उन लोगों

[श्री भैरूंसिंह]

पर ज्यादा टैक्स एम्पोज करके उसको एक सीलिंग के ऊपर लाया जाय तो ज्यादा न्यायसंगत होगा। इस लिए निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार करके फिर टैक्स लगाने की व्यवस्था की जाय तो वह एक प्रकार से उचित व्यवस्था होगी। माननीय चेअरमेन, मैं निवेदन करूंगा कि गरीबों से टैक्सेज नहीं लिया जाय। इस प्रकार का प्रबन्ध [illegible] के द्वारा कर देगी तो वह सारे गरीबों के लिये सहायक सिद्ध होगा, इस प्रकार की मेरी मान्यता है। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति—यह एमेंडमेंट लिखकर आप दे दीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय सभापति, धारा ८७ पर जो भैरूंसिंहजी ने एमेंडमेंट रखा है। अब बात यह है कि उन्होंने कई उपधाराओं पर संशोधन रखे हैं। अब मैं अलग अलग पर बोलूंगा तो दिक्कत होगी। इस लिए वैसे ही बोल देता हूं।

तो धारा ८७ की उप धारा (१) पर एक एमेंडमेंट रखा है कि सरकार को यह अधिकार होगा कि स्पेशल टैक्सेज लगायेगी यदि आवश्यकता होतो श्री भैरूंसिंहजी ने जो एमेंडमेंट रखा है वह स्पेशल टैक्स सरकार जब कि म्युनिसिपेलिटी बनती है और म्युनिसिपेलिटी का जब चुनाव हो जाता है और उस म्युनिसिपेलिटी के बारे में चेयरमेन और वाइस चेयरमेन के ऊपर सारी म्युनिसिपेलिटी का शासन का तरीका सरकार ने जब छोड़ दिया है तो फिर सरकार अपने ऊपर यह चीज क्यों रखती है कि अगर सरकार चाहेगी तो स्पेशल टैक्सेज लगाने के लिए उनको लिख सकती है, क्यों कि म्युनिसिपेलिटी के मेम्बरों का यह फर्ज है कि जनता की सुविधाओं और जनता की हालत को देखते हुए अपने टैक्स लगायेगें। यह नहीं कहता हूं कि टैक्स नहीं लगायेंगे क्यों कि टैक्स के बगैर काम नहीं चलेगा। बोर्ड उनकी सुविधाओं को देखकर म्युनिसिपेलिटी के हाउस के अन्दर पास करके जनता के ऊपर वह टैक्स लगायेंगे। सरकार को कुछ नहीं लगाना चाहिए, क्यों कि जब जब काफी धाराएं आई उनमें सरकार ने हर धारा के अन्दर कोई ऐसी धारा बची होगी बहुत कम ८७ में से ४२ के ऊपर सरकार ने अपना अंकुश जरूर लगाया है। तो फिर जब सरकार अपना अंकुश लगाती है, फिर इस एक्ट को इस हाउस में लाकर के इस हाउस के मेम्बरों से इसको पास करा के जब जनता इसके लिए कहती है तो म्युनिसिपल एक्ट पास होगया और असेम्बली में जो लोग आपके चुने हुए हैं उन्होंने इस तरह के टैक्स पास कर दिये हैं, उस तरह का एक्ट पास कर दिया है, हमने क्या किया, सरकार ने क्या किया लेकिन हमसे आप यह चीज कराते हो तो कम से कम जो चीज पास करते हो तो थोड़ा बहुत अधिकार जनता को देना चाहिए और हम लोग जो अमेंडमेन्ट्स रखते हैं उनको मानना चाहिए तब तो यह करना अच्छा है।

हाउस टैक्स के बारे में भैरूंसिंहजी ने अमेन्डमेन्ट रखा है, धारा १० और उसमें डी. जी. कोई है, उसके अन्दर जहां सरकार ने इतना तय किया है कि इतने इतने रुपये मकानों

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

के ऊपर टैक्स लगाया जायगा और भैरूं सिंहजी ने दस रुपया बाहर की म्युनिसिपेलिटीज़ में और २०) रुपया सिटी म्युनिसिपेलिटीज़ में रखा है। माननीय चेयरमैन मैं यह बताऊंगा कि आज यहां सिटी के अन्दर ऐसे लोग हैं कि वे लोग मकानों के द्वारा अपने पेट का गुजारा करते हैं, एक मकान में खुद रहते हैं और दूसरे मकानों के अन्दर दूसरे लोग रहते हैं और किसी को २०)रु० मकानों के आते हैं और किसी को ३०) आते हैं ४०) आते हैं और इस तरह से वे अपना पेट का गुजारा करते हैं। गांवों के अन्दर भी आज तक यह चीज़ नहीं थी और अगर गांवों के अन्दर यह टैक्स लगाते हैं......

श्री सभापति (श्री गोपीलाल यादव)—क्या आप भैरूं सिंहजी के संशोधन का समर्थन करते हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी— जी।

श्री सभापति (गोपीलाल यादव)—उन्होंने तो साल भर में दस रुपया एक्जेम्प्ट किया है।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी—साल भर में भी दस रुपया बहुत होता है। यह गांवों में बहुत होता है। मेरा एक मकान है। तीन रुपया किराया आता है। ज्यादा से ज्यादा पांच रुपया आजायगा। आप कहते हैं कि टैक्स लगा देंगे तो फिर पांच रुपया तो मैं गवर्नमेंट को ही देदूंगा जो साल भर में दस रुपया रखा है वह ठीक है गांवों के लिए।

श्री मोतीलाल चौधरी—यह गांवों पर लागू नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—छोटी नगर पालिका के लिए। गांवों में तो पंचायतें हैं।

भैरूंसिंहजी ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है साल में दस रुपया नगरपालिका के अन्दर लेना चाहिये और सिटी में बीस रुपया, यह ठीक है क्यों कि इस तरह का टैक्स भी अगर सरकार रख देगी तो जो लोग किराये से गुजर करते हैं, कितने ही बेकार हैं, सुबह से लेकर कितने ही बी. ए. और एम. ए. माननीय चेयरमेन आपको खुदको मालूम है कि उनको मेट्रिक की ग्रेड भी नहीं मिलती, शाम तक घुमते फिरते हैं। और इन किराये वालों पर और टैक्स लगा देंगे। मैंने थोड़े दिनों पहले सुना था कि १०) महीने की किराये की आमदनी होगी उन पर भी म्युनिसिपेलिटी टैक्स लगा रही है, ऐसा सुना है डेफिनेट बात नहीं कह रहा हूँ, तो किराये की आमदनी होगी उस पर भी

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

म्युनिसिपेलिटी टैक्स लगा देगी। दस रुपये के हिसाब से १२०) साल का हुआ, उस पर भी टैक्स सरकार लेती है, थोड़ा बचा तो लेगी ही, एक रुपया, दो रुपया वहां दस रुपये की आमदनी होता है यह उचित नहीं है। सिटी में लगा रहे हैं इस तरह, सुना है, कहां तक सही है या गलत है यह तो माननीय मंत्री जी जाने।

श्री सभापति—आप किस चीज़ का समर्थन करते हैं?

श्री मुक्तिलाल मोदी— भैरूंसिंहजी का।

श्री सभापति— श्री भैरूंसिंहजी का तो यह है कि सिटी में साल भर में २०) जिसके किराया आय यानि १॥) महीना पड़ता है उसको तो छोड़ा जावे और बाकी पर टैक्स लगाया जाय क्या आप इसका समर्थन कर रहे है?

श्री मुक्तिलाल मोदी—हां।

श्री सभापति—आप तो यह कह रहे हैं कि १० रुपया महीने वाली बिल्डिंग पर भी नहीं लेना चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—१०) रु. महीने वाली बिल्डिंग है, मैं भी कह रहा हूं कि नहीं लगना चाहिये। भैरोंसिंह जी ने कम रखा है।

(घंटी)

माननीय चेयरमेन, उप क्लॉज '१६' के अन्दर भैरोंसिंहजी ने जो अमेन्डमेंट रखा है कि राजाओं की जो बिल्डिंग्स हैं और राजाओं के जो घोड़े, कुत्ते और चीजें हैं उन पर टैक्स क्यों नहीं लगाना चाहिए? माननीय चेयरमेन, राजप्रमुख का पद खत्म कर रहे हैं, राजाओं को खत्म कर रहे हैं। उनके दूसरे दूसरे अधिकार है उनको धीरे २ खत्म कर रहे है तो फिर टैक्स उन राजाओं से क्यों नहीं वसूल किया जाय? छोटी सी जनता से तो वसूल किया जाता है तो फिर राजाओं से भी वसूल करना चाहिये। मनुष्य तो राजा भी है और मनुष्य हम लोग भी हैं फिर फर्क क्या होगया? टैक्स लिया जाता है और माननीय चेयरमेन, मैं आपको बताउंगा कि रूस के अन्दर जिस तरह की आमद होती है आदमी की उस पर हिसाब से जिस तरह से गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की जो तनख्वाह होती है, मकान किराया आदि आता है उस पर हिसाब से टैक्स था न कि किसी राजा के कम हो, पूंजीपति के कम हो, या गरीब के ऊपर ज्यादा हो। वहां ऐसा नहीं था कि किसी के ऊपर इस तरह से कम टैक्स हो या किसी के ऊपर ज्यादा हो। इस तरह का तो जरूर है कि कम प्रोपर्टी है तो कम और ज्यादा है तो ज्यादा टैक्स। यहां तो आपने राजाओं को माफ किया है। बिजली किसी को तीन आना में देते हैं और किसी को ६ आना

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

युनिट में देते हैं। सरकार खुद की बिल्डिंग्स का टैक्स क्यों नहीं देती और लोन लेने की म्युनिसिपैलिटी को फिर आवश्यक क्यों हो। सरकार की काफी बिल्डिंग्स हैं, सरकार को टैक्स देना चाहिये जब पब्लिक की म्युनिसिपैलिटी बना देते हैं उसको सरकार से कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेलीफोन है, टेलीग्राफ हैं उनके लिए सरकार देती है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट वसूल करती है। रेलवे के अन्दर या तो कोई मिनिस्टर जाओ, या कोई गरीब आदमी जाओ, या राजा जाओ, कोई भी जाओ उनको फ्री पास नहीं मिलता है उसको पैसा देना पड़ता है। फिर म्युनिसिपैलिटी पर यह चीज़ लागू करते हैं कि राजा टैक्स नहीं देगा, सरकार की बिल्डिंग्स पर टैक्स नहीं लगेगा, राजाओं के घोड़े, सरकार के घोड़े राजाओं के कुत्तों पर टैक्स नहीं लगेगा, यह कहां की बात हुई। एक छोटे से आदमी की कोई चीज़ होगी कुत्ता होगा, घोड़ा होगा या और कोई चीज़ होगी उस पर तो टैक्स लगेगा परन्तु राजा और सरकार की चीज़ों पर टैक्स नहीं लगेगा। यह तो वाजिब बात नहीं है क्योंकि प्रजातंत्र के अन्दर एक समाजवाद हिन्दुस्तान में लाना चाहते हैं तो फिर यह समाजवाद क्या हुआ? इस तरह का समाजवाद नहीं होता है। पहले राजा लोग करते थे उसी तरह का अपन एम. एल. एज. कर रहे हैं। जनता तो कहती है कि १६० राजा हो गये। कोई भी कानून पास करें वह इस तरह का एक्ट नहीं होना चाहिए किसी आदमी के लिए तो यह कहे कि यह उससे टैक्स नहीं लेना चाहिए और किसी से लेना चाहिये। और माननीय चेयरमेन, आपको बतलाऊं कि फोरिन कन्ट्रीज में जितनी फेक्ट्रीज हैं उन सब पर कर लगाने का अधिकार म्युनिसिपैलिटीज़ को है। उन कंट्रीज में बिजली, पानी और दूसरी चीजों पर टैक्स इतना जबर्दस्त लगाया गया है कि उससे म्युनिसिपैलिटीज़ को काफी आमदनी होती है

श्री सभापति (श्री गोपीलाल यादव)—आप संशोधन पर बोलिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—संशोधन के अलावा थोड़ी बहुत बातें बतानी हैं वे भी बता दूं। ऐसी हालत में जो फेक्ट्रीज़ हैं उन पर भी म्युनिसिपैलिटीज की तरफ से ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाना चाहिये क्योंकि यहां पर उन पर अभी तक टैक्स नहीं लगा है। जयपुर में भी बालबियरिंग फेक्ट्री, स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स, रूंगटाजी की फेक्ट्री और मान इन्डस्ट्रीज हैं उन पर टैक्स लगाने का जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल को पूरा अधिकार होना चाहिये और वे उन पर टैक्स लगावें। रूस में भी इस तरह के टैक्स लगाये जाते हैं। आप यहां के फाइनेन्सेज़ को देखते हुए भी उन पर टैक्स नहीं लगाते हैं, राजाओं पर टैक्स नहीं लगाते है और गरीब जनता पर लगाते हैं। जब जनता पर लगाते हैं तो फैक्ट्रीज़ पर और राजाओं पर भी टैक्स लगना चाहिये। बिजली के बिल सरकार के सारे डिपार्टमेंट्स के पास आते हैं और बाकायदा उनकी वसूली होती है। म्युनिसिपैलिटी का चुनाव होता है और सारे अधिकार इनको दिये जाते हैं तो टैक्स वसूल करने के अधिकार भी देने चाहिए ताकि वह सरकार पर भी टैक्स लगा सके। जब जनता से टैक्स वसूल किया जाता है तो सरकार से और राजाओं से भी दूसरे लोगों की तरह ही टैक्स वसूल होना चाहिये। श्री भैरोंसिंहजी ने इस तरह का जो संशोधन क्लॉज (१६)

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

(जी) पर रखा है उसका भी मैं समर्थन इसलिए करता हूं कि टैक्सेज की वसूली सब आदमियों से हो। और यदि कोई टैक्स से वंचित किया जाता है तो सभी आदमियों को टैक्स से वंचित किया जाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि पहले जयपुर स्टेट के जमाने में म्युनिसिपेलिटी की सडकों पर जो मोटरें चलती थीं उनका टैक्स म्युनिसिपेलिटी वसूल करती थी लेकिन अब यह टैक्स सरकार वसूल करती है। सारा खर्चा सडकें बनानें, मरम्मत कराने आदि का म्युनिसिपेलिटी उठायेगी सरकार को यह भी नहीं मिलना चाहिये। यह टैक्स भी म्युनिसिपेलिटी को मिलना चाहिये।

श्री मोतीलाल चौधरी—यह टेक्स म्युनिसिपेलिटी ही तो लेती है।

श्री सभापति (श्री गोपीलाल यादव)—No direct tax exempt Mermbers आप इधर बोलिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी (जारी)—माननीय चेयरमेन, इस के अंदर यह रखा गया है कि पब्लिक की मोटर गाड़ियें चलेंगी उनका टैक्स सरकार लेगी यह नहीं होना चाहिये। सिटी म्युनिसिपेलिटीज और कस्बों की म्यूनिसिपेलिटीज को उन पर टैक्स लगाने का अधिकार होना चाहिये माननीय चेयरमैन, ये मंत्रीजी उच्च विचार रखने वाले हैं। राजाओं को कर माफ करने की बात आ है वह कतई माफ नहीं करेंगे और इस क्लॉज़ में जो अमेन्डमेन्ट रखे हैं उनको पास करने के लिये निवेदन मंत्रीजी से करूंगा। सब आदमियों को एक समान समझना चाहिये, मनुष्य मनुष्य को अलग अलग नहीं समझना चाहिये। टैक्स सभी पर लगना चाहिये। इतना मेरा निवेदन है। या तो इस पर विचार करके अमेन्डमेन्ट स्वीकार करेंगे या इसको अभी डेफर कर देंगे ताकि फिर सोच विचार करके इसे पास किया जा सके, क्यों कि अभी का मामला नहीं है हमेशा का मामला है। अजमेर मेरवाड़ा के लोग भी हमारे शामिल आने वाले हैं। आप ऐसा क्लॉज पास करें कि बाद में दूसरे लोगों को संशोधन नहीं लाना पड़े।

श्री शंभूसिंह—राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज बिल पर हालांकि मेरा खासतौर से बोलने का विचार नहीं था लेकिन आज एक महत्वपूर्ण क्लॉज ८७ पर विचार हो रहा है जिस का असर जनता पर लगनेवाले टैक्सेज पर पड़ता है इसलिये उस पर अपने विचार प्रकट करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। इस क्लॉज ८७ पर जो अमेन्डमेन्ट लिस्ट में ७१ नंबर पर आया है उस का मैं विरोध करने के लिये कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। इस क्लॉज ८७ पर जो अमेन्डमेन्ट नं. ७१ है उससे ऐसा आभास प्रकट होता है कि हम इस म्युनिसिपेलिटीज की संस्था को ओटोनोमस बनाने के बजाय एक गवर्नमेन्ट का डिपार्टमेन्ट बनादेना चाहते हैं और इस वास्ते इस किस्म की मेन्डेटरी क्लॉज़ बदलने के लिये यह संशोधन उपस्थित किया जा रहा है। इस में ओब्लीगेटरी टैक्सेसन इंपोज करने

[श्री शंभूसिंह]

का म्युनिसिपेलिटी को ऑर्डर देना वाजिब नहीं है। यदि म्युनिसिपेलिटीज को टैक्सेशन लगाने की आवश्यकता हुई तो इस बिल में एग्जिस्टिंग क्लॉज़ है उस के अनुसार वह अपने आप इंपोज कर देगी फिर यह ओब्लिगेटरी टैक्सेशन इंपोज करने की क्या आवश्यकता है। इससे तो यह प्रकट होता है कि इस वक्त भी कई म्युनिसिपल बोर्ड जो पब्लिक द्वारा चुने गये थे उनको गवर्नमेन्ट ने सुपरसीड करके बोर्ड के फन्कशन एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में सौंप दिये हैं उसी प्रकार अन्य चुनी हुई कमेटीज को भी एक एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में देदेना जैसी बनाना चाहते हैं और उसको दूसरे प्रकार से हम सुपरसीड करना चाहते हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से ओब्लिगेटरी टैक्सेशन का प्रोविजन नहीं होना चाहिये। यदि म्युनिसिपल बोर्ड को आवश्यकता होगी तो वह अपने आप एग्जिस्टिंग क्लॉज है उसके अनुसार जिस समय जरूरत पड़ेगी उस समय इंपोज कर देगी। और यदि किसी कारण से, विशेष कारणों के होते हुए म्युनिसिपल बोर्ड टैक्सेशन इंपोज नहीं करना चाहता है तो भी उस पर यह ओब्लिगेशन है कि इस प्रकार का टैक्स तुम जरूर इंपोज करो यह अनुचित बात है और यह जनता के पैसे पर एक प्रकार से हाथ डालने वाली व्यवस्था है। इस वास्ते इस प्रकार की बोडीज द्वारा इस प्रकार का टैक्स इंपोज करने का ओब्लिगेशन गवर्नमेंट को इन बोडीज पर नहीं डालना चाहिये और यह म्युनिसिपल बोर्ड के डिस्क्रीक्शन पर छोड़ देना चाहिये, वह आवश्यतानुसार टैक्स इंपोज करे और जैसा कि इस वक्त एग्जिस्टिंग क्लॉज़ में मौजूद है उसी के अनुसार काम करना चाहिये।

इसके बाद एक अन्य मित्र के विचार सुनने को मिले। उन्होंने भी अपने संशोधन प्रस्तुत किये हैं। इसमें ज्यादातर उनके संशोधन उचित प्रतीत होते हैं। लेकिन एक दो बातें जो सप्लाई ऑफ वाटर एंड लाइट के बारे में थीं उसमें मैं समझता हूँ या तो माननीय मित्र को कुछ गलत फहमी हो गई है या मुझे कुछ गलत फहमी हो गई है। इस वक्त उन्होंने कहा कि रूलर्स के भी वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी का टैक्स वसूल होना चाहिये। मैं समझता हूँ इस वक्त जहां जहां पर रूलर्स रहते हैं वहां पर वाटर सप्लाई और बिजली गवर्नमेंट की है, म्यूनिसिपल कमेटीज़ की नहीं है इसके बारे मे गवर्नमेंट पावर हाउस या वाटर वर्क्स का टैक्स वसूल करने का अधिकार बोर्ड को दे सकती है। इसका यह मतलब लेता हूँ।

निकट भविष्य में गवर्नमेंट वाटरवर्क्स और पावर हाउसेज म्यूनिसिपैलिटीज को ट्रान्सफर करने जा रही है और अब ये बिल पास हो जायगा तो गवर्नमेंट की ओर से इस प्रकार की घोषणा कर दी जायगी कि वाटर वर्क्स और पावर हाउसेज म्मनिसिपैलिटीज को ट्रान्सफर कर दिये और म्युमिसिपैलटीज़ ही अब इनके टैक्सेज चार्जेज वसूल करें। यदि गवर्नमेंट फ्री ऑफ चार्ज वाटर वर्क्स और पावर हाउसेज म्यूनिसिपैलिटीज को ट्रान्सफर करने की उदारता दिखाती है तो क्या वजह है कि हम रूलर्स को इन टैक्सेशन्स से मुक्त न कर दें। यह गवर्नमेंट का ही जिम्मा है और गवर्नमेंट के साथ ही रूलर्स के इस प्रकार के कोवनेन्ट तय हुए थे। गवर्नमेंट जब इतनी उदारता दिखाती है कि वाटर

[रावत श्री शम्भुसिंह]
वर्क्स और पावर हाउसेज म्युनिसिपैलिटीज को ट्रान्सफर कर रही है तो जिस तरह आज तक रूलर्स को आज तक इस प्रकार के टैक्सेज से एग्जेम्ट रखा है उसी प्रकार आगे भी इसीतरह रखेगी। गवर्नमेंट के इस रुख पर, इस प्रकार के ट्रान्सफर करने की घोषणा करनेसे पूर्वही हमें उसे धन्यवाद दे देना चाहिये। इस वास्ते मैं समझता हूँ कि माननीय मित्रने जो दूसरे संशोधन रखे हैं वे तो वाजिब हैं पर अगर गवर्नमेंट पावर हाउसेज और वाटर वर्क्स म्युनिसिपैलिटीज को ट्रान्सफर करने को तैयार है तो रूलर्स को भी इन टेक्सेशन्स से एग्जेम्प्ट कर देवे तो ठीक है।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, यह टैक्सेशन की धारा ८७ पर बहस चल रही है इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सारे चेप्टर को, इस चेप्टर न० ७ को जो कि इम्पोजीशन ओफ टैक्सेज का है और बहुत इम्पोर्टेन्ट है, इसको डेफर कर दिया जाय, क्योंकि इस पर सोच विचार करना आवश्यक है। इस चेप्टर ७ को डेफर कर दिया जाय तो बाकी सब बड़ी असानी से हो सकता है और दो तीन दिन बाद इसे लिया जा सकता है। गवर्नमेंट और अोपिजिशन के लोग बात करके दो तीन दिन में इस पर भी विचार करलें। चेप्टर ७ को डेफर करके चेप्टर ८ को अभी ले लिया जाय तो आसानी रहेगी।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—क्या कहा ? चेप्टर ७ को सारे को डेफर कर दिया जाय ?

श्री गोपीलाल यादव—जी हां, चेप्टर ७ है उसको दो दिन के लिये डेफर कर दिया जाय।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—क्या फायदा इससे।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, सदन के समक्ष नगरपालिकाओं को किस प्रकार के टैक्स लगाने का अधिकार होगा, यह धारा ८७ में डिस्कस हो रहा है। इसके ऊपर सराड़ा सलूम्बर से आये हुए मित्र ने जो संशोधन रखा है वह ओबलीगेटरी टैक्सेज के बारे में है। हमारी समझ में नहीं आता, माननीय उपाध्यक्ष, कि सरकार इस बात के ऊपर इतनी एंक्झियस क्यों है कि कई बातें ऐसी रहें कि जिनको म्यूनिसिपैलिटीज नहीं चाहे तो भी उन पर उन चीजों को थोपा जाय यह सरकार की नीति कुछ हद तक मैं मानता हूं गलत है। यह मेरी व्यक्तिगत राय ही नहीं मैं यह मानता हूं कि बहुत लोगों की राय ऐसी है कि सरकार ने जो टैक्सेशन के मामले में कुछ हद तक अपनी जनता के ऊपर जोर आजमाने की कोशिश की है, इसको हम अनुचित मानते हैं। कोई भी म्यूनिसिपल बोर्ड हो उसे हमें यह हक देना चाहिये कि वह बोर्ड अपनी मर्जी के माफिक टैक्सेज लगाये। यह कोई लाजमी बात नहीं है कि जयपुर का म्यूनिसिपल बोर्ड अगर कुत्तों पर टैक्स लगाता है तो जोधपुर का म्यूनिसिपल बोर्ड भी कुत्तों पर टैक्स लगाये। बहुत मुमकिन है जोधपुर का बोर्ड भेड़ बकरियों पर टैक्स लगाना उचित समझे। इसी तरह उदयपुर में जायेंगे तो वहां का बोर्ड गधों पर टैक्स लागना पसंद करेगा। यह जो टैक्स लगाने के बारे में पाबन्दी की बात है उसका मैं विरोध

[श्री मानसिंह महार]

करता हूं। क्या बात है कि यूनिफोर्मिटी टैक्सेज के बारे में रखी जाय। कई म्यूनिसिपैलिटीज ऐसी होंगी जो कि आक्ट्राय ड्यूटी लगाना पसंद नही करेंगी वे कोई और ही तरीका टैक्सेशन का निकालना पसंद नही करेंगी। क्या बात है कि सरकार अपनी जिद पर तुली हुई है कि सरकार यह समझे कि अमुक अमुक तरह के टैक्सेज लगाने हैं तो वह नोटिफिकेशन निकाल देगी और म्यूनिसिपैलिटीज को टैक्सेज लगाने पड़ेंगे, इस प्रकार की बात है उसको मैं उचित नहीं समझता। उनमें जो अमेंडमेंट रखे हैं, सब सेक्शन है मैं बता देता हूं, वह तो बहुत गलत है, इसको रेफर भी किया है।

"(v) a tax on dogs kept within the municipality."

कुत्तों ने बेचारों ने क्या अन्याय किया है कि कुत्ते रखने वालों पर ओबलीगेटरी टैक्स होगा, कहीं की म्यूनिसिपैलिटी ऐसी हो सकती है जो कुत्तों पर टैक्स लगाये तो लगा दे पर इस प्रकार की छोटी छोटी बातें रखी जायं यह उचित नहीं।

फिर रक्खा है।

"(vii) a toll on vehicles and other conveyances, animals, animals entering the municipality."

यह मैं नहीं समझता कि यह अमेंडमेंट सरकार की तरफ से मूव हुआ है या उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मूव किया है। अगर व्यक्तिगत तरीके से मूव किया है तो फिर मैं उस तरीके से अपनी बहस करूंगा। जिन महानुभाव ने यह टैक्सेज का प्रपोजल रखा है उनको सोचना चाहिये कि राजस्थान के अधिक हिस्सों में कुत्ते नहीं पाये जाते, बीकानेर में ऊंट अधिकता से पाये जाते हैं, उदयपुर में गधे पाये जाते हैं और जोधपुर में भेड़ बकरी की अधिकता है, इसकी ओर भी हमें ध्यान देना है तो इस प्रकार की बात ही गलत है कि टैक्सेज के अन्दर यूनिफोर्मिटी लाने की बात रखी जाय।

दूसरी बात है उस सिलसिले में दांतारामगढ़ से आनेवाले मित्र ने एक संशोधन रखा है वह है "Delite the words, 'or special orders of the State Government in this behalf in clause 87 (1).

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार इस प्रकार का हस्तक्षेप करे, उसको मैं कतई उचित नहीं मानता हूँ। यह हमारा आज से पहले का अनुभव है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सरकार का म्युनिसिपल बोर्ड में हस्तक्षेप होता है वह बहुत अनुचित है। अभी हमने देखा है कि सरकार ने ओक्ट्राय ड्यूटी जयपुर में लगाई, जोधपुर में लगाई और वह इसलिये कि चुने हुए बोर्ड को यह मौका नहीं दिया जावे कि वे इस प्रकार की कोई चुंगी

[श्री मानसिंह मझार]

लगाना चाहते हैं या नहीं। एक तो पब्लिक की मर्जी के खिलाफ सरकार ने यह चुंगी लगा दी और अब सरकार क्या चाहती है कि अगर म्युनिसिपल बोर्ड के चुने हुए सदस्य यह समझते हों कि पब्लिक के हित में इसका रहना अनुचित है और इसको हटा दी जानी चाहिये, तो भी वे इसको हटा नहीं सकते। अगर यह क्लॉज इन्सर्ट हो जाती है और मेरे मित्र ने जो एमेन्डमेंट रखा है नामन्जूर हो जाता है तो ओक्ट्राय ड्यूटी हर वक्त कायम रहेगी चाहे उसको म्युनिनिसिपल बोर्ड चाहे या न चाहे। मगर फिर भी सरकार के हुक्म से उसको मजबूरन कायम रखना होगा। अब देखना यह है कि सरकारी इन्टरफियरेन्स को कहां तक बर्दाश्त करें।

मैं यह कहूंगा कि आज के युग में सरकार को क्या नीति अपनानी चाहिये, सरकार की नीति यह होनी चाहिये कि जो नगरपालिका की आमदनी के साधन हैं उन सब साधनों को नगरपालिका के सुपर्द कर दिये जावें। पहली बात तो यह है और उसके बाद में सरकार इन नगरपालिकाओं को कह दे कि हम आपको यह कहते हैं कि आप अपने साधन ले लीजिये और जंचे जैसे टैक्स लगावें और जिस तरह से आपके जंचे उस तरह से काम करें। अगर म्युनिसिपेल्टी घाटे में जावेगी तो हम मदद नहीं देंगे यह भी उनको इसके साथ ही कह दें। लेकिन आप यह चाहते हैं कि एक तरफ आप उनको उसके आमदनी के साधन नहीं दें और दूसरी तरफ यह कहें कि इस प्रकार आपके हुक्म से टैक्स लगावे, मैं यह कहूँगा कि आज के जनतन्त्र के युग में यह काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर आप यह चाहते हैं कि आज भी आपका बड़ा हुक्म उसी तरह से चलता रहे जिस प्रकार राजाओं के जमाने में चलता था तो मैं यह कहूँगा कि आप जनतन्त्र के सबसे बडे हत्यारे हैं। आप आज के युग में हमको टैक्स देने के लिए बाध्य करते हैं। मैं यह कहूँगा कि ये टैक्स नहीं वे टैक्स देंगे जैसा आप कहते हैं। टैक्स भी दिया जावेगा यदि हमको म्यूनिसिपेल्टी को सुचारू रूप से चलाना है। हम अच्छी से अच्छी तादाद में टेक्स देंगे मगर टेक्स तभी दिया जावेगा जब हमारी आमदनी के साधन जितने भी सरकार के पास हैं सरकार हमें सरेन्डर कर देगी। हमारी सरकार हमारे आमदनी के साधन तो अपने पास रखना चाहती है और हम पर टैक्स लगाना चाहती है कि गवर्नमेंट के हुक्म से टैक्स लगाया जावे। यह नहीं कि नगरपालिका अगर चाहे तो टैक्स लगाए। आप तो यह कहते हैं कि यह तो ओब्लीगेटरी है, इसको तो लगाना ही होगा। मैं समझता हूँ कि इससे बढ कर अन्यायपूर्ण क्या बात होगी। जयपुर की म्युनिसिपेल्टी कहती है कि हम हाउस टैक्स और ओक्ट्रोय टैक्स नहीं लगाते मगर आप कहते हैं कि यह ओब्लीगेटरी हैं। जयपुर की नगरपालिका दूसरे टैक्स लगाना पसन्द करेगी। वाटर वर्कस और पावर हाउस जो नगरपालिका के होने चाहिये और नगरपालिका का उस पर हक है वह उनको दिये जावें। उनकी इनकम से काम चलावेगी। आप क्यों इन पर ओब्लीगेटरी टैक्स रखते हैं। हम जानते हैं कि वास्तव में कितना खर्च होता है और कितना खर्च होना चाहिये। आज कूडा करकट की एक ट्रक भरने के लिये ६ या ८ भंगी रखे जाते हैं उनके काम को इमेजिन कीजिये। एक ट्रकपर दो आदमी उपर के लिये काफी होते हैं और दो आदमी नीचे भरने के लिये काफी होते हैं। इस

[श्री मानसिंह महार]

तरह चार आदमियों से काम चल सकता है। लेकिन आज हम देखते है कि एक ट्रक पर ६ या ८ आदमी रखे जाते हैं। कई दफा कहा जाता है लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आप देखलें नगरपालिका में आज क्या हो रहा है। सफाई का काम किस तरह से होता है। सड़कों पर मिट्टी आ जाती है तो उसको मजदूरों के जरिये से हटाई जानी चाहिये, मगर वह भी भंगियों से हटाई जाती है। एक मजदूर जितना काम करता है उसका १।४ भाग भी एक भंगी नहीं करता। अगर आप किसी को भी उसको हटाने के लिये ठेका दे सकते हैं तो वह काम २५ रुपये में या ३० रुपये में पूरा हो सकता है। और वही काम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से १०० रुपये में भी नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक काम में आज चार गुना खर्च होता है। क्या इससे हम यह आशा करें कि वह हमको सही मार्गदर्शन करेगी। मैं नही समझता कि सही मार्गदर्शन करेगी।

टैक्स का मामला एक अहम मामला है। इस पर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिये। यहां पर बैठे बैठे कहना कि अमुक अमुक टैक्स लगाये जाना लाजमी है, मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है। क्यों कि कई म्युनिसपेल्टीज़ ऐसीहैं जो ओक्ट्रोय टैक्स लगाये बिना ही इतनी आमदनी प्राप्त कर सकती हैं जो उसके लिये काफी हो। आप यहां जयपुर के पास चोमूं को ले लीजिये। वहां पर अनाज की मंडी है। अनाज आता है उस पर उन्होंने फी बोरी टैक्स लगा रखा है। इस अनाज के टैक्स से ही नगरपालिका को इतनी आमदनी होती है कि एक वर्ष की इनकम से वह अपना ५ वर्ष तक का खर्चा निकाल सकती है, ऐसी सूरत में उसको ओक्ट्रोय और हाउस टैक्स के लिये क्यों बाध्य किया जाता है। जब एक ही टैक्स से इतनी आमदनी हो सकती है और वह कर सकती है तो क्या वजह है कि दूसरे टेक्स लगाना उनके लिये ओब्लीगेटरी रखे जावें। मैंने देखा है कि एक बार मैं टोंक चला गया वहां पर मैंने देखा कि सप्ताह में एक बार मुर्गा मुर्गियों को बेचने के लिये लोग इकठे होते हैं। वहां के नगरपालिका के लोग चाहेंगे कि मुर्गा मुर्गियों पर टेक्स लगाया जावे और कुत्तों पर नहीं लगाया जावे। मगर कुत्तों पर आपने ओब्लोगेटरी कर दिया है। आंख से देख कर न्याय से चलिये। आप को पब्लिक को इस संबन्ध में आज के युग में हक देना चाहिये कि वह जिस प्रकार चाहे उस प्रकार के टेक्स लगाए। ये हक हमें छीनना नहीं चाहिये अगर इस प्रकार के हक छीनते हैं तो उचित बात नहीं है। आज का युग यह मांग करता है कि उनको उनके हक दिये जावें मगर अफसोस जब होता है जब इस प्रकार की बाते उन लोगों की जानिब से आती है कि जिन्होंने नगरपालिका को ज्यादा से ज्यादा मत देने के लिये नारे बुलन्द किये थे जिसकी कोई हद नहीं थी। मुझे मालूम है जयपुर में दो ट्रेज़री बेंचों पर बैठने वाले और एक उसके पीछे बैठने वाले माननीय सदस्यों ने सर मिर्जा के समय में इस नारे को बुलंद किया था कि जयपुर के वाटर वर्क और बिजलीघर म्युनिसिपेल्टी को दे दिये जावें। आज वे सब पुरानी बातें गई आई और उसको तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया से दूसरी तरफ नगरपालिका के टेक्स लगाना चाहते हैं और यह कहते हैं कि पब्लिक नाकाबिल और ऐसे आदमियों को नहीं भेजेगी जो उचित टेक्स की तरफ ध्यान नहीं दे सकेंगे, यह कोई न्यायपूर्ण बात नहीं है।

[श्री मानसिंह महार]

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके जरीये सदन से और सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार टेक्सेशन का जो मसला है वह नगरपालिकाओंपर ही छोड देना चाहिये और इस प्रकार की ओबलीगेट्री बात कतई नहीं होनी चाहिये।

सरकार को क्या मतलब कि किसी भी शहर की नगरपालिक किसी भी प्रकार टेक्स लगाये। आज इस सदन के अन्दर जितने भी माननीय सदस्य हैं उनमें से करीब १५ सदस्य ऐसे हैं जो शहर से आये हुये है बाकी जो १४० सदस्य हैं वें गावों से आये हुये हैं। यदि आप शहर वाले मिलकर कोई ऐसी बात करते हैं तो हम गांव वाले यह समझेगें कि हमारे साथ शहर वाले अन्याय करते हैं। यही बात इस प्रकार से नगरपालिकाओं के अधिकारों को छीनना कोई अच्छी चीज नहीं हैऔरउन माननीय मंत्री द्वारा जो किसी समय नगरपालिका के खूंखार प्रेसीडेन्ट रह चुके हैं वे ही इस प्रकार के बिल को पायलोट कर रहे हैं इससे ज्यादा और क्या शर्म की बात हो सकती है।

श्री सोहनलाल भटनागर—उपाध्यक्ष महोदय, खुंखार शब्द पार्लियामेन्टरी है ?

श्री मानसिंह महार—आप जो कुछ भी बोलते हैं सब पार्लियामेटन्री है उपाध्यक्ष महोदय, खूंखार शब्द तो माननीय मंत्री जीं को भी पसन्द है। फिर यह एतराज क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मुझे तो आपकी सब बातें पसन्द हैं।

श्री मानसिंह महार—(जारी रखते हुए) इसलिये मैं यह समझता हूँ कि अगर हमारे माननीय मंत्री जो किसी समय इस बात के पक्षपाती रहे हैं कि नगरपालिकाओं को वाटर वर्क्स दे दिये जांय बिजली घर दे दिये जांय आज भी यदि वे उसी प्रकार के हक दिलाने की बातें करते तो कोई बात थी।

तीसरी बात यह है कि जब कि आज के युग में एक प्रकार से यह कहा जाता है कि राजप्रमुख प्रथा को खत्म किया जाय और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि हम सोसिलिस्टिक पेटर्न ओफसोसाइटी बनाने जा रहे हैं और तीसरी तरफ नगरपालिकाओं को यह बाध्य करते हैं कि राजाओं की सम्पत्ति राजाओं के मकानात ये सब म्युनिसिपल टेक्स से फ्री रहेगे। वाह रे सोशिलिस्टिक पेटर्न ओफ सोसाइटी का नमूना इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूं। कि गरीब आदमी जो कि छोटासा मकान बनाते है जो अपना पूरा पेट नहीं भर सकता वह अपने मकान के हिस्से मुख्य करने के कारण दस रुपये माहवार में किसी को किराये पर रख लेता है। आज हम यह कर रहे हैं उस दस रुपये पर भी हम टेक्स लगायेगे। हाला कि जहां उसका मकान है न तो सडकें बनी है न कोई सफाई का काम किया न बिजली

[श्री मानसिंह महार]

का खंभा ही है। दूसरी तरफ जयपुर का रामबाग पेलेस है जिसके चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है, चारों तरफ बिजली की रोशनी के लिये खम्भे लगे हुए हैं और जो कुछ भी अमीनिटिज़ होनी चाहिये सब कुछ हैं लेकिन, जब टेक्सेसन का मामला आता है,तो उपाध्यक्ष, महोदय झुकर जाते हैं कि इनको तो इन टेक्सों से एक्जेम्प्ट किया हुआ है ,विधान के अन्तर्गत इनको एक्जेम्प्शन है। जब आपने राजप्रमुख बनाया था तब भी तो यह वादा किया था कि आजीवन राजप्रमुख रहेंगे जब आपका मतलब आया राजप्रमुख पद को हटा दिया तब तो कोन्स्टीटयूशन की बात नहीं आई, लेकिन जब टेक्स की बात आती है तो यह कहा जाता है कि कोन्स्टीटयूशन के अन्तर्गत इनको एक्जेम्प्ट कर रखा है, यह कोई न्याय संगत बात नहीं है। आप यदि कोई एक्जेम्प्शन देना चाहते हैं तो गरीबों को दीजिये, जो व्यक्ति भूखा मरता हुआ दुःख पाकर भी अपने मकान का एक हिस्सा किराये पर देता है तो उस पर तो आप टैक्स लेने के लिये तैयार हो जाते हैं और एक्जेम्प्शन उनको दिया जाता है जो पच्चीस पच्चीस और तीस तीस हजार रुपये माहवार के होटल बनाते हैं, मकान का हजारों रुपया किराया लेते हैं, उनके साथ इस प्रकार की रियायत करना अन्यायपूर्ण काम है। इस सिलसिले में उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है वह उचित है और उन्होंने जो कहा है :

"Provided that no such tax shall be imposed when the annual letitng value of buildings or lands is less than Rs.20/-in a city and Rs. 10/-in a town."

यह तो बिल्कुल रद्दी है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जैसा कि अभी भरतपुर से आये हुए मित्र ने कहा यह जो वार्षिक रखा है उसके बजाय मन्थली होना चाहिये। दस रुपया माहवार जो अपना मकान का किराया लेता है उसको एक साल के अन्दर १२० रुपये की आमदनी होती है और यह रुपया तो वह मकान के मेन्टीनेन्स पर ही खर्च कर देता है उसके पास खुद की इतनी इनकम नहीं कि वह मेन्टीनेन्स पर पैसा लगा सके। आप दस रुपये माहवार के मकान पर टैक्स लगाना चाहते हैं, आप जयपुर शहर में दस की जगह पन्द्रह कर दें और बाकी दूसरे टाउन्स में १० रुपया माहवार कर दें ज्यादा उचित होगा। इससे म्युनिसिपल इन्कम के अन्दर जितनी कमी आयेगी वह केवल एक प्रोवीज़ो की जिसमें राजाओं की सम्पत्ति पर म्युनिसिपल टैक्स के अधिकार नहीं देते हैं उसको हटा दीजिये तो सारा लिकूना फिल अप हो जायगा, वह आमदनी इस छूट से भी कितनी अधिक होगी। यह एक बात सोचने लायक है। मैं समझता हूं कि वह सरकार जो सोशिलिस्टिक पेटर्न ओफ सोसाइटी की दुहाई देती है उस सरकार को तो इस बात की तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिये। यह कह देने से कुछ नहीं होता कि हमारी मजबूरी है। दो तीन बातें और रह गई हैं इस सिलसिले में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं।

मोटर विहिकल्स के बारे में टैक्स लगाने की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मोटर विहिकल्स टैक्स के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जयपुर जैसे बड़े शहर म्युनिसिपैलिटी मोटर

[श्री मानसिंह महार]

विहिकल्स पर किसी प्रकार का टैक्स लगाती है तो उसको किसी हद तक उचित भी मान सकते हैं, लेकिन टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ को यह हक देते हैं तो अन्यायपूर्ण होगा। टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ का एरिया ज्यादा से ज्यादा एक मील का होता है, वहां पर मोटर वालों को इतनी सहूलियतें नहीं होती कि जितनी कि सिटी म्युनिसिपेलिटीज़ के एरिया के अन्दर होती है। तो इस प्रकार के हक टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ को देना और उनके लिए ओब्लिगेटरी करना उचित नहीं है, वैसे ही उनके यहां बहुत कम मोटरें रहती हैं अगर टैक्स लगाने का हो गया तो कोई इन्कम होने वाली नहीं होगी क्योंकि लोग क्या करेंगे कि उस एरिया में मोटर न रख कर उस एरिया के बाहर रख देंगे। मैं इस संबन्ध में एक नजीर पेश करूंगा जयपुर से जो लोरियां जाती है रींगस, अमरसर, चोमू कस्बे के अन्दर होकर जाती हैं तो क्या हुआ कि जिस प्रकार हमारी सरकार के दिमाग में आया कि इन लोरियों पर टैक्स लगाया जाय उसी प्रकार चौमू म्युनिसिपेलिटी ने भी किया और उन लारियों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि लॉरी वाले चौमू कस्बे के अन्दर न जाकर दरवाजे के बाहर से ही जाने लग गये। इससे जनता को बड़ी तकलीफ हो गई, लारी उनको दरवाजे के बाहर ही उतार देती हैं जिससे सामान वगैरह वह या तो अपने सिर पर ले जाना पड़ता है या अन्य किसी प्रकार से ले जाना पड़ता है, जो करीब गांव से एक माइल के करीब पड़ता है। अगर इस प्रकार का टेक्स नहीं लगाते तो वे लारियां बाकायदा कस्बे के अन्दर होकर गुजरतीं और जनता को काफी आराम रहता। यह ठीक है कि जहां की म्युनिसिपेलिटी इस प्रकार का टेक्स लगाना चाहती है वह लगाये किन्तु सब के लिये यह ओबलीगेटरी नहीं करना चाहिये। जब ओब्लिगेटरी करते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि चाहे कोई म्युनिसिपेलिटी उचित समझे या न समझे सब को लगाना पड़ेगा। अगर कोई कस्बा यह चाहता है कि हमारे यहां से मोटर जाय अच्छी बात है ताकि हमारे यहां के व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है बाजार के अन्दर से जाती है लारियां तो हमारे दुकानदारों की बिक्री होती और भी कई तरह के फायदे होते हैं। लेकिन अगर हम टेक्स लगा देते हैं तो लारियां बाहर से ही निकल जायगी उसका नतीजा यह होगा कि उस कस्बे के व्यापार को हानि पहुंचेगी; जहां कि म्युनिसिपेलिटी ने इस प्रकार के टेक्स नहीं लगा रखे हैं उनके लिये ओबलिगेटरी करना उचित नहीं है। इसी प्रकार एक मैं टोल टेक्स की मिसाल भी सदन के सामने रखना चाहता हूँ, आमेर होकर दिल्ली जाने वाली जो सड़क है आप यदि टोल टेक्स लगा देते हैं तो जितनी भी गाड़ियां दिल्ली को जायेंगी सब पर आमेर म्युनिसिपलिटी टेक्स लेगी, यह कोई न्याय संगत चीज नहीं है; क्योंकि वहां सडक आपको बनाई हुई है, सड़क म्युनिसिपेलिटी की नहीं बनाई हुई है, सरकार की तरफ से सड़क बनी हुई है फिर भी इसका हक म्युनिसिपेलिटी को देना, टोल टेक्स लगाना, किस दिमाग की सूझ हैं, यह मैं पूछना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, आखिर यह सूझ बूझ किस इलाके से आकर सदन में पेश हुई, हम लोगों को कानून बनाते वक्त कुछ जनता का तो ध्यान रखना चाहिये। एक पन्ना किधर से लिया दूसरा पन्ना किधर से और तीसरा पन्ना तीसरी जगह से और फिर अन्त में मेवाड़ की सूझ आकर उस

[श्री मानसिंह महार]

पर मोहर छाप लगा दी यह कोई न्याय संगत बात नहीं है, कुछ सोच विचार के तो काम किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, तो यह जो टोल टेक्स वाली बात कही गई है यह कोई अच्छी बात नहीं है।

एक बात और है :

"(vii) a toll on vehicles and other conveyances, animals entering the municipality." ......

कितनी अन्यायपूर्ण बात ? हम गांव वालों को तो नेश्तनाबूद करना चाहते हैं। यह सरकार हमारा गांव वालों का भला तो देख नहीं सकती। आज जयपुर शहर में मेरी कान्स्टीटयूएन्सी से कम से कम तीन सौ, चार सौ ऊंट रोज आते हैं बजरी लेकर, उन पर भी टौल टेक्स लगा दिया गया। ये गरीब अपना रोजगार चलाते हैं किसी तरह, सुबह तीन बजे उठते हैं, बजरी भरते हैं और यहां तक लाकर डेढ़ दो रुपये में वह बजरी बेच जाते हैं और इस तरह से वे बेचारे दिन भर के अपने श्रम के रूप में डेढ़ दो रुपया कमा कर घर लौटते हैं। पर आपको घाटा होता है, आपको भूख हो गई कि आप उन पर भी टेक्स लगा रहे हैं। कुछ तो सोचिये। दुनिया को लूट लिया, टेक्स टेक्स टेक्स कर के और तब भी हम गांव वालों को भी नहीं छोड़ सकते ? उनको भी टोल टेक्स देना होगा। क्या बुद्धि है ? किस शख्श ने यह रक्खी है बुद्धि, भगवान ने न मालूम क्या किया है ? हम सोचते हैं तो सचमुच अफसोस होता है। टोल टेक्स देना अनोमोलीज़ कहा जाता है। कल को कोई आदमी गाय लेकर आता है यहां पर, मैं इसके लिये भी मिसाल दूंगा कि कोई आदमी जयपुर शहर में से होकर पास होता है तो कोई एनोमोलीज़ लगावेंगे तो टोल टेक्स इन पर भी लग जावेगा। अकाल पड़ता है लोग पानी और चारे के अभाव में यहां से हजारों गायें लेकर बाहर जाते हैं और यहां से पास होते हैं, तो उन पर भी यह टोल टेक्स लग जावेगां। गाड़िया लुहार, जिनको बसाने के लिए इस सरकार ने लाखों रुपया खर्च किया है, पर एक को नहीं बसाया, वे यहीं पर फिरते फिरते रहते हैं, दूर दूर के धक्के खाते हुये वे अगर यहां आ जावेंगे तो उनके बैलों और गाड़ियों पर टोल टेक्स लगावेंगे आप और यह कम्पलसरी होगा। क्या बात हुई ? यह कोई न्यायप्रिय बात है ? उनके जिनके लिये एक तरफ कहते हैं। हम बसा रहे हैं, लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, चित्तौड़ का किला फतह कर रहे हैं। उन्हीं पर टौल टेक्स लगावेंगे, ये छोटे छोटे गरीब बिचारे धूम घूम कर अपना पेट पालते हैं, दो पैसे में दांतली बना देते हैं और चार पैसे में हल का फल लगा देते हैं और इस तरह अपना भी गुजारा करते हैं और लोगों को भी सस्ते में काम हो जाता है उनकी ही गाडियों पर टौल टेक्स ? कुछ सोच समझ कर काम करिये। जनता का भी, उस गरीब जनता का भी कुछ हित करिये। यह मत सोचिये कि आपके पास पैसा आ जावेगा तो हमारी म्यूनिसिपेलिटियां शहर को स्वर्ग बना देंगी। बेचारे ये शहर तो इतना पैसा खरच करते हुए भी नरक बने जा रहे हैं। आज आप हमारा जयपुर शहर ही देखेंगे

[श्री मानसिंह महार]

तो गन्दगी के लिहाज से नर्क के समान है। आप अधिक टेक्स लेकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर गन्दगी दूर करनी है तो सही ढंग से एप्रोच करना होगा। जबतक सरकार सही तरीके से टेक्सेशन के मामले पर विचार नहीं करती, मैं यह कहता हूँ कि कुछ होने जाने वाला नहीं है और इस तरह बिना सोचे समझे टेक्सेशन करना बहुत अनुचित बात है और जिस प्रकार से ओब्लीगेटरी टेक्सेशन की बात सदन में आई है वह शहर वालों के लिये न्यायपूर्ण हो या अन्यायपूर्ण पर हम गांव वालों के लिये यह बडी अन्यायपूर्ण बात है, यह नाकाबिल बरदाश्त है। गांव वाले अनाज शहर में बेचने आएं तो उन पर भी बैल और गाडी पर टोल टेक्स लगे। क्या न्याय की बात है? पहले यह टेक्स अजमेर में लगता था। उससे कितनी दिक्कतें होती थीं। आज उसी प्रकार का टोल टेक्स सरकार यहां पर इम्पोज़ करना चाहती है। हम तो यह सोचते थे कि सरकार जनता की सुविधा की ओर ध्यान देगी। पर आज तो हमारे प्रत्येक काम, प्रत्येक कदम जनता को असुविधा में डालने के लिये होते हैं। और कहा क्या जाता है? हुक्म होगा सरकार का और असुविधाजनक काम करना पडेगा जनता के नुमाइन्दों को, म्यूनिसिपल कमिश्नरों को, और म्यूनिसिपल कौंसिलरों को, म्यूनिसिपल के मेम्बरों को। यह कोई न्यायपूर्ण चीज नहीं कही जा सकती। इस मुद्दे को लेकर आगे चला जावे उपाध्यक्ष महोदय, तो देखेंगे कि इसमें आगे चलकर एक बात और है जिसके बारे में निवेदन करूंगा। वह है :

"(xvi) any other tax which the State Legislature has power to impose in the State under the constitution."......

इसके बारे में मेरे मित्र का एक अमेंडमेन्ट है कि :

"Substitute the word 'may approve' for the words 'has power'

यह बहुत उचित अमेन्डमेन्ट है और मैं मंत्रीजी से आशा करूंगा कि इस बात में वे जरा ठंडे दिमाग से विचार करेंगे। वे इस बात की ओर इसनुक्ते निगाह से नहीं तशरीफ ले जावेंगे कि हमें शहरों की सफाई तो दूसरों की कीमत पर भी करनी है। जयपुर शहर में अगर कोई चीज बेचने आता है तो उसके बीच में मेरा क्या लाभ होगा? जयपुर शहर में आप टट्टियों को साफ करा देंगे तो। मैं बाहर से आता हुआ आदमी जहां की टट्टियों से मेरा कोई सरोकार नहीं। आप इसके लिये टेक्स लीजिये यहां की जनता से। बाहर से हम गांव से आते हैं। मैं गांव में खेती करता हूँ, अनाज पैदा करता हूँ। इसके लिये मैं सरकार को लेण्ड रेवेन्यू देता हूं और हमारे जम्वा रामगढ़ में और आमेर तहसीलों में लैण्ड रेवेन्यू इतना हो जाता है जितना राजस्थान के किसी भाग में नहीं। फिर भी हम नजदीक की तहसीलों के होने के नाते यहां अपना प्रोड्यूस बेचने लावेंगे तो हमारे गाय बैलों पर टेक्स जयपुर शहर में भी घुसते ही। हमारे अनाज पर भी टेक्स। हमारी प्रत्येक वस्तु पर टेक्स। हम यहां से कपडा लेकर भी आवेंगे तो उस पर भी सेल्स टेक्स तैयार। जो कुछ हम काम करेंगे हमारे लिये तो हर चीज़ तैयार, हर प्रकार का टैक्स

[श्री मानसिंह महार]

तैयार। पर हम पूछते हैं कि इसके बदले में म्यु० हमारे लिये क्या सुविधा कर देगी? क्या वह हमारी गाडियों के लिये पार्क बना देगी? हमारे अनाज के लिये क्या कोई इन्तजाम कर देगी कि बाहर का अनाज जो आवेगा उसका फलां जगह सेन्टर बनाकर उसका वहां स्टोर कर लिया जावेगा, अच्छे भाव से बिकवा दिया जावेगा, चोरी नहीं जावेगी, देख भाल की जावेगी। यह बनाना तो दूर, उल्टा मैं आपको एक नजीर दूं ये लोग हम गांव वालों के साथ क्या सलूक करते हैं। यहां की तो यह हालत है कि जमवा रामगढ़ की तहसील का एक ऊंट एक गांव का किसान लेकर यहां शहर में आया, यहां वह ऊंट चमक गया और उसके पैर की जरा सी ठोकर किसी खोमचे वाले के खोमचे के लग गई और उसका माल ढुल गया। इस पर सड़क पर सौ दो सौ आदमी इकट्ठे हो गये और नतीजा यह हुआ कि उस ऊंट को उन्होंने मिल कर जान से मार डाला। यह साल भर पहले की बात है। उस गरीब किसान का ऊंट मर गया। उसकी तो आपने पांच सौ रुपये की एक कमाई का साधन लूट लिया, उसका पांच सौ रुपया का वह ऊंट था जिसके द्वारा वह अपनी रोजी कमाता था आपने तो उसकी रोजी का साधन छीन लिया! उस मारने वाले का चालान भी नहीं किया गया पुलिस में। बेचारा किसान रो कर रह गया। ऊंट को रो रुवा कर घर चला गया। हमारे साथ एक तरफ तो यह बरताव किया जाता है सत्ताधारियों द्वारा और दूसरी तरफ हमारा पैसा भी हर तरीके से खींच लेना चाहते हैं। यह अन्याय है। कहीं का न्याय नहीं है। मैं दुबारा रिपीट करूंगा कि राजाओं को जो एक्जेम्पशन दिया जाता है यह और भी अधिक अन्यायपूर्ण है। आज के युग में जब छोटों को ऊपर उठाना चाहिये तो हमारी सरकार का बेलेन्स उलटा हो रहा है। छोटों को नीचे गिराया जाता है, कुचला जाता है और जो ऊंचे हैं उनको अधिक ऊंचा उठाया जा रहा है। आज बिजली फ्री दी जावेगी, पानी फ्री दिया जावेगा, सारी सुविधाएं फ्री दी जावेंगी, किस के लिये, बडों के लिये, राजा महाराजाओं के लिये, अपने पिट्ठुओं के लिये। इसके बजाय यह रखते आप किसी आदमी की आमदनी पचास रुपया है या इस से कम है उस को सरकार ये ये रियायतें देगी। इन इन चीज़ों का फ्री इन्तजाम किया जावेगा, उनकी आमदनी बढ़ाने का काम किया जावेगा, उनकी मदद की जावेगी। पर वह कुछ नहीं। फ्री इन्तजाम कुछ नहीं। पर इन बडे बडे आदमीयों के लिये तो कई फ्री इन्तजाम हैं। सारी ओमिटीज़ उनकी होंगी। एक टेलीफोन में चाहेंगे वह काम हो जावेगा, पर फिर भी उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वे टैक्स फ्री। दूसरी ओर गरीब टेलीफोन तो क्या दरवाजों पर बैठे बैठे सारी उम्र भी बिता देगा तो भी सरकार उसके लिये यह नहीं सोचेगी कि उसके लिये क्या करना चाहिये। और अब तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि म्यु० बोर्ड जो हैं वे पब्लिक की सहूलियतों की ओर नहीं देखतीं और खास कर वे बोर्ड जिनमें इस वक्त चुने हुए नुमाइन्दा नहीं हैं। हमारे यहां पब्लिक पार्क है कमिश्नर के आफिस के नीचे। आज उसमें बड़े बड़े लोगों के बंगले बन गये हैं। पार्क खत्म। वहां अब हमारे बच्चों के खेलने के लिये कोई जगह नहीं, कोई नया प्रोविज़ो नहीं, कुछ नहीं। पर टेक्स मोटे से मोटे लगावेंगे। कहेंगे हमें शहर में ये सहूलियतें देनी हैं। इसके बिना तो जेब गरम कैसे हो सकती है? सही बात यह है। अगर ज्यादा आमदनी नहीं है तो मैं समझता हूँ कि सब तरह के लोग.........

एक माननीय सदस्य—अब तो बैठ जाइये।

श्री मानसिंह महार—और मेवाड़ की तरफ से आये एक सदस्य कहते हैं कि बैठ जाओ। मैं उनको कहता हूँ कि सुनो, वे गाड़िया लुहार रो रहे हैं जिनका पांच लाख रुपया खा गये लोग। उनको बसाया नहीं जा सका। अब तो कुछ सोचो। उन पर भी टेक्स लग रहा है। कुछ तो बुद्धि से काम लो। वे यहां कुल्हाडी दांतली आदि बनाने आवेंगे तो उन पर भी टेक्स लगेगा। मैं जानता हूँ आप समझते नहीं है। देखते नहीं हैं। पर इतना कहने पर तो सोचिये। इतना सुनने पर तो कुछ करिये। इस कहने पर तो सोचिये। कहने पर तो करिये। नहीं तो गाडुलिया लुहारों को टोल टेक्स लगने वाला है जिसका हमारे अलवर की तरफ से पधारे हुए मंत्रीजी स्वागत कर रहे हैं।

मैं यह मानता हूँ कि यह गांव वालों के ऊपर बड़ा भारी अन्याय होगा।

आज कुत्तों पर टेक्स लगाया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आज के युग के अन्द हमारी पुलिस इतनी अकर्मण्य हो गई है कि वह यह चौकीदारी का प्रबन्ध कोई नहीं कर सकते हैं। लोगों ने यह धारणा बना ली है। आज जो अल्सेसियन कुऐ रखते हैं और ४०, ५० रू० महीना खर्च होता है तो कोई वे शोकिया नहीं रखते हैं कि मेरे पास बढ़िया कुत्ता है, शो करते हों। मिडिल क्लास का आदमी रखता है घर की रखवाली के लिए। एक गरीब आदमी अपने घर को रखवाली के लिए रखता है। पुराने जमाने में हमें जो रखवाली की सहूलियतें मिलतो थीं वे सहूलियतें आज इस सरकार ने खत्म कर दी हैं। आज इस सरकार के जमाने में हमारी लाइफ और प्रोपर्टी के संरक्षण के लिए कोई गुंजायश नहीं है। कुत्ते पालते हैं चोरों से हमारे घरों की रक्षा करने के लिए तो उनके ऊपर टेक्स लगायेंगे। वे म्युनिसिपेलिटी में क्या गन्दो बाड़ो करने जा रहे हैं? क्या म्युनिसिपेलिटी को लाने जा रहे हैं वे बेचारे कुत्ते। आप स्ट्रीट डॉग्स जो यहां शहर में फिर रहे हैं उनको तो पकड़िये। उनका कोई प्रबन्ध नहीं है। जयपुर शहर में एक भैंसा गाड़ी फिरती है। कोई दिन एक कुत्ता पकड़ ले जाती है तो कोई दिन कुछ नहीं। उसके ऊपर इतना खर्चा है कि उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं और जो लोग अच्छे कुत्ते पालकर अपनी रखवाली करते हैं उन पर यह टेक्स (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, यह टेक्स की नीति है इस नीति के ऊपर मैं आलोचना कर रहा हूँ, और मैं यह मानता हूँ कि पुराने जमाने में फ्रान्स की कहावत है कि No taxation without representation. तो इस सदन में हम जो इस तरफ बैठने वाले आदमी हैं उनको हक नहीं है या सरकार की तरफ जो बैठने वाले आदमी हैं उनका हक नहीं है कि शहर के रहने वाले आदमियों पर टेक्स इम्पोज़ करें ही। वह ओब्लीगेटरी टेक्स है। वह टेक्स लगाने का हक शहर के नागरिकों को होना चाहिए। उन शहरों से जो चुने हुए आदमी आते हैं उनका हक है। आज तो वह हालत राजस्थान में हो रही है कि लोग लैन्ड रेवेन्यू भी नहीं देंगे। आज तो वह जमाना आ रहा है कि लैण्ड रेवेन्यू भी नहीं देंगे। उस सरकार को किस बात का लैन्ड रेवेन्यू दें जो उसका दुरुपयोग करता है। उस लैन्ड रेवेन्यू से अपनी जेबें भरते हैं। (घंटी) उस सूरत के अन्दर आज जयपुर शहर में, जोधपुर शहर में, या दूसरे शहरों के नागरिकों पर यह थोपेंगे, ओब्लीगेटरी टेक्स होगा। इस प्रकार की बात कहां तक न्यायसंगत है, इस

[श्री मानसिंह महार]

और मंत्रीजी को सोचना चाहिए। यह बहुत अहम मसला है टेक्सेशन का। मैं सदन से निवेदन करूंगा और मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि इसपर जरा ध्यान से सोचें और इस मसले को पोस्टपोन करके बैठकर बातचीत करके ढंग से जमा लेंगे तो अच्छा होगा।

श्री श्री मानसिंह —Mr. Dy. Speaker, Sir, I rise to oppose this amendment which makes the taxation obligatory. I could not comprehend the idea behind making these taxes obligatory. It might be due to because the State Legislature wishes to remove aside the shyness or the unwillingness of the local bodies to tax themselves or it might be to combat the cheap popularity which the local representatives might obtain by not utilising certain taxes, or the third idea could be that we are more conscious of their finances, and therefore, the State Legislature wishes to improve the finances of the local institutions, the Municipal Boards. Apart from these; reasons I could not get any other extra reason. But these three reasons while we compare with the greatest right these three reasons violate our fundamental rights. This is right if I may point out to the House the slogan of the American Revolution. It's counterpart was the French Revolution with the 'right of equality, liberty and freedom, and this was followed up in Russia and in 1947 it culminated with our Freedom, and this right is that the right to be taxed by its own representatives, the slogan of 'no taxation without representation.' Thus manking it obligatory goes against this right, and I cannot say as manking have sacrificed, and mankind will sacrifice to maintain this right how long it will go. But by making these taxes obligatory I am sure the Hon'ble Member cannot understand as to where there the diseases lay. He was probably trying to effect a cure without diagnosis. We no doubt agree that the finances of the localbodies are very insufficient. This insufficiency of their finances is not because of their unwillingness to tax themselves or because they are shy but because of the Paradox that in a country where poverty abounds amidst plenty. It is that because of the low taxable capacity of the people. If we take the general figures of the taxation I will not be far wrong if I say that 90% income of a man is taken away by the Government. Moreover, the taxes that we have assigned to the local units are iuflexible and unproductive, We cannot expect them to have productive resources from these small taxes. There has to be a redistribution of taxes between the Central Government, State Government and the localbodies. We have to some extent taken those productive resources which would have improved the conditions of the Municipal bodies. But while their sources of income are insufficient, inflexible and unproductive they have to discharge multifarious functions. They do not take more important of social services because their income does not permit. If we probably take the present low rate of income and low rate of expenditure on social services, the House will come to the conclu-

[श्री श्रीमानसिंह]

sion that certain taxes which we suggest like octroi etc. should not be levied. But, this tax I will discuss when I will come to particular taxes. No to discharge these multifarious function. It is abundantly clear that the Municipal Board must be provided with the finance. As I said that the only was to increase their resources and I have a few suggestions to make to the Hon 'ble Minister that it is time that we nationalise or we give the Power Houses to the Municipal Boards. Take the instance of Bharatpur where perhaps 8 annas per unit is the highest rate for the consumption of electricity. This rate prevails nowhere and yet, unf ortunately, the Bharatpur Power House still runs in deficit. These power houses should be transferred to the local bodies so that their finances may improve and the man on the spot can improve their efficiency.

Second that it is not by making taxes obligatory or by going against the fundamental right of taxation, but it is, you see, that the Municipal Bodies today are shy to underetake any trading services. Today probably no where in Rajasthan, there is no municipality which has got enterprises of its own, where so many stake states and municipal bodies in foreign countries run their own enterprises. Towards this, the Government must encourage the local bodies. Moreover that in certain places taxation on Government properties are not exempted and probably, If I am not mistaken, these few taxation have been suggested by Taxation Enquiry Commission. Moreover, in these days where malthusian doctrines of fears are applicable to our country where our resources are not combating or communcerate with the growth of population, it is very essential that we may humbly tax marriages also.

Thirdly, It is very sorry tale to tell if, I go into the history of the grants in aid, but here in Rajasthan and elsewhere also the Government has to change its policy regarding grants in aid. Upto till today the grants in aid are given either by comparing their expenditure or through wire pulling etc., but excess for grants in aid should be made according to needs rather than expenditure. If we take expenditure as the criterion only then we will condam the backward areas to perpetual backwardness. There are, as I mentioned before, certain taxes, productive taxes, which the State Government has appropriated to itself and I would suggest that their procees should be shared between the Municipality and the State Government. And these taxes are from Stamp duties, Judicial fees, and incomes resulting from taxing of petrol or from Motor Vehicles Taxation Act. The incomes from these three sources must be distributed and thus we can make the Municipal Board stand on soun financial footings.

[श्री श्रीमानसिंह]

Sir, today we are progressing towards socialism and this denotes certain ideals. It is at once, If I may say so, a fight against inequality, it is a fight against poverty in the economic field and fight against private ownership. But, Sir, in these days to have exemption and to grant exemption to these people who can afford to bear the burden of taxes or our Their Highnesses with their privipurses running from 5, 10,15,20,30 lacs they are exempted from all these taxes and if we see Municipal Board levy octroi etc. there are so many indirect taxes and they eventually fall on the poorest people and in a society while I do not believe that socialism is a concept that believes in no taxation. It believes in taxation and it is not also a concept that believes in poverty. But fundamentally it believes in equility and all must bear the burden of taxes according to their ability to pay, according to equity, justice and fairness. And therefore, exemptions to Their Highnesses and to the ;Government properties situated within Municipal limits should be removed.

To conclude, Sir, while if this obligatory provision is there in order to check the Municipal Board from becoming bancrupt I certainly do not agree. We have applied financial, administrative and other checks. Here it is a problem of taxation and in all matters of taxation we should not forget the fundamental right, we should not forget the ability, equity and the cannons of taxation. and, I hope, the Hon'ble Minister will reconsider this in the light of cannons of taxation and in the light of that right for which I have drawn the attention of this House that has led to the freedom movements to the heart breaking sacrifices of the youth which are to day mile stones in the history of nations, and taxation.

श्री अवनि कुमार मुकर्जी :—माननीय उपाध्यक्ष, दांता रामगढ से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसके समर्थन में कुछ विचार मैं भी व्यक्त करना चाहता हूँ। इस धारा पर जो विचार चल रहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका कारण यह है कि इस के द्वारा हम जनता पर कर लगाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसलिए इस धारा पर गंभीरता पूर्वक सोच विचार करने की आवश्यकता है। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्लॉज पर आज ही विचार विनिमय स्थगित न हो, सब ही माननीय सदस्यों के विचार इस धारा के सम्बन्ध मे सुन ले और फिर गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करके माननीय मंत्री जी अपना जबाब दे। अगर इस प्रणाली को अवलम्बन करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस पर सम्यक रुप से विचार किया जा सकेगा और यदि जल्दी बाजी से ही इस पर जबाब दे दिया गया तो मैं समझता हूं कि वह उपयुक्त नहीं होगा। इस पर पूर्ण रुप से विचार करने की आवश्यकता है और यही समझ कर इस पर आज ही विचार विनिमय स्थगित न किया जाय।

[श्रीं अवनी कुमार मुकर्जी)

इस धारा में जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो मुझे खटकती है वह यह है कि कर लगाने के सम्बन्ध में जिन सिद्धान्तों को काम में लाया जाता है उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। जब कोई कर लगाया जाता है तो हमें यह सोचना पडेगा कि उन करों का बोझा किन पर पडेगा। कर लगाते वक्त हमें यह भी सोचना चाहिए कि करों का बोझा उन लोगों पर कम हो जिनकी आमदनी कम है, जिनके साधन कम है और उनके ऊपर ज्यादा हो जिनकी आमदनी ज्यादा है और जिनके साधन ज्यादा हैं। अगर इस दृष्टिकोण से विचार नहीं करते हैं और केवल इस धारा पर ही जिस रूप में यह रखा गया है उस पर ही विचार करते हैं तो ये कर जिनकी आमदनी कम है, जिनके साधन कम हैं, उन्हीं पर उनका बोझा अधिक पडने वाला है और जिनकी आमदनी अधिक है, जिनके साधन अधिक हैं उन पर करों का बोझा कम पड़ने वाला है। इसी सिलसिले में जो राजा महाराजा हैं उनको इसमें एग्जम्पशन दिया गया है। इसका क्या आधार है, यह मैं ठीक तरह से समझ नही पाया हूं। अगर इस सम्बन्ध में सदन में जिक्र आता है तो मंत्रीजी जवाब देते हैं कि उनके साथ समझौते हुए थे और उन समझौतों का पालन करना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मर्जर के समय जो परिस्थितियां थीं वे आज नहीं हैं। मर्जर के समय यह समझौता हुआ था कि राजप्रमुख आजीवन राजप्रमुख रहेंगे, लेकिन आज वे परिस्थितियां बदल गई हैं और राजप्रमुख की संस्था को हम समाप्त कर रहे हैं और इस-लिए इस सम्बन्ध में जो जवाब दिया जाता है कि उनके साथ हमारे इस प्रकार के एग्रीमेन्टस थे इसलिए उनको इस प्रकार से एक्जेम्शन दिया जाना उचित है, मैं समझता हूं, यह उचित नहीं प्रतीत होता है। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो पहले के समझौते जो हुए हैं उनको भी परिस्थितियों के अनुसार बदलना पड़ेगा और उन समझौतों को बदला गया है, इसको कई मिसालें मौजूद हैं। बार बार यह जवाब दिया जाता है कि इससे सदन को संतोष होना चाहिए लेकनि मैं निवेदन करूंगा कि संतोष तो जब होगा जब कि जवाब में कोई ठोस दलील रखेंगे।

दूसरी बात जिसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि नगरपालिका की आमदनी किस प्रकार हो ? इस पर सोच विचार करने की आवश्यकता है। हम इस कानून में ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि कुछ ऐसी मदें हैं। जिनको नगरपालिकाओं के लिये छोड देना चाहिये ताकि उन पर नगरपालिका की आमदनी मुनस्सर हो। इस सम्बन्ध में मैं आपको दो तीन बातें निवेदन करना चाहूंगा।

हमारे यहां बिजलीघर वाटर वर्क्स से जो आमदनी होती है वह और मोटर विहिकल्स टेक्सेशन से जो आमदनी होती है उसका एक मोटा हिस्सा वहां की नगरपालिका को मिलना चाहिए। और यहां जब तक नगरपालिका को नहीं मिलेगा तब तक मैं समझता हूं जनता पर तरह तरह के कर लगाने पडेंगे और जो व्यवस्था इस धारा मे की है उसको पढ़कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। इसमें रोड टेक्स, लाइटिंग टेक्स, ओक्ट्रोय, वाटर टेक्स, टोल टेक्स,

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

इन सब की व्यवस्था की गई है। आप सोच कर देखिये कि इन तमाम चीजों को मिलाते हैं तो साधारण नागरिक के ऊपर कर का बोझा कितना होगा। हमारी टेक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने एम्फेसिस इस बात पर दिया है कि टेक्सेशन का एम्पेसिस डाइरेक्ट टेक्सेसन पर होना चाहिये न कि इन्डाइरेक्ट टेक्सेशन पर। आज हमारे यहां इन्डाइरेक्ट टेक्सेज़ का जोर है। यदि आप म्युनिसिपेलिटीज़ में भी यही व्यवस्था करना चाहते हैं तो यह उचित नहीं होगा, म्युनिसिपेलिटीज़ को यदि आप सेल्फसफिशियेन्ट बनाना चाहते हैं तो इन जिन बातों की ओर ध्यान दिलाया गया है उन मदों को अलग छोड़ना पड़ेगा और यदि पूरा हिस्सा नहीं तो इसमें से एक मोटा हिस्सा तो देना ही चाहिये।

ग्रान्ट इन एड के बारे में इस कानून में कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी हालत में यह व्यवस्था जरूर करनी पडेगी कि नगरपालिकाओं का काम सुचारू रूप से चलता रहे और आमदनी के साधन मुकर्रर हो जायें।

तीसरी बात यह है कि सरकारी इमारतों के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जायगा इस तरह की व्यवस्था है। मेरे समझ में नहीं आता कि जब कि सरकारी इमारतों को भी वे ही सुविधाएं हैं जो नागरिकों की इमारतों को प्राप्त हैं तो उनको कर भार से मुक्त क्यों किया जाय? जब प्राइवेट इमारतों पर टैक्स लगाते हैं तो सरकारी इमारतों पर भी जरूर लगना चाहिये, इसमें सरकार पर कोई विशेष भार नहीं पड़ेगा और नगरपालिका को आमदनी होगी इसलिये इस बारे में फिर विचार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि मंत्रीजी इसके लिये तैयार हो जायेंगे।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूँ वह यह कि सब सेक्शन (१६) जो है उसकी ओर मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है —„The State Government may, by order, grant and define other exemptions in exceptional cases from payment of toll or other taxes imposed under this Act..

अब इस क्लॉज की मंशा क्या है इस बारे में मैं अपने विचार व्यक्त नहीं करना चाहूंगा और मंत्रीजी से यह आशा करता हूं कि उत्तर देते समय बतायेंगे कि यह सब सेक्शन (१६) d क्यों रखा गया और इसकी मंशा क्या है? यदि किसी को एग्जेम्पशन देना है तो म्युनिसीपेलिटी के पास यह अधिकार होना चाहिये उसको सरकार अपने पास क्यों लेना चाहती है?

पाचवीं बात जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि इसमें यह व्यवस्था है कि कोई टैक्स लगाने से पहले स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। मैं इससे सहमत नहीं हूं। यदि आप चाहते हैं कि नगरपालिकाएं ठीक ढ़ंग से चलती रहें तो उनको

Page No 93

[श्री अवनि कुमार मुकर्जी]

यह अधिकार होना चाहिये कि वे जो मुनासिब कर लगाना चाहें तो लगा सकें। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो प्रिन्सिपल्स हैं उस पर सोच विचार करके जो आवश्यक नियन्त्रण करना चाहते हैं वह कानून के जरिये करिये। ओब्लीगेटरी वर्ड रख कर सरकार के नियंत्रण को दृढ़ करना तो ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि कई लोगों ने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं इसलिए मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं यही निवेदन करूंगा कि आज इस पर जवाब नहीं दें। पहले सोच विचार करके जवाब और फिर धारा पास की जाय तो अच्छा होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री हिम्मतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, समय होने वाला है, ५ मिनिट ही रह गये हैं इसलिए अभी हाउस को एडजोर्न कर दिया जाय तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष—५ मिनिट का समय तो अभी बाकी है।

श्री हजारीलाल शर्मा—५ मिनिट में इस पर क्या हो सकेगा। शनिवार को मीटिंग रखना अच्छा नहीं है इसलिए सोमवार को रखी जाय।

(कई माननीय सदस्य एक साथ) मन्डे को रख दीजिये)

श्री मुक्तिलाल मोदी—दिन रात यहां काम करते हैं इसलिए एक दिन तो मिलना चाहिये जब कि दूसरे धन्धे, पोलिटिक्स के धन्धे भी कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष—अभी और कोई सदस्य बोलना चाहते हैं क्या?

कई माननीय सदस्य एक साथ—आज कार्यवाही स्थगित को जाय और मन्डे को रखीजाय।

श्री उपाध्यक्ष—शनिवार को मीट करने का लिस्ट ओफ बिजनेस में आगया है इसलिए आज सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है और कल शनिवार को प्रातः ८ बजे मीट करेंगे।

(कई माननीय सदस्य एक साथ) "शनिवार को नहीं, मन्डे को रखिये"।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही मध्यान्ह १२-२५ बजे। शनिवार दिनांक २८ अप्रेल, १६५६ को प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

टिप्पणी—सदन की कार्यवाही स्थगित होने के पश्चात् भी दोनों दल के सदस्य सदन में बैठे रहे, इस बात पर विरोध प्रकट करने के लिए कि सदन की बैठक शनिवार को न होकर सोमवार को ही हो। अन्त में श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन की बैठक सोमवार के ८ बजे प्रातः तक के लिए स्थगित हुई।

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक २७ अप्रेल, १९५६.

मनसा राम परोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित प्रश्न कर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये और जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है।

प्रश्न

४७५, (२५एम. आर. एस.) श्री कस्तूरचन्द, एम. एल. ए., डिविज़न नम्बर ७२—क्या सहकारी मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सच है कि रजिस्टर्ड सहकारी समिति, बनेड़ा, जि० भीलवाड़ा की रकम २०५० रु० को सरकार ने अन्य बैंक में जमा करा लिया था ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या उक्त रकम के अभाव में समिति को ४ साल तक बन्द रहना पड़ा है ? यदि हां, तो समिति को हुए नुकसान की जिम्मेदारी किस पर है ?

उत्तर

(क) नहीं।

(ख) कोई प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह समिति नियंत्रित वस्तुओं का क्रय विक्रय करती थी। नियंत्रण उठ जाने पर अन्य समितियों की तरह इस समिति का भी काम बन्द हो गया है।

प्रश्न

५८१. (४५एफ.एम) श्री श्री दास गोयल, एम. एल.ए. डिविजन नम्बर १४२—क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) क्या जिला सवाई माधोपुर में गजंलात विभाग द्वारा जंगलों की सीमाएं निर्धारित किये जाने के लिये संगबंदी की जा रही है ?

(२) यदि हां, तो क्या राजस्व, बंदोबस्त महकमें द्वारा निर्धारित चरागाह भूमि तथा कहीं २ गांवों की सिवाय चक जमीन को भी उक्त जंगलों की संगबंदी में लिया जा रहा है ?

(३) स्थानीय उच्च अधिकारियों से इस सम्बन्ध में जनता ने जो शिकायत की उसका क्या हुआ ?

(४) क्या सरकार इस सीमा निर्धारण को तत्काल रोकने के लिए आदेश जारी कर चुकी है ?

(५) यदि नहीं, तो क्यों नहीं और सरकार कब तक उक्त गलत कार्यवाही को रोकने का जंगलात के अधिकारियों को आदेश देगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) ऐसी शिकायत की जानकारी नहीं है। यदि ऐसी कोई शिकायत वन बन्दोबस्त अधिकारी के पास आई होगी तो उक्त अधिकारी उस पर कार्यवाही करेंगे।

(४) अवैधानिक या अनुचित सीमा निर्धारण नहीं हो रहा है अतएव यह प्रश्न नहीं उठता। अवैधानिक या अनुचित कार्यवाही की सूचना मिलने पर तुरन्त उचित आदेश दिया जावेगा।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न

५८८ (३१ एस०आर०एम) श्री भैरुसिंह, एम.एल. ए. डिविजन नम्बर १६—क्या मंत्री पृथक राजस्व विभाग निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या श्री नानग राम, इन्सपेक्टर एक्साइज, इस मुलाजमात से पहिले महकमा पुलिस में तैनात थे और रिश्वत खोरी के इल्जाम में बर्खास्त कर दिये गये थे ?

(ख) यदि हां, तो क्या उसको नौकरी पर रखने से पहिले उसकी पर्सनल फाइल देखी गई थी ?

(ग) उसे फिर मुलाजमात में लेने के क्या कारण हैं ?

Page No 97

उत्तर

(क) नहीं, श्री नानगराम इन्सपेक्टर इस महकमा की मुलाजमात के पहिले महकमा सिविल सप्लाईज़ विभाग में तैनात थे न कि महकमा पुलिस में, स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड द्वारा चुने जाने के पश्चात् इस विभाग में इन्सपैक्टर नियुक्त हुये।

(ख) यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ग) यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ५८६ का उत्तर देखिये)

तुलनात्मक दुकानवार नकशा शराब बून्दी एरिया, बाबत सन् १९५५–५६ व ५६–५७

नं० शु०	नाम तहसील	नाम दुकान	नाम ठेकेदार	रकम ठेका) १९५५–५६	रकम ठेका) १९५६–५७	रिमार्क
१	२	३	४	५	६	७
१.	बून्दी	कागदी देवरी नं० १	श्री सूवालाल	१,०५०)	१,६०५)	
२.	,,	,, २	श्री रिन्जूमल	८२५)	१,०११)	
३.	,,	बारली बून्दी नं० १	श्री डोसाभाई	४,०००)	३,५००)	
४.	,,	,, २	श्री नेवन्डराम	३,४००)	४,०११)	
५.	,,	मनोहर बावरी	श्री टीकमचन्द	३,८००)	३,३११)	
६.	,,	बालचन्द पाड़ा	श्री भवंरलाल	१,००५)	१,२०१)	
७.	,,	देवपुरा	श्री जमुमल	४६५)	२,०२५)	
८.	,,	गारड़ा	श्री गनेशलाल	५१)	१०१)	
९.	,,	बन का खेड़ा	श्री कल्याण	६१)	१०१)	
१०.	,,	गामेच	श्री दोलतराम	५२)	१०५)	
११.	,,	सींठा	श्री छोटुमल	१०७)	२०५)	
१२.	,,	अन्धरा	श्री संतराम	२११)	२०१)	
१३.	,,	गुड़ा	श्री बक्सीसिंह	८५०)	१,३५५)	

१	२	३	४	५	६	७
१४.	बूंदी	मंडांवरा	श्री जगन्नाथ	३२०)	२५५)	
१५.	,,	खेड़ीपुरा	श्री गोपाल	६०)	१०१)	
१६.	,,	गनेशपुरा	श्री देवीलाल	३६)	५१)	
१७.	,,	डोरीला	श्री मोड़ूलाल	४६)	५१)	
१८.	,,	ठीकरिया	श्री किशनलाल	३३)	८५)	
१९.	,,	राजपुरा	श्री ओंकार	४५)	१०१)	
२०.	,,	हातीपुरा	श्री दलीपसिंह	७४०)	८९१)	
२१.	,,	सिलोद	श्री किशनचन्द्र	२७०)	४७१)	
२२.	,,	माट्न्दा	श्री भवंरलाल	४८०)	५०१)	
२३.	,,	टिरेठ	श्री मनोहर	१०५)	४०५)	
२४.	,,	जखमुंड	श्री खेमा	२०६)	३५१)	
२५.	,,	गोविन्दपुरा बावड़ी	श्री धनसिंह	५१)	१२५)	
२६.	,,	बरूधन	श्री कालु	१११)	१,५०१)	
२७.	,,	नमाना	श्री हीरालाल	५००)	१,३५१)	
२८.	,,	तालेरा	श्री नवन्डराम	१,०१०)	१,००१)	
२९.	,,	लछमीपुरा	श्री तुलसीराम	४१०)	६२५)	
३०.	,,	डोरा	श्री नन्दकिशोर	१०६)	२७५)	
३१.	,,	पीपलड़ा	श्री नाथूसिंह	१०५)	२२५)	
३२.	,,	घानेसर	श्री रामनाथ	१३१)	२०५)	
३३.	,,	केथोड़ा	श्री प्रभुलाल	११५)	१५१)	

१	२	३	४	५	६	७
३४.	बूंदी	पालका	श्री जगन्नाथ	१९२)	३०१)	
३५.	,,	डेरी	श्री देवीलाल	८३)	१२५)	
३६.	,,	सुथारा	श्री प्रभुलाल	४०१)	३०५)	
३७.	,,	नोटारा	श्री छीतर	१०१)	५०१)	
३८.	,,	बजर	श्री केशुमल	३६७)	६५१)	
				२१,५८०)	२६,२५८)	

बेशी बमुकाबले सन् १९५५–५६ ७६७८)